




• वर्ष 24 • अंक 3 • अप्रैल - जून 2012

बैंकिंग

चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल



सदस्य



Member

बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन

विषय सूची

● संपादक मंडल		1
● संपादकीय		2
● इतिहास के पन्नों से	सावित्री सिंह एवं डॉ. हरियश राय	4
● स्वप्रबंधन	डॉ. रमाकांत शर्मा	9
● भारत का विदेशी मुद्रा भंडार	आर. एस. तिवारी	20
● क्रेडिट रेटिंग : एक परिचय	आशीष पूजन	24
● कल आज और कल	संदीप गुप्ता	33
● साइबर क्राइम और बैंकिंग	संतोष श्रीवास्तव	36
● बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते कदम	संदीप भारद्वाज एवं योगराज	39
● भारतीय कृषि : समस्याएं एवं समाधान	डॉ. राजीव कुमार सिन्हा	47
● भारतीय बैंकिंग में आंतरिक लेखा परीक्षा की भूमिका	डॉ. एल. एन. कोली एवं सुमित अग्रवाल	50
● घूमता आईना	के. सी. मालपानी	52
● पुस्तक समीक्षा	विष्णु नायक	57
	काज़ी मुहम्मद ईसा	
● अनुचिंतन		62
● लेखकों से/पाठकों से		63
● सदस्यता फार्म		64

संपादक-मंडल



प्रबंध संपादक

डॉ. रमाकांत गुप्ता
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

के. सी. मालपानी
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य

डॉ. प्रमोद कुमार
महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

अतुल अग्रवाल
महाप्रबंधक (लेखा-परीक्षा)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

एम. वी. अशोकन
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

ब्रिजराज
संकाय सदस्य एवं उप महाप्रबंधक
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चैन्ने

कार्यकारी संपादक

सावित्री सिंह
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
गारमेट हाउस, वरली, मुंबई - 400 018

डॉ. गजेंद्र कुमार
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
इलाहाबाद बैंक, कोलकाता

डॉ. हरियश राय
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

अरुण श्रीवास्तव
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

डॉ. अजित कुमार
संकाय सदस्य एवं सहायक महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, गारमेट हाउस, वरली, मुंबई 400 018 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा इंडिया प्रिंटिंग वर्क्स, मुंबई में मुद्रित।

इंटरनेट <http://www.rbi.org.in/hindi> पर भी उपलब्ध। E-mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन 2498 2076 फैक्स 2498 2077
मुखपृष्ठ : सुधाकर वरवडेकर

संपादकीय....

प्रिय पाठकों,

“कथांचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति ।
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥”

- वाल्मीकि रामायण



चिंतन

शुक्रनीति में कहा गया है कि “न रामसदृशो राजा पृथिव्यां नीतिमान भूत” अर्थात् श्री राम जैसा नीतिमान कोई और राजा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। जैसाकि वाल्मीकि रामायण के उक्त श्लोक में कहा गया है, श्री राम दूसरों के एक छोटे से उपकार मात्र से प्रसन्न हो जाते थे और दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों को याद नहीं रखते थे। आज स्थिति इसके ठीक विपरीत है, लोग दूसरों के उपकारों को भुला देते हैं परंतु उनके द्वारा गलती से किए गए एकाध अपकार को जीवन भर याद रखते हैं और उसी के बदले की आग में इह लोक एवं पर लोक दोनों के सुखों को खो देते हैं।

सच पूछा जाए तो हम दूसरों की खामियों के बजाय अपनी खामियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की कोशिश करें, अपने आंतरिक और बाह्य संसाधनों का पता लगाकर उनका सही उपयोग करें तो हम सफलता के अनेक सोपान छू सकते हैं। अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं और दूसरों का जीवन भी सुधार सकते हैं। महाकवि भृगुहरि के शब्दों में कहें तो ऐसे मनीषी लोग राजा की तरह सुखी और शांत रहते हैं - “सुखी शांतः शेते मुनिरतनुभूतिर्नृप इव”। डॉ. रमाकांत शर्मा ने अपने विचारोत्तेजक लेख ‘स्वप्रबंधन’ में प्रबंधन के इन्हीं अनछुए पहलुओं से आपका परिचय कराया है। आशा है कि पाठक इसे पसंद करेंगे और अपने लिए उपयोगी पाएंगे।

भारत वर्ष अतीत काल में कृषि, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर रहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि कृषि की देखरेख के लिए उस समय अलग अधिकारी होते थे जिन्हें ‘सीताध्यक्ष’ कहा जाता था। आज भी कृषि देश की 58.4 प्रतिशत जनता के जीवन-निर्वाह का साधन है, भले ही सकल देशी उत्पाद (अर्थात् जीडीपी) में उसका अंशदान काफी कम रह गया है। देश की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है कि कृषि की उत्पादकता बढ़ायी जाए और उचित भंडारण एवं प्रसंस्करण तकनीकों से अनाज की बर्बादी को रोका जाए। डॉ. राजीव कुमार सिन्हा ने अपने लेख ‘भारतीय कृषि : समस्याएं और समाधान’ में इस क्षेत्र की समस्याओं का व्यापक विवेचन किया है।

बात चाहे कर्ज देने की हो अथवा जनता से पैसे जुटाने की, कर्ज लेने वाले की कर्ज चुकाने की क्षमता काफी मायने रखती है और इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है श्री आशीष पूजन के सूचनाप्रद और ज्ञानवर्धक लेख ‘क्रेडिट रेटिंग : एक परिचय’ में। इस अंक में बैंकिंग से संबंधित अन्य पहलुओं, यथा, विदेशी मुद्रा भंडार, साइबर क्राइम, आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं बैंकिंग प्रौद्योगिकी आदि पर भी विद्वान् लेखकों ने ब्यौरेवार तरीके से प्रकाश डाला है। आशा है कि पत्रिका के पाठक इन्हें उपयोगी पाएंगे।

साथ ही, पत्रिका की कार्यकारी संपादक श्रीमती सावित्री सिंह ने 'इतिहास के पन्नों में' आपका परिचय कराया है - 1908 में बड़ौदा के छोटे से भवन से आरंभ कर आज मुंबई में बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर स्थित प्रतिष्ठित और उच्च तकनीक वाले भवन तक का सफर तय करने वाले बैंक 'बैंक ऑफ बड़ौदा' से तथा देश-दुनिया की नवीनतम आर्थिक-वित्तीय गतिविधियों को संक्षेप में उजागर किया है - पत्रिका की संपादकीय समिति के सदस्य-सचिव श्री. के. सी. मालपानी ने अपने लेख 'धूमता आईना' में।

अनुचितन


आज बैंकिंग का द्वार आम जनता के लिए खुला है और अपनी विशेषताओं के कारण राष्ट्रीय संपर्क की भाषा बन चुकी हिंदी भारत की आम जनता की भाषा बन चुकी है - यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बैंकिंग कार्य के लिए भाषिक माध्यम के रूप में हिंदी की अनुपयुक्तता के बारे में जो भी तर्क दिए जा रहे हैं, वे सब निराधार हैं।

इस अंक में भाषा संबंधी एक छोटे से मुद्दे लिपि को ही ले लें। बैंकिंग जगत में समय का काफी महत्व है तथा यदि नाम और पते, जो कि शाखा-स्तरीय कार्य का बहुत बड़ा हिस्सा है, देवनागरी लिपि में लिखे जाएं तो न सिर्फ समय एवं श्रम की अपितु बहुमूल्य कागज की भी काफी बचत होगी तथा हम हरित बैंकिंग की ओर एक कदम और आगे बढ़ेंगे। इसके कई कारण हैं, यथा अंग्रेजी में 'अ' ध्वनि के लिए अलग से वर्ण लिखना पड़ता है - क = ka; अंग्रेजी में महाप्राण ध्वनियों के लिए भी अलग से वर्ण नहीं है, जिसकी वजह से हिंदी के एक वर्ण के स्थान पर अंग्रेजी में तीन-तीन वर्ण तक लिखने पड़ते हैं - ठ = tha; इतना ही नहीं अंग्रेजी में तो च वर्ण की ध्वनियों के लिए तो अलग से वर्ण हैं ही नहीं, जिसकी वजह से हिंदी के एक वर्ण के स्थान पर अंग्रेजी में तीन-चार वर्ण तक लिखने पड़ते हैं - छ = chha |

वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में या तो अंक लिखने होते हैं अथवा नाम और पते। शब्दों में लिखे जाने वाले कार्य का अधिकांश हिस्सा नाम और पते लिखने से संबंधित होता है; अतः वाणिज्यिक बैंकों में लेजरों, पासबुकों, बहियों आदि में प्रविष्टि किए जाने के लिए अंग्रेजी की लिपि की तुलना में हिंदी की देवनागरी लिपि हर तरह से बेहतर है तथा देवनागरी लिपि में लिखने पर दो-तीन गुने तक समय, श्रम और कागज की बचत हो सकती है। इसका प्रमुख कारण है हिंदी भाषा की वर्ण-संपन्नता अर्थात् अलग-अलग ध्वनियों के लिए अलग-अलग वर्णों की उपलब्धता। हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा ने तो यहां तक कहा है कि "ध्वनि-संपन्नता में हिंदी वर्णमाला बहुत-कुछ अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला के समीप है"।

पिछले अंक के बारे में पाठकों ने खुलकर अपनी राय दी और इससे हमारा उत्साह बढ़ा। हम ऐसे सभी उत्साह-वर्धक पाठकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं - पत्रिका के पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे इस अंक के प्रति भी अपनी अनुक्रिया और बहुमूल्य सुझाव ramakantgupta@rbi.org.in और/अथवा savitrisingh@rbi.org.in नामक ई-मेल पत्तों पर अथवा डाक से अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम इस पत्रिका को आपकी ज़रूरतों के अधिक अनुकूल बना सकें।

सादर


(डॉ. रमाकांत गुप्ता)



इतिहास के पन्नों से

पाठकों को भारतीय बैंकों के इतिहास से रू-ब-रू कराए जाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम इस बार आपको ले चल रहे हैं स्थापना के कालक्रमानुसार बैंकों की सूची में आठवें स्थान पर शामिल तथा भारत के अन्तरराष्ट्रीय बैंक के रूप में ख्याति प्राप्त बैंक “बैंक ऑफ बड़ौदा” के ऐतिहासिक सफर पर...

मैं आज सन 2012 में अपने अतीत पर नज़र डालता हूँ तो मेरी नज़र 20 जुलाई 1908 पर आकर टिक जाती है, जब गुजरात राज्य के वटवृक्षों के शहर वडोदरा में मेरी स्थापना हुई थी। यह वह समय था जब देश को एक वित्तीय संस्थान की जरूरत थी और देश आजादी की लड़ाई से जूझ रहा था। 20 जुलाई, 1908 को सर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने मेरी स्थापना की। मेरी स्थापना के पावन अवसर पर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने कहा कि “मैं बड़ौदा राज्य और उसके आस-पास के क्षेत्रों में ऋण, व्यावसायिक लेन-देन तथा धन की जमाओं के लिए एक लाभदायिक संस्था के रूप में उभरकर सामने आऊंगा तथा राज्य में कला, उद्योग और व्यवसाय को बढ़ाने में एक मजबूत प्रकाश स्तंभ सिद्ध होऊंगा।”



महाराजा सयाजीराव गायकवाड़

1908 में देखा गया उनका यह सपना पिछले 105 वर्ष से भी ज्यादा की यात्रा के दौरान साकार हो रहा है। उनके इस सपने को साकार करने में अनेक

महान विभूतियों, गणमान्य नागरिकों, प्रतिष्ठित उद्योगपतियों, समर्पित ग्राहकों, उद्यमशील शेयर-होल्डरों और कर्मठ स्टाफ सदस्यों का अप्रतिम योगदान रहा। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने 10 लाख रुपये की पूंजी के साथ मेरी स्थापना की। उन्होंने व्यापार और कारोबार की भावी स्थिति में अलौकिक दूरदर्शिता का परिचय दिया और मेरे विकास के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया, जिस मार्ग पर चलता हुआ आज मेरा परचम ‘भारत के अन्तरराष्ट्रीय बैंक’ के रूप में 24 देशों में लहरा रहा है।

बैंक ऑफ बड़ौदा



भारत का अन्तरराष्ट्रीय बैंक

105 साल से अधिक की मेरी यह यात्रा कार्पोरेट विवेक का परिचायक है। मेरी यह यात्रा कर्मठ बैंकरों और उनके असाधारण योगदान की यात्रा है जो आज बैंक को शिखर की ओर ले जा रहे हैं।

कोई भी इतिहास, अपने नायकों का उल्लेख किए बिना पूर्ण नहीं होता है, विशेष कर ऐसे साधारण लोगों का जिनके असाधारण कार्यानिष्पादन एवं योगदान से एक संस्था पुष्पित पल्लवित होती है। इतने वर्षों में, इस प्रकार के हजारों व्यक्ति हुए हैं। मैं ऐसे सभी “अनाम सिपाहियों” को सलाम करता हूँ। जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ मुझको एक लीजेंड बनाने में मदद की है। कार्पोरेट एवं रॉयल दोनों स्तरों पर ऐसे नायक भी हुए हैं, जिन्होंने मुझे दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान किया एवं अपने शानदार नेतृत्व के माध्यम से मेरे इतिहास में कुछ स्वर्णिम अध्याय जोड़े। नायकों की यह सूची महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, संपतराव गायकवाड़, राल्फ व्हाइटनैक, विठ्ठलदास ठाकरसी, तुलसीदास किलाचंद एवं एन एम चोक्सी जैसे महान व्यक्तियों के नामों के उल्लेख के बिना शायद अधूरी ही रहेगी। मैं ऐसे समस्त नायकों को पुनःनमन करता हूँ जिनकी दूरदर्शी सोच ने मुझे एक महान संस्था बनाने में मदद की।

मेरे जन्मदाताओं ने मुझे ऐसे लोगों के सुपुर्द किया जो शिक्षित, सक्षम और कर्मठ थे। 1936 में श्री वालचंदजी ने यह निर्णय लिया कि वही लोग मेरे साथ जुड़ सकेंगे जिन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा पास की हो। आगे चलकर उन्हीं लोगों को प्रबंधक



The journey began in 1908 in Vadodra, Gujarat

का पद दिया गया जिनके पास विदेशी विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट की डिग्री थी या जिनके पास इंग्लैंड में कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव था। जिन छात्रों के पास विदेशी विश्वविद्यालयों की या लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र की डिग्री थी, उन्हें प्राथमिकता दी गई। ऐसे योग्य और अनुभवी लोग जब मेरे साथ जुड़े, तब मेरे गौरव में चार चांद लग गए और मेरे विस्तार का अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ, जो आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा...

सन 1939 से लेकर 1946 तक जब देश में अनुसूचित बैंकों की संख्या 51 हो गई तब मेरी शाखाओं का भी विस्तार हुआ और मेरी पूंजी, आरक्षित निधियों, जमाराशियों, अग्रिमों, निवेशों में भी विस्तार हुआ। 1939 में मेरी शाखाओं की संख्या 24 थी जो 1945 में बढ़कर 32 हो गई। 1939 में मेरी प्रदत्त पूंजी 37 लाख थी जो 1945 में बढ़कर 1 करोड़ हो गई। 1939 में मैंने 4.7 लाख रुपये का लाभ कमाया और 1945 में मैंने 23.6 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया।

तीव्रता एवं निरंतरता के साथ विकासशील

द्वितीय विश्व युद्ध वाले सालों में मेरे कारोबार में असाधारण वृद्धि हुई। इसी समय मैंने सीमित तरीके से, विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार में कदम रखा। यह कदम छोटा होते हुए भी अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग में एक बड़ी छलांग थी। सन 1947 में, देश की आजादी के समय मेरी 48 शाखाएं थीं और मैं एक प्रकार से क्षेत्रीय बैंक था। तथापि भारत के भाग्यशाली पांच बैंकों की सूची में मैंने स्थान पाया।

कारोबारी विवेक पर निर्मित आधारशिला

1913 से लेकर 1971 के बीच के साल आसान नहीं थे क्योंकि इस दौरान भारत में 87 बैंक फेल हो चुके थे। संकट के इस दौर में भी मैं अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल रहा और इसका सारा श्रेय मेरे ईमानदार और विवेकशील नेतृत्व को जाता है। यह वित्तीय एकीकरण, कारोबारी विवेक तथा ग्राहकों की गाढ़ी कमाई की जमाओं को सुरक्षित रखने की स्थायी जिम्मेदारी और सरोकार ही हैं जो मुझमें समाए हुए हैं और जिसके इर्द-गिर्द व्यावसायिक निर्णय लिए जाते हैं। यही वे आधारभूत सिद्धांत और दर्शन हैं जो मेरे अब तक के 105 वर्षों के अस्तित्व में सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुए।

भारत की आजादी के बाद मैंने अपनी पुरानी पृष्ठभूमि से बाहर निकलना शुरू किया। 1953 और 1958 के बीच 30 नए कार्यालय खोले गए। रणनीतिबद्ध तरीके से की गई विलय प्रक्रिया से 1965 तक मेरी शाखाओं की संख्या 234 तक पहुंच गई और इसी के साथ मैं एक राष्ट्रीय संस्थान बन गया।

विश्व-व्यापी प्रभाव

मैं भारतीय बैंकों में से अग्रणी था जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग स्तर पर अपना कारोबार शुरू किया। मैंने अपनी पहली विदेशी शाखा मोम्बासा, केन्या में सन 1953 में खोली। तदुपरांत लंदन में 1957 में शाखा खोली गई। तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दशकों से मेरा यह विजय अभियान जारी है और मुझे भारतीय मूल का एक प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बैंक होने की ख्याति मिल चुकी है। मैं विश्व के 5 महाद्वीपों के 24 देशों में 93 कार्यालयों के माध्यम से फैला हुआ हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विश्व के सभी प्रमुख वित्तीय केंद्रों जैसे ब्रूसेल्स, लंदन,

न्यूयार्क, बहामास, दुबई, हांगकांग और सिंगापुर में मेरा विस्तार है।

प्रभाव-क्षेत्र

शुरुआती वर्षों में, मैंने अपनी ऋण-योग्य निधियों को व्यापार क्षेत्र में लगाया। जब भारत में औद्योगिकरण कार्यक्रम शुरू किया गया तो मुझे भी उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग मिला। जैसे-जैसे भारत ने अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश किया, वैसे-वैसे मैं आयात-निर्यात वित्त क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ उतरता गया। चूंकि सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में ध्यान की मांग थी, अतः मैंने कृषि ऋण आस्तियों का भी एक पोर्टफोलियो बनाया।

भारत के विकास का सहभागी

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 19 जुलाई, 1969 से मेरी बागडोर भारत सरकार ने संभाली और मेरा नाम बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड से बदलकर बैंक ऑफ बड़ौदा रख दिया गया। इस दिन मैंने अपनी 433 शाखाओं के माध्यम से परिचालन शुरू किया। बैंकिंग क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। मेरे कार्यदायित्वों, चुनौतियों, संभावनाओं और सेवाओं का विस्तार हुआ। मैंने राष्ट्रीय विकास में अपनी नई भूमिका के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध किया। मैंने ऋण के लिए मल्टी सेवा एजेंसी मॉडल प्रस्तुत करने के साथ सामाजिक बैंकिंग क्षेत्र को एक नया आयाम दिया। यह विश्वभर के सामाजिक बैंकिंग क्षेत्र में सर्वाधिक ग्राहकोनुकूल नई शुरुआत थी।

मैंने अग्रणी बैंक योजना, बहुसेवा विकास केंद्र, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, गरीबी उन्मूलन योजना, विभेदक ब्याज दर योजना जैसी कई विकासात्मक योजनाओं के सहारे अपने देश के कई गांवों में सेवा की।

सन 1976 में मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां भारत की आबादी का 3/4 भाग निवास करता है, अपने 19 क्षेत्रीय बैंकों में से पहली इकाई खोली। मैंने 1977 में एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए ग्राम विकास केंद्र के रूप में एक नवोन्मेषी मॉडल की शुरुआत की। आक्रामक विस्तार पॉलिसी को अपनाते हुए मैंने 1981 तक अपने शाखा नेटवर्क की संख्या को 1969 तक पहुंचाया और देश के बैंकिंग सुविधा से अछूते क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना शुरू किया।

रूपांतरण और 21 वीं शताब्दी की चुनौतियां

कारोबारी परिवेश में आ रहे क्रांतिकारी परिवर्तन इस ओर संकेत करते हैं कि कारोबारी सफलता स्थायी नहीं रहती है। सूचना प्रौद्योगिकी ने रूपांतरण कार्यक्रम की प्रमुख पहलों के लिए प्रेरित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं बाजार संचालित तंत्र के कारण मैंने अपने अस्तित्व विकास के लिए नई कार्यनीतियां बनाईं। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास एकीकृत ट्रेजरी शाखा की स्थापना के रूप में सामने आया था जिसे संपूर्ण वैश्विक ट्रेजरी परिचालन के निर्माता के रूप में देखा गया है। भविष्य का बैंक बनने की दृष्टि से मैंने नई कारोबारी नीतियां अपनाई हैं जो नई सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीतियों को सहयोग प्रदान कर रही हैं।

मेरा ध्येय

मेरा मिशन, अन्तरराष्ट्रीय मानकों वाला एक ऐसा शीर्षस्थ राष्ट्रीय बैंक बनना है जो सरोकारों, सजगता एवं सक्षमता से बैंक के शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध रहे।

नई कार्पोरेट पहचान - “बड़ौदा सन”

मैंने समय की धारा के साथ-साथ अपनी कार्यकुशलता, सेवा के स्तर के साथ पहचान बदलते हुए ग्राहकों के और अधिक करीब जाना जरूरी समझा। इसी श्रृंखला में अपना प्रतीक चिन्ह बेहतर बनाने के प्रयास में मैंने 6 जून 2005 को नया रूप लिया। बैंक के लिए यह एक नया प्रभात था इस दिन मैंने “बड़ौदा सन” के रूप में अपने नये प्रतीक चिन्ह को अपनाया।

प्रोजेक्ट परिवर्तन - व्यवसाय रूपांतरण की पहल

विजन 2010

नई शताब्दी में प्रवेश के साथ बैंकों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बैंकिंग पुनः परिभाषित की जाने लगी, प्रतिस्पर्द्धा तेजी से बढ़ने लगी, नए प्रतिस्पर्द्धी अपने को अधिक कार्यकुशल बनाने में लग गए और ग्राहक भी प्रौद्योगिकी दक्ष होने लगे। यह ऐसा ही था मानो कोई मार्केट दूसरा जन्म ले रहा हो। इस पृष्ठभूमि में मैंने अपनी भावी कार्यनीति का पुनर्निर्धारण किया।

विजन 2010 के अंतर्गत अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए मैंने विश्वस्तरीय सलाहकार कंपनी मेसर्स मैकेन्जी एंड कंपनी की मदद लेना ही बेहतर समझा। इन रणनीतियों के रूप में मैं अपने को बहुविशेषज्ञ बैंक के रूप में स्थापित करना चाहता था। सभी

व्यावसायिक सेगमेंट्स की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैंने रिटेल, एसएमई, होल्सेल (मझौले कार्पोरेट, मिड कार्पोरेट एवं बड़े कार्पोरेट) तथा ग्रामीण/कृषि व्यवसाय आदि महत्वपूर्ण व्यवसाय सेगमेंट्स को पुनर्परिभाषित किया है।

प्रोजेक्ट परिवर्तन के अंतर्गत मैंने देशभर में रिटेल लोन फैक्ट्रियों की एक श्रृंखला चलाई है। ये फैक्ट्रियां एक विशेष तथा नवोन्मेषी सेल्स एवं डिलीवरी मॉडल का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कि असेम्बली लाइन सिद्धांत पर आधारित है।

ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना

ग्राहक-केंद्रित पहल

आज ग्राहक मुझसे अधिक अपेक्षा करते हैं। वे एक ऐसा वित्तीय सलाहकार मित्र चाहते हैं जो हमेशा उनके साथ मौजूद रह सके। 21 वीं शताब्दी की बैंकिंग ग्राहक और उनको दी जाने वाली सेवाओं की श्रेष्ठता पर टिकी होगी।

जेन-नेक्स्ट शाखा

विभिन्न ग्राहक सेगमेंट को विशिष्ट डिलीवरी चैनल सुलभ करवाने के प्रयासों के रूप में जेन-नेक्स्ट शाखाओं की शुरुआत की गई है जो युवा वर्ग विशेषकर युवा आई.टी. व्यावसायियों को समर्पित है।

अत्याधुनिक डेटा सेंटर

भारत और विदेश स्थित शाखाओं में अपने केंद्रीकृत बैंकिंग सोल्यूशन और अन्य अनुप्रयोगों को चलाने के लिए मैंने अपना अत्याधुनिक वैश्विक डेटा सेंटर स्थापित किया है। डेटा सेंटर अपने घरेलू तथा विदेशी परिचालन हेतु डेटा हब के रूप में काम कर रहा है।

मेरी विकास यात्रा नई ऊंचाईयों को छूने के लिये तत्पर होने लगी जब श्री एम.डी.मल्या ने मेरी बागडोर संभाली। तबसे मेरा विस्तार दिन-दुगुनी और रात-चौगुनी गति से हुआ। 2008-09 में जब श्री एम.डी.मल्या जी ने मेरी बागडोर संभाली तब 3 लाख 37 हजार करोड़ रुपये के व्यवसाय के स्तर पर था जो बढ़कर आज 6 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। श्री मल्या जी के नेतृत्व में 2012 मिड कार्पोरेट शाखाएं खुलने के साथ देश में 500 नई शाखाएं खोली गईं जिनके फलस्वरूप मेरी कुल शाखाएं 4000 से भी अधिक हो गई हैं।

पिछले कुछ वर्षों से स्टाफ के नेतृत्व की क्षमताओं के विकास और प्रतिभा संयोजन के लिए नवोन्मेषी कार्यों का शुभारंभ किया गया। 'उड़ान' और 'स्पर्श' मेरे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं जिससे कर्मचारियों की दक्षता में और निखार आया। 'बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग' एक नई अवधारणा के रूप में सामने आया। इसमें प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को मेरी सेवा करने का अवसर मिलने लगा। प्रौद्योगिकी युक्त नवोन्मेषी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग के तहत मेरी शाखाओं को 'बड़ौदा नेक्स्ट' शाखाओं में परिवर्तित किया गया।

मेरी इस प्रगति की सराहना पूरे बैंकिंग उद्योग में हुई और मुझे अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। इसमें सीएनबीसी - टीवी 18 बेस्ट बैंक अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड द्वारा बेस्ट बैंक अवार्ड और कार्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकाक अवार्ड, एनडीटीवी प्रॉफिट द्वारा बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड द्वारा ही द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज बैंक अवार्ड, द यूटीवी ब्लूमबर्ग फायनेंशियल लीडरशिप अवार्ड, वित्तीय समावेशन के लिए गोल्डन पीकाक अवार्ड आदि प्रमुख हैं। मैं इस बात पर बहुत गौरवान्वित हुआ जब मुझे यह सूचना मिली की 'द बैंकर' लंदन के वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान बैंक ब्रांड रैंकिंग के टाप 500 बैंकिंग ब्रांडों में मेरी स्थिति 47 वें क्रमांक पर आ गई है इससे मैंने कई पायदान एक साथ पार किए।

हमारे पूर्वजों द्वारा रखी मजबूत नींव पर प्रौद्योगिकी, नए उत्पाद व सेवाओं, नए डिलीवरी चैनलों और नवोन्मेषी कारोबारी मॉडल व विश्वस्तरीय श्रेष्ठ पद्धतियों के माध्यम से मैं अपने तमाम शेयरधारकों, ग्राहकों और आम जनता के प्रति प्रतिबद्ध हूं।

महाराजा सयाजीराव गायकवाड के प्रति अपनी कृतज्ञता का प्रतीकात्मक रूप से पुनः इजहार करते हुए मैंने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव नगर गृह ऑडिटोरियम का निर्माण कर वडोदरा म्युनिसिपल कार्पोरेशन को सौंप दिया जिससे नागरिक लाभान्वित हो सकें।

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी पुरस्कारों व सम्मानों की सूची बहुत लंबी है। इसी वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित रिज़र्व बैंक राजभाषा शीलड प्रतियोगिता में 'क' क्षेत्र में प्रथम तथा 'ख' व 'ग' क्षेत्रों में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इंदिरा गांधी

राजभाषा पुरस्कार जैसे सर्वोच्च पुरस्कारों से भी मुझे कई बार सम्मानित किया जा चुका है।

विकास यात्रा के क्रम में आज पूरे देश में मेरे 56 कार्यालय, 13 अंचल कार्यालय, प्रधान कार्यालय एवं कार्पोरेट कार्यालय हैं। आज 24 देशों में मेरी 93 शाखाएं फैल चुकी हैं और देश विदेश में मेरी शाखाओं की संख्या 4000 से अधिक हो चुकी है।

आज मेरे पास सर्वोत्तम टेक्नॉलोजी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आधुनिक सुविधायुक्त डेटा सेंटर कार्यरत है। मैंने कई टेक्नोलोजी पहलों की जिसमें विडों सर्वर वर्चुलाइजेशन, डेस्क टॉप वर्चुलाइजेशन और बैंक ऑफिस कन्सोलीडेशन आदि शामिल हैं। मैंने कोर बैंकिंग प्रणाली को संवर्धित गुणों के साथ उन्नत संस्करण में शिफ्ट किया। इसके समानान्तर ही मोबाईल बैंकिंग, बड़ौदा एम-कनेक्ट, जैसे डिलीवरी चैनलों की भी शुरूआत की।

मेरा ई-बिजनेस विभाग कई वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी, फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

आज मैं राजस्थान व उत्तर प्रदेश में राज्यस्तरीय बैंकिंग समितियों का संयोजक हूँ। मैंने वित्तीय समावेशन के कार्य को अपनी कार्यशैली में आत्मसात कर लिया है। वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए मैंने मोबाइल बैंकिंग बैंक का शुभारंभ किया है।

आज मेरे पास 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। बड़ौदा उत्तरप्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली; बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, अजमेर; बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरुच; नैनीताल-अल्मोडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हलद्वानी; झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ। मार्च 2012 तक इन पाचों बैंकों ने कुल 21693 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया।

मैं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भी सफलतापूर्वक करता रहा हूँ। मैंने पूरे देश में 450 विशिष्ट शाखाओं का चयन किया जिनका एकमात्र मकसद कृषि ऋण को बढ़ाना था।

मैं बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केंद्र जैसे नवोन्मेषी कार्यों की सहायता से ग्रामीण समुदाय को ऋण के संबंध में सलाह, वित्तीय

शिक्षा व अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। इसी तरह 'सारथी' जिसमें 39 एफएलसीसी का समावेश है, के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को वित्तीय साक्षरता व ऋण परामर्श सुविधाएं प्रदान कर रहा हूँ। इसी क्रम में 46 आर-सेटी (बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान) स्थापित किए गए हैं जो वित्तीय साक्षरता के प्रयासों को और आगे बढ़ा रहे हैं।

दूरदर्शी विभूतियां

पिछले 105 वर्षों में ऐसी अनेक दूरदर्शी विभूतियां रहीं जिन्होंने असाधारण कार्य किया और मेरे निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिछले 105 वर्षों के दौरान ऐसे लोग हजारों की संख्या में रहे हैं। मैं इन विभूतियों का अभिवादन करता हूँ जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को महान संस्थान बनाने में मदद की। ऐसे भी नायक थे जिन्होंने एक विजन दिया तथा चुनौतियों के समय बैंक को दिशा-निर्देशित किया और समय की रेत पर अपने अमिट पदचिह्न छोड़े। मैं इन नेताओं का अभिवादन करता हूँ जिनकी दूरदृष्टि ने मुझे एक महान संस्थान बनाने में मदद की। लगातार बेहतर नेतृत्व मिलने की वजह से मैं हमेशा ग्राहकों के लिए समर्पित रहा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में आई तेजी और भारत के बढ़ते हुए अन्तरराष्ट्रीय कारोबार एवं वैश्विक बैंकिंग में हुई बढ़ोत्तरी के साथ मैं देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहयोग करते हुए भारत की विकास गाथा का हिस्सा बन रहा हूँ। मैं और अधिक कुशलता, निष्ठा एवं ग्राहक केंद्रित सेवा प्रदान करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बना सकूँ ऐसी मेरी मनोकामना है।

शेष फिर कभी।



आपका अपना
बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

प्रस्तुतीकरण:

श्रीमती सावित्री सिंह एवं

डॉ. हरियश राय

○○○

कुशल प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी स्वप्रबंधन है। इसके अभाव में कोई भी प्रबंधक तमाम तरह की डिग्रियों और उपकरणों के होते हुए भी प्रबंधन के अपने कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे सकता। आधुनिक प्रबंध विज्ञानी भी इस बात से अब अधिकाधिक सहमत होते जा रहे हैं कि कुशल प्रबंधन की शुरुआत स्वप्रबंधन से होती है। यही कारण है कि अब ऋषि-मुनियों के हमारे देश के प्रबंध संस्थानों के अलावा विश्व भर के ख्यातिनाम प्रबंध संस्थानों के पाठ्यक्रमों में स्वप्रबंधन को शामिल किया जा रहा है और इस विषय पर विद्वान वक्ताओं के व्याख्यान भी नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। आइये, हम देखें कि स्वप्रबंधन है क्या?

स्वप्रबंधन की अवधारणा

स्वप्रबंधन से तात्पर्य स्वयं अपने-आपको व्यवस्थित करना है। स्वयं को समझना, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना तथा उनके अनुरूप आंतरिक परिवर्तन करके बाह्य परिवर्तनों के माध्यम से अपने चरित्र, व्यक्तित्व और दक्षता को निखारना स्वप्रबंधन कहा जाता है।

स्वप्रबंधन का उद्देश्य

स्वप्रबंधन की अवधारणा में ही उसका उद्देश्य निहित है। जैसा कि स्पष्ट है, स्वप्रबंधन का उद्देश्य स्वयं को यथावश्यक रूप से परिवर्तित करना और अपनी क्षमताओं का दोहन करते हुए स्व-विकास की ऊँचाइयों तक पहुंचना है।

स्वप्रबंधन की आवश्यकता

स्वप्रबंधन की अवधारणा और उसके उद्देश्य को जानने के बाद इसकी आवश्यकता को भली-भांति स्थापित किया जा सकता है। कोई भी संस्था किसी प्रबंधक का नियोजन इस उद्देश्य से करती है कि वह संस्था के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संस्था के कार्यों में सामंजस्य सुनिश्चित करते हुए उसके समस्त कार्यकलापों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाए। इसके लिए प्रबंधक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संस्था की सुस्थापित प्रक्रियाओं और क्रियाविधियों के अनुरूप कार्यों को अंजाम देना सुनिश्चित करे,

स्वप्रबंधन

डॉ. रमाकांत शर्मा

सेवानिवृत्त महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई

त्वरित निर्णय करे, उत्पादन या प्रदत्त सेवाओं के लिए जरूरी सामान आदि की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करे, संस्था के विकास और प्रगति में साधक और बाधक घटनाओं पर नजर रखे तथा सही आकलन करके संस्था के हित में परिणाम दे। इस हेतु यह भी जरूरी है कि वह अपने साथ काम करने वाले लोगों की क्षमताओं के सार्थक उपयोग के जरिये बेहतर परिणाम के लिए उन्हें प्रशिक्षित करे, अभिप्रेरित करे और कुशल नेतृत्व प्रदान करे। इन सभी अपेक्षाओं पर वही व्यक्ति खरा उतर सकता है जो स्वयं व्यवस्थित हो। एक ऐसा व्यक्ति प्रबंधक और नेता की भूमिका अच्छी तरह अदा नहीं कर सकता जो स्वयं भ्रमित हो, अव्यवस्थित हो और अपने लक्ष्य/लक्ष्यों के प्रति अभिप्रेरित और प्रतिबद्ध न हो। जो व्यक्ति स्वयं व्यवस्थित नहीं है, उससे व्यवस्था लाने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? वह न तो प्रभावी प्रबंधक की भूमिका निभा सकता है और न ही अच्छा या कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकता है। अतः कुशल प्रबंधन और नेतृत्व के लिए पहले स्वयं को व्यवस्थित करना या स्वप्रबंधन एक अनिवार्य शर्त है।

स्वप्रबंधन-प्रक्रिया

स्वप्रबंधन एक कला और तकनीक है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी प्रबंधन क्षमता को विकसित कर सकता है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए स्वयं को तैयार करता है। इस हेतु उसे अपने व्यक्तिगत संसाधनों का पता लगाना, उनका सही उपयोग करना, यथावश्यक सुधार लाना और उनमें तालमेल बैठाना होता है। एक व्यक्ति के संसाधनों को इन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 1-आंतरिक संसाधन और 2. बाह्य संसाधन।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आंतरिक परिवर्तनों के जरिये ही बाह्य परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अतः हम पहले आंतरिक संसाधनों पर चर्चा करेंगे।

आंतरिक संसाधन

किसी व्यक्ति के आंतरिक संसाधन क्या हो सकते हैं? इन्हें मानसिक या अंतर्निहित संसाधन कहा जा सकता है। ये व्यक्तित्व-निर्माण में अहम् भूमिका निभाते हैं। इन्हें हम आंतरिक गुणों या फिर अवगुणों के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। आइये देखें, हमारे आंतरिक संसाधन कौन से हो सकते हैं और उन्हें किस प्रकार से सुनियोजित किया जा सकता है।

अपनी शक्तियों/क्षमताओं के साथ-साथ अपनी कमजोरियों को पहचानना

हर व्यक्ति में कुछ प्रकृति प्रदत्त गुण होते हैं, जो समय-समय पर उभर कर सामने आते रहते हैं। इनमें से कुछ ही गुणों को पूर्ण रूप से उभर कर सामने आने के पर्याप्त अवसर मिल पाते हैं और उनके बल पर व्यक्ति अपने को सिद्ध करने का प्रयास भी करता है। पर, जिन गुणों के बारे में तो स्वयं को भी कभी पता नहीं चल पाता ऐसे गुणों के बारे में जब तक कोई दूसरा व्यक्ति इंगित नहीं करता, तब तक व्यक्ति को उनका अहसास ही नहीं हो पाता। इस संबंध में रामायण का वह प्रसंग उल्लेखनीय है, जब सीता का पता लगाने के लिए किसी दूत को लंका भेजा जाना था, पर समुद्र पार करके लंका तक पहुंचने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था। उस समय जब संपाति ने इस कार्य के लिए हनुमान जी से कहा तो उन्होंने समुद्र पार करने की अपनी क्षमता में संदेह प्रकट किया। इस पर संपाति ने हनुमान जी को जब उनकी बेहिसाब क्षमताओं का अहसास कराया और उन्हें यह बताया कि वे अपनी अद्वितीय क्षमताओं के बल पर यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, तब जाकर हनुमान जी को अपनी क्षमताओं का भान हुआ और वे आसानी से समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। अतः यह बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति को अपनी व्यक्त क्षमताओं के साथ-साथ अपनी अव्यक्त शक्तियों और क्षमताओं का भी पता हो। यदि उसे इनका पता ही नहीं होगा तो वह उनका कभी प्रयोग ही नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से इसके लिए उसे अपने अंदर झांक कर देखना होगा, दूसरों की टिप्पणियों को गंभीरता से लेना होगा, उनका विश्लेषण करना होगा और उसकी जिन क्षमताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया हो, उनकी वास्तविकता का आधार समझ कर उन्हें विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा।

जिस प्रकार हर व्यक्ति की अपनी आंतरिक शक्तियां/क्षमताएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार आंतरिक कमजोरियां भी होती हैं।

सहनशीलता न होना या आत्मविश्वास की कमी होना या फिर साहस और दृढ़ इच्छा-शक्ति का अभाव होना किसी व्यक्ति की आंतरिक कमजोरियों के उदाहरण के रूप में गिनाए जा सकते हैं।

स्वप्रबंधन के लिए जितना जरूरी अपनी शक्तियों और क्षमताओं को जानना-समझना है, उतना ही जरूरी अपनी निहित कमजोरियों को भी पहचानना है क्योंकि उनसे उबरे बिना स्वप्रबंधन की अवधारणा को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। वास्तव में, स्वप्रबंधन का मूल अपनी क्षमताओं को जानकर उनका सही और पूरा उपयोग करने और अपनी कमजोरियों को समझ कर उन्हें दूर करने में ही निहित है। व्यक्ति में जिन क्षमताओं और शक्तियों का अभाव होता है, वही उसकी कमजोरियां बन जाती हैं। इस संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना होगा -

(i) विश्लेषणात्मक शक्ति

एक व्यक्ति/प्रबंधक में विश्लेषणात्मक शक्ति का होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर उसकी अन्य शक्तियां आधारित होती हैं। जब हम विश्लेषणात्मक शक्ति की बात करते हैं तो इसमें आत्मविश्लेषण के साथ स्थितियों और समस्याओं का विश्लेषण करने की शक्ति दोनों ही शामिल हैं।

जो व्यक्ति आत्मविश्लेषण नहीं कर सकता उसमें सुधार की संभावना नहीं बनती। अतः विश्लेषणात्मक शक्ति की पहचान आत्मविश्लेषण करने की इच्छा और स्वयं में सुधार लाने की इच्छा में प्रतिबिंबित होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्लेषण नहीं करना चाहता, उससे यह अपेक्षा करना व्यर्थ है कि वह अपने आंतरिक संसाधनों को सुदृढ़ बनाने की ओर कदम बढ़ा सकता है। ऐसे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं और यही कारण है कि वे दूसरों की कमियों को ही देखते हैं और उनकी अच्छाइयों/क्षमताओं को नजरअंदाज करते हैं। इससे परस्पर अविश्वास पनपता है और वह व्यक्ति एक कुशल प्रबंधक की भूमिका नहीं निभा पाता।

आत्मविश्लेषण की इच्छा रखने और उसे व्यवहार में लाने की क्षमता के साथ-साथ घटनाओं, स्थितियों और परिस्थितियों के सही विश्लेषण की क्षमता होना भी बहुत महत्व रखता है। इसके अभाव में कोई प्रबंधक विभिन्न स्थितियों और समस्याओं का सही निदान नहीं कर पाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वह उन पर बेहतर ढंग से नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएगा। अतः कहा जा सकता है

कि स्वप्रबंधन के लिए जहां आत्मविश्लेषण पहली सीढ़ी है, वहीं स्थितियों और समस्याओं के विश्लेषण की क्षमता विकसित करके उन पर नियंत्रण हासिल करने की कला विकसित करना अगली सीढ़ी पर चढ़ने के बराबर है।

(ii) सकारात्मक/नकारात्मक सोच

व्यक्ति की सोच उसके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है और कार्यालयीन जीवन भी इसका अपवाद नहीं है। लोग अपनी सोच के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। इससे व्यक्तिगत जीवन और कार्यालयीन जीवन दोनों गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग हमेशा दूसरों के दोष देखते हैं, घटनाओं, स्थितियों और यहां तक कि जीवन के हर पक्ष में निराशा के तत्व ढूंढते हैं। व्यक्ति की यह सोच उसके सभी निर्णयों में झलकती है। इससे वह खुद तो दुःखी रहता ही है, अपने आसपास के लोगों को भी दुःखी रखता है और उनमें निराशा भरता है।

सकारात्मक सोच से सही दिशा मिलती है, जिससे रचनात्मकता को बल मिलता है, सफल होने का विश्वास पनपता है और अपना लक्ष्य पाने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है। अभिप्रेरित व्यक्ति निराशा नहीं, आशा और खुशी का चुनाव करता है। सकारात्मक सोच का व्यक्ति समस्याओं और असफलताओं को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में लेता है तथा अपनी क्षमताओं में विश्वास रखते हुए समाधान खोजने की दिशा में अग्रसर होता है। ऐसा ही व्यक्ति एक कुशल और सफल प्रबंधक बन सकता है। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करना व्यर्थ होगा कि वह स्वयं अभिप्रेरित हो और अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी अभिप्रेरित करे।

यदि प्रबंधक को आत्मविश्लेषण से या फिर अन्य लोगों की बातों और व्यवहार से इस बात का अंदाजा लगता है कि उसकी सोच नकारात्मक है तो स्वप्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में वह उसे स्वीकार करे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास करे।

(iii) निर्णय लेने की शक्ति

एक प्रबंधक के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह सही समय पर सही निर्णय ले सके। किसी भी संस्था का संचालन शीर्ष स्तर पर लिये जाने वाले निर्णयों के साथ-साथ रोजमर्रा के कामकाज के संबंध में विभिन्न स्तरों पर निर्णय लिये जाने पर ही आधारित होता है। यदि निर्णय नहीं लिए जाएंगे तो संस्था का काम आगे नहीं

बढ़ेगा और वह जड़ होकर रह जाएगी। अतः हर प्रबंधक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्य के संबंध में यथावश्यक निर्णय ले। इसे दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि हर प्रबंधक में निर्णय लेने की शक्ति होनी ही चाहिए।

सही समय पर सही निर्णय लेना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए मानसिक दृढ़ता, विश्लेषण शक्ति और साहस की जरूरत होती है। निर्णय लेने की क्षमता सभी लोगों में समान नहीं होती। आंतरिक संसाधन के रूप में कुछ लोगों में त्वरित निर्णय लेने का गुण होता है तो कुछ लोग निर्णय लेने में आवश्यकता से अधिक समय लगाते हैं। साथ ही, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो हमेशा अनिर्णय की स्थिति में बने रहते हैं। अधिकांशतः इसका कारण जिम्मेदारी से बचना होता है। लोग गलत निर्णय हो जाने के भय से निर्णय लेने से ही बचते हैं। जो व्यक्ति प्रबंधक का उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं, उसे अपने भीतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी ही होगी। स्वप्रबंधन की प्रक्रिया में जब हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों का पता लगाते हैं तो यह आसानी से स्पष्ट हो सकता है कि हम निर्णय लेने से बचते तो नहीं हैं। यदि इसका उत्तर “हां” में हो तो इस प्रवृत्ति से बचने के लिए सतर्क होने के साथ-साथ इसमें सुधार के लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं। इस हेतु मानसिक दृढ़ता लाने के साथ-साथ निर्णयन की प्रक्रिया को समझना होगा और उसे व्यवहार में लागू करने के लिए सन्नद्ध होना होगा।

स्वप्रबंधन की इस प्रक्रिया में यदि किसी निर्णय से किसी मामले में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती तो इससे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी वजह से निर्णय लेने से बचना समस्या का समाधान नहीं होगा, वह तो समस्या को और बढ़ा सकता है, अतः यह देखना बेहतर रहेगा कि गलती कहां और कैसे हुई और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। भविष्य में लिये जाने वाले निर्णयों में उक्त गलतियों को न दोहराना स्वप्रबंधन की प्रक्रिया का ही एक अंग है।

(iv) भावनाओं पर नियंत्रण

जब हम किसी व्यक्ति के आंतरिक संसाधनों या उसके निहित गुणों/अवगुणों की बात करते हैं तो भावनाओं पर नियंत्रण कर पाने की उसकी क्षमता पर विचार करना जरूरी होता है। जहां कुछ व्यक्ति क्रोध, नफरत और इसी प्रकार की अपनी अन्य भावनाओं

पर नियंत्रण रखने में कुशल होते हैं, वहीं कुछ लोग इन पर जरा भी नियंत्रण नहीं रख पाते और इस कारण तुरंत प्रतिक्रिया कर बैठते हैं, जिसके उन्हें अकसर दुष्परिणाम भोगने होते हैं। एक कुशल प्रबंधक बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे। वास्तव में, धैर्य और सहनशीलता ऐसे गुण हैं जो व्यक्तित्व को निखारते हैं और किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देते हैं। स्वप्रबंधन की प्रक्रिया अपने इस गुण/अवगुण को समझने और उसमें सुधार का अवसर उपलब्ध कराती है।

(vi) परिवर्तन को स्वीकार करना और पहल करना

इस परिवर्तनशील दुनिया में हर क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। हम सभी अपनी सामान्य बातचीत में भी जमाने के बदल जाने की बात करते रहते हैं। इसके बावजूद हम यथास्थिति में बने रहने को अधिक वरीयता देते हैं। अधिकांश लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते और उसका विरोध करते हैं। इससे उनके अन्य लोगों से पिछड़ जाने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। विशेषकर, प्रबंधकों की दुनिया में नए नियम/विनियम, नए स्थान, नई नीतियां और नई प्रौद्योगिकी आदि अभिन्न अंग होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की स्वभावगत विशेषता इन परिवर्तनों को स्वीकार न करने की होगी तो वह उस संस्था को भी हानि पहुंचाएगा जिसने उसे प्रबंधक के रूप में नियोजित किया है। साथ ही, वह अपने साथ काम करने वालों को भी परिवर्तन को स्वीकार करने और उसके जरिये प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाने से रोकने का कारण बन जाता है।

परिवर्तनों को स्वीकार करने और बदलते परिदृश्य के साथ कदम मिलाने के लाभ तभी मिल सकते हैं जब प्रबंधक पहल करने से नहीं डरता हो। पहल करना आगे बढ़ कर नेतृत्व प्रदान करना है। कुछ लोग स्वयं पहल करने से बचते हैं और चाहते हैं कि यदि कुछ नया करना हो तो दूसरे लोग करें ताकि नए कदम की असफलता का दायित्व उन्हें न लेना पड़े। इस बात में कोई संदेह नहीं कि जब भी कोई नया कदम उठाया जाता है तो उसकी सफलता और असफलता की बराबर की संभावनाएं होती हैं। असफलता का डर तथा परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार न करने वालों की आलोचना के डर से ही अकसर लोग पहल करने से डरते हैं। लेकिन, इसके दुष्परिणामों से बचना स्वयं प्रबंधक के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि संस्था के लिए।

उपर्युक्त को देखते हुए स्वप्रबंधन की प्रक्रिया में इस पहलू पर भी विचार किया जाना अनिवार्य होगा कि परिवर्तनों को स्वीकार करने और पहल करने के संबंध में हमारी स्थिति क्या है। यदि इस संबंध में उत्तर नकारात्मक हो तो अपनी मनोवृत्ति को बदलने के लिए पूर्ण प्रयास किए जाने होंगे ताकि अपने आंतरिक संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जा सके और एक प्रबंधक के रूप में उनका लाभ उठाया जा सके।

(vii) लोगों को साथ लेकर चलना

प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण दायित्व अपने साथ काम करने वाले लोगों को लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित करना और अपने साथ लेकर चलना है। अलग-अलग योग्यता और दक्षता रखने वाले तथा अनुभव और ज्ञान से युक्त व्यक्तियों की टीम की सफलता आपसी सहयोग और टीम भावना पर निर्भर करती है। टीम की सफलता की कुंजी इस बात में निहित है कि उसके सदस्य सामूहिक रूप से कैसा काम करते हैं और प्रत्येक सदस्य अपनी टीम के कार्यनिष्पादन में कैसा और कितना योगदान देता है। किसी भी टीम की सफलता का श्रेय और उसकी असफलता का दोष उसके नेता पर मढ़ा जाता है। इसलिए प्रबंधक, जो कि अपनी टीम को नेतृत्व प्रदान करता है, उसकी सफलता/असफलता का उत्तरदायी होता है। वास्तव में, एक अच्छी टीम तभी बनती है जब उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हों, टीम में आपसी समझ हो, समर्थन और विश्वास हो। पर, जब तक उसे उपयुक्त नेतृत्व प्राप्त नहीं होगा, टीम बिखरी रहेगी।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में स्व-प्रबंधन की प्रक्रिया के दौरान इस बात का आकलन करना जरूरी होगा कि क्या प्रबंधक में लोगों को साथ लेकर चलने की निहित क्षमता मौजूद है? कुछ व्यक्तियों में नेतृत्व की जन्मजात प्रतिभा मौजूद होती है। वे स्वाभाविक नेता होते हैं और अपनी टीम को कुशल नेतृत्व प्रदान करने में उन्हें कठिनाई नहीं होती। लेकिन, हर व्यक्ति में ऐसी जन्मजात प्रतिभा नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को अपने पद के कारण अपनी टीम को नेतृत्व प्रदान करना होता है। वे चाहें या न चाहें उन्हें नेता की भूमिका निभानी ही होती है।

कई अध्ययनों ने इस बात को सिद्ध किया है कि नेतृत्व कला विकसित की जा सकती है। इसके लिए व्यक्ति को खुद की क्षमता के विकास के लिए जागरूक बनना होगा और अपने अंदर नेतृत्व

की क्षमता विकसित करनी होगी। स्वप्रबंधन की प्रक्रिया से इस बात को जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा कि संबंधित व्यक्ति में सबको साथ लेकर चलने की कितनी क्षमता मौजूद है या फिर कोई क्षमता है या नहीं। यदि नहीं तो स्वप्रबंधन की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में इस प्रकार की क्षमता विकसित करने के प्रति जागरूक बनना होगा और निष्ठापूर्ण प्रयास करने होंगे।

(viii) मानवीयता और समानुभूति

किसी भी व्यक्ति में मानवीयता और समानुभूति होना बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में वह किसी का दुःख-दर्द महसूस नहीं कर सकता और क्रूरता की हद तक जा सकता है। मानवीयता और समानुभूति से रहित व्यक्ति दूसरों की संवेदनाओं से नहीं जुड़ पाता, अतः वह उनका सहयोग और विश्वास जीतने में सफल नहीं होता। हम पहले ही इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि प्रबंधक के तौर पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों का विश्वास जीतना और उन्हें साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। स्वप्रबंधन के जरिए इस बात को महसूस किया जा सकता है कि क्या हम दूसरों के दर्द को समझते हैं और उनके सुख-दुःख में शामिल होते हैं? यदि इसका उत्तर “नहीं” में है तो अपनी इस कमजोरी से उबरने के लिए संकल्प के साथ प्रयासरत होना होगा और अपने आंतरिक संसाधनों को समृद्ध बनाना होगा।

(ix) स्वाभिमान और आत्मविश्वास

जिन लोगों में स्वाभिमान और आत्मविश्वास की कमी होती है, उनका व्यक्तित्व प्रभाव छोड़ने में असफल रहता है और वे हमेशा दूसरों के सामने दबे-दबे से रहते हैं और उनके निर्णय दूसरे लोग लेते हैं। जो खुद का सम्मान करना नहीं जानते, वे न तो दूसरों का सम्मान करने के प्रति सतर्क होते हैं और न ही दूसरे लोग उनका सम्मान करते हैं।

आत्मसम्मान से तात्पर्य अनावश्यक रूप से स्वयं पर गर्व करना नहीं है, इसका मतलब हीन भावना का न होना है। हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति स्वयं को दूसरों से कमतर समझता है और उनका सामना करने से बचता है। यह हीन भावना ही व्यक्ति के आत्मविश्वास को हिला देती है और किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही वह उसमें असफलता की आशंका से ग्रस्त हो जाता है। इसका स्वाभाविक परिणाम निराशा होती है जो व्यक्ति को असफलता के द्वार तक ले जाती है। स्वाभिमान और आत्मविश्वास

से रहित व्यक्ति दूसरों का नेतृत्व कैसे कर सकता है? अतः स्वप्रबंधन करते समय स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भावना को समझना और उसे विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को समझना होगा कि यदि चित्त को स्थिर रख कर, सोच-समझ कर और योजनाबद्ध तरीके से परिश्रम किया जाए तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

आत्मसम्मान और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए इस बात पर मनन करना उपयुक्त होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, पर ईश्वर ने सभी मनुष्यों को कर्मशील, बुद्धिमान तथा चिंतनशील प्राणी बनाया है। कई बार अस्वाभाविक परिस्थितियों के कारण पूरे प्रयासों के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती, इसका तात्पर्य यह नहीं हो जाता कि हम दूसरों से कमतर हैं और हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। यदि हम अपनी प्रकृति प्रदत्त कर्मशीलता, बुद्धिमत्ता और चिंतनशीलता जैसे अपने आंतरिक संसाधनों/गुणों का अनुशीलन करेंगे तो पाएंगे कि निराशा मानव का स्वाभाविक गुण नहीं है। मानव का स्वाभाविक गुण है - उत्साह और आत्मविश्वास। मनुष्य का हताश या निराश होकर बैठ जाना उसकी क्षमताओं और योग्यताओं का अपमान है। निराशा प्रगति एवं विकास की गति अवरुद्ध करती है। अतः आत्मविश्वास से रहित कोई व्यक्ति प्रबंधक के रूप में कभी सफल नहीं होगा क्योंकि वह स्वयं तो हीनभावना और निराशा के गर्त में डूबा ही रहेगा, अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी लक्ष्य/लक्ष्यों के प्रति कभी अभिप्रेरित नहीं कर पाएगा। स्वप्रबंधन की प्रक्रिया इस विषम स्थिति से उबरने का बेहतरीन मौका देती है क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी इस कमी को समझ कर अपनी सोच की दिशा बदल सकता है।

(x) ईमानदारी

ईमानदारी मनुष्य का ऐसा गुण है जो उसे सम्मान दिलाता है और आगे बढ़ाता है। यदि प्रबंधक के रूप में नेतृत्व प्रदान करते समय लोगों का विश्वास हासिल करना है तो उसका एकमात्र उपाय उनके विश्वास पर खरा उतरना। उनसे जो वादे किए जाएं, वे उन्हें भ्रमाने के लिए नहीं होने चाहिए। यदि प्रबंधक उनके साथ ईमानदारी नहीं बरतेगा तो वह निश्चित रूप से उनका विश्वास खो देगा और उसके परिणामस्वरूप सम्मान भी खो देगा। यह ईमानदारी सभी स्तरों पर होनी चाहिए जिसमें शामिल हैं - स्वयं के प्रति ईमानदारी,

संस्था के प्रति ईमानदारी, अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी और अपने साथियों के प्रति ईमानदारी। यह बात ध्यान देने की है कि बेईमानी की उम्र बहुत लम्बी नहीं होती, वह देर-सबेर पकड़ी जाती है, और जैसे ही सामने आती है, शर्मिंदगी और अनादर का कारण बनती है।

यह सच है कि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा झूठ बोलना अनिवार्य हो जाता है जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता हो। पर, अक्सर यह देखा जाता है कि लोग बिना बात हर समय झूठ और बेईमानी का सहारा लेते हैं। यह उनकी आदत में शुमार हो जाता है। आत्मविश्लेषण के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति कितनी ईमानदारी बरतते हैं और यथावश्यक रूप से अपनी अंतश्चेतना को जगाकर आंतरिक संसाधनों को सुदृढ़ बना सकते हैं।

(xi) दृढ़ इच्छा-शक्ति और साहस

दृढ़ इच्छा-शक्ति और साहस किसी भी नेतृत्व को बल प्रदान करते हैं। कमजोर इच्छा-शक्ति वाले और भयभीत व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह लोगों का नेतृत्व करे क्योंकि ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने से बचता है और अपनी जिम्मेदारियों को टालता है। हमने ऊपर इस बात पर चर्चा की है कि प्रबंधक को नेतृत्व प्रदान करते समय पल-पल पर निर्णय लेने ही होते हैं। कई बार साहस भरे निर्णय लेने की भी जरूरत होती है।

एक भयभीत व्यक्ति तनाव और चिंता से खुद तो ग्रस्त रहता ही है, अपने आस-पास के लोगों को भी तनावग्रस्त रखता है। इसके अलावा, भय नकारात्मक सोच, हिंसा, ईर्ष्या और घृणा को भी जन्म देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों का सम्मान हासिल नहीं कर सकता और इसलिए उसकी नेतृत्व की क्षमता बाधित होती है। एक साहसी व्यक्ति में ही दृढ़ इच्छा-शक्ति होती है, भयभीत व्यक्ति तो पलायनवाद का आसानी से शिकार हो जाता है। अतः उसके लिए आसान लक्ष्यों को पाना भी आसान नहीं रह जाता।

स्वप्रबंधन के जरिये कोई भी व्यक्ति साहस और दृढ़ इच्छा-शक्ति की कमी को दूर करने का गंभीर प्रयास कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये आंतरिक कमजोरियां प्रकृति प्रदत्त होती हैं और व्यक्ति के स्वभाव का एक हिस्सा बन जाती हैं, अतः इन्हें बदला नहीं जा सकता। पर, ऐसा नहीं है क्योंकि यदि हम गंभीर रूप से विचार करेंगे तो पाएंगे कि अधिकतर भय मनोवैज्ञानिक

होते हैं जो नकारात्मक सोच का परिणाम होते हैं। वास्तव में, इस प्रकार के अधिकांश भय बिना किसी कारण के हम स्वयं सृजित करते हैं और बेकार ही परेशान होते रहते हैं। अतः सतर्कता तथा मनोचिकित्सक की सलाह से इस अकारण भय से मुक्ति पाई जा सकती है।

(xii) प्रतिबद्धता

अपनी हर असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने वाले लोगों को यह नहीं पता कि सफलता के लिए असंदिग्ध प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। इसीलिए बुद्धिमान लोगों की भाषा प्रतिबद्धता की भाषा होती है। चाहे नेता हो या टीम के सदस्य, उन्हें सबसे बड़ी शक्ति उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता से ही प्राप्त होती है। अपने मिशन को पाने वाले तमाम लोग मिशन के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं।

प्रतिबद्धता भीतर की सभी शक्तियों को एकजुट करती है। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति अपने वचन को हर विधि निभाना चाहता है तो उसके अंदर की शक्तियां उसके विपरीत जाने का औचित्य ठहराने से उसे रोकेंगी और हतोत्साहित करेंगी, अन्यथा वह अपनी असफलता का औचित्य ढूंढ ही लेंगी। लेकिन प्रतिबद्धता हमारे भीतर के विचारक को बलवान बनाती है और सही विकल्प चुनने में समर्थ बनाती है।

एक प्रबंधक और नेता के लिए स्वयं में और अपने साथ काम करने वालों में प्रतिबद्धता जगानी जरूरी है। किसी भी प्रकार की कमजोरी व्यक्ति में निराशा भरती है, इससे बचने के लिए उसे अपनी शक्तियों को ताकत देनी होगी। जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है, सबसे बड़ी शक्ति उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की ऊर्जा से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा अलभ्य या क्षणिक नहीं होती, जरूरत सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए अपने कान खुले रखने की है, स्वप्रबंधन इसके लिए बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराता है।

(xiii) विचार शक्ति

स्वप्रबंधन किसी भी व्यक्ति को अपनी विचार शक्ति जानने का भी मौका देता है। विचार शक्ति से तात्पर्य किसी मुद्दे को हर पहलू से समझना और तर्कयुक्त तरीके से उसका गंभीर विश्लेषण करना है ताकि सही दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इसलिए सही निर्णय लेने के लिए व्यक्ति में विचार शक्ति का होना बहुत आवश्यक

है। बिना विचार किए जो कार्य किए जाते हैं, उनके परिणाम कभी मनमाफिक नहीं होते। कहा भी गया है कि “बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताया।” इसका मतलब यही है कि यदि अपने निर्णयों पर पछताना न हो तो सोच-समझ कर ही निर्णय किए जाने चाहिए। अन्य सभी आंतरिक संसाधनों की तरह अलग-अलग व्यक्तियों में विचार शक्ति अलग-अलग होती है। कुछ लोग संबंधित विषय के विभिन्न पहलुओं पर पूरी तरह विचार किए बिना तेजी से आगे बढ़ने को ही यह मान लेते हैं कि वे काम तेजी से निपटाने में कुशल हैं। कई बार वे अनुभवी और जानकार लोगों से चर्चा भी नहीं करते और उन्हें जो भी करना होता है, उसे करते चले जाते हैं। प्रबंधन या नेतृत्व का यह तरीका कतई उचित नहीं हो सकता।

कई बार तात्कालिक आवश्यकता या आपातकाल को देखते हुए त्वरित निर्णय लेना अनिवार्य होता है। लेकिन, इसका यह मतलब नहीं होता कि बिना सोचे-समझे कोई भी कदम उठा लिया जाए। स्थिति को समझना और तर्कसम्मत निर्णय लेना हर स्थिति में अपेक्षित है। जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर इतनी क्षमता विकसित की जाए कि समस्या/मुद्दे के सभी पहलुओं पर तेजी से नजर डालते हुए सटीक निर्णय पर पहुंचा जा सके। इसके लिए सतर्कता बरतने के साथ-साथ अपनी तर्क क्षमता बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय किए जा सकते हैं जिसमें विचारमंथन सत्रों में भाग लेना तथा बैठकों में दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और उन पर मनन करना शामिल है।

(xiv) स्वयं उदाहरण बनना

एक प्रबंधक या नेता के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं उदाहरण बने। यदि वह चाहता है कि लोग काम पर बिलकुल ठीक समय पर पहुंचें तो उसे पहले स्वयं कार्यस्थल पर ठीक समय पर पहुंचना चाहिए। वह खुद देर से आएगा तो उसकी बात को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। अक्सर यह देखा जाता है कि हम जिन चीजों की अपेक्षा दूसरों से करते हैं, स्वयं ठीक उसका उल्टा करते हैं। निश्चित रूप से ऐसी आदत से बचना होगा। स्वप्रबंधन इस संबंध में स्वयं की समीक्षा करने और अपनी इस आदत में सुधार लाने का महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है।

(xv) अन्य

स्वप्रबंधन करते समय उपर्युक्त के अलावा जिन अन्य आंतरिक संसाधनों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा उनमें नैतिकता

का पालन, मनोबल, दूसरों को हेय दृष्टि से न देखना तथा जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना, उन्मुक्त प्रशंसा करना, स्वस्थ आलोचनाओं को प्रोत्साहन देना तथा अधीनस्थों की भावनाओं को समझना और उनका आदर करना आदि को शामिल किया जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वप्रबंधन की शुरुआत आत्मविश्लेषण से होती है और आंतरिक संसाधनों की समीक्षा के बाद सामने आई कमजोरियों को सुधारने या उन्हें सुनियोजित करने के लिए कदम उठाने के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता। एक बार अपनी आंतरिक शक्तियों को मजबूत बनाने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि अपने बाह्य संसाधनों को भी सुनियोजित किया जाए। बाह्य संसाधन क्या हैं और उन्हें सुनियोजित किया जाना क्यों जरूरी है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे।

बाह्य संसाधन

इस विषय पर आगे चर्चा करने से पहले इस बात पर पुनः बल दिया जाना आवश्यक है कि आंतरिक परिवर्तनों से ही बाह्य परिवर्तन लाए जा सकते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी दीवार को साफ किए बिना उस पर यदि रंग कर दिया जाता है तो रंग या तो नहीं होगा या फिर उसके बाद भी अंदर की गंदगी झांकती रहेगी। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि एक बीमार व्यक्ति को बाहर से कितना ही सजाने-संवारने की कोशिश की जाए, उसका कोई फल नहीं निकलेगा। स्वस्थ मन से ही स्वस्थ शरीर बनता है और उसी का तेज चेहरे पर दिखाई पड़ता है। अतः बाह्य संसाधनों को व्यवस्थित करने से पूर्व आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करना आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य भी है। आइये, निम्नलिखित बाह्य संसाधनों और उनकी दुरुस्ती पर एक नजर डालें।

(i) स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता

इस बात में असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है कि स्वस्थ शरीर में ही काम करने और सोचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न होती है। बीमारियों से ग्रस्त शरीर वाला व्यक्ति चाह कर भी कोई काम नहीं कर पाता क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। कमजोरी और बीमारियों से जुड़ी अन्य परेशानियों के कारण उसके सोचने-विचारने की शक्ति भी प्रभावित होने लगती है और वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इससे उसमें निराशा की भावना पनपती है और वह अपने आस-पास के लोगों में भी

नैराश्य भरता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति स्वयं तो परेशान होता है और कष्ट उठाता ही है, उसकी तीमारदारी करने वालों को भी परेशानी होती है और वे भी शारीरिक तथा मानसिक कष्ट उठाते हैं। निश्चित तौर से किसी भी व्यक्ति/प्रबंधक के लिए यह स्थिति सुखद नहीं होगी क्योंकि वह शारीरिक कमजोरियों और बीमारियों के कारण अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाएगा, लोगों को कुशल नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाएगा और इस प्रकार अपने साथियों ही नहीं, संस्था पर भी बोझ बन जाएगा।

जिस प्रकार स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन बनता है, ठीक उसी प्रकार से स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर बनता है। वस्तुतः ये अन्योन्याश्रित हैं। उदाहरण के लिए, आज आधुनिक चिकित्सक भी इस बात को मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की सोच नकारात्मक है, तो उसके भीतर ऐसे रसायनों का स्राव होने लगता है जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और भीतर ही भीतर कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अतः स्वप्रबंधन के जरिये अपने सोच को सकारात्मक बनाने के बाद शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। इसके लिए सकारात्मक विचार रखने के साथ-साथ, समय पर उठना, समय पर पोषक तत्वों से युक्त भोजन करना, नशे आदि से दूर रहना, व्यायाम करना और नींद भर कर सोना बहुत जरूरी है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रह कर अपने शरीर रूपी उस मंदिर को साफ-सुथरा रखा जा सकता है जिसमें वह आत्मा निवास करती है जो जीवन की सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। जो लोग अपने शरीर के प्रति लापरवाह होते हैं, वे बीमारियों को न्यौता देकर स्वयं को अशक्त बनाते हैं और अपनी शारीरिक ही नहीं मानसिक शक्ति के क्षय का भी कारण बनते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियों को वहन करने में भी सफल नहीं हो पाते। अतः स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता रखना वांछनीय ही नहीं, अनिवार्य भी है। स्वप्रबंधन के जरिये इस संबंध में जागरूकता लाई जा सकती है और अपने शरीर को यथावश्यक रूप से स्वस्थ रखने के लिए सभी संभव प्रयास शुरू किए जा सकते हैं।

(ii) पारिवारिक जीवन में संतुलन

यदि पारिवारिक जीवन में असंतोष और असंतुलन होता है तो मनुष्य सामान्य जीवन नहीं जी पाता। इससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर होता है और उसे वे सभी दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं जिनका उल्लेख स्वास्थ्य के प्रति

सतर्कता विषय पर चर्चा करते समय किया गया है। परिणामस्वरूप, पारिवारिक असंतुलन का दुष्प्रभाव कार्यस्थल पर भी पड़ना अवश्यभावी होता है। यही कारण है कि बड़ी और अच्छी कंपनियां अपने कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी चिकित्सा, शिक्षा, बीमा, आवास आदि जैसी सुविधाओं के साथ-साथ अन्य बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं ताकि कर्मचारी इन पारिवारिक समस्याओं से मुक्त रह कर अपने कार्यालयीन कर्तव्यों को भली-भांति निभाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। पारिवारिक जीवन में असंतुलन, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ के अभाव से भी उत्पन्न हो सकता है। स्वप्रबंधन के माध्यम से पारिवारिक जीवन में असंतुलन के कारणों की बेबाक समीक्षा की जा सकती है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर तथा दूसरों की भावनाओं को समझकर पारिवारिक जीवन में संतुलन लाने का प्रयास किया जा सकता है।

(iii) तकनीकी दक्षता रखना और स्वयं को अद्यतन बनाए रखना

यह बहुत जरूरी है कि व्यक्ति जिस किसी काम से जुड़ा हो, उसे उसकी पूरी तकनीकी जानकारी हो। विशेषकर, प्रबंधक की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के लिए तो यह अनिवार्य है कि वह अपने काम के संबंध में पूरी तकनीकी दक्षता रखे और उसे निरंतर अद्यतन भी बनाए रखे। ऐसा करने पर ही वह अपने काम को पूरी तरह से समझ सकता है, उसे सही रूप से अंजाम दे सकता है तथा अपने अधीनस्थों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। साथ ही, अपने काम से संबंधित तकनीकी दक्षता रखने और उसे अद्यतन बनाए रखने के बाद ही वह अपने उद्देश्य को पाने के लिए सटीक योजना बना सकता है, उसे कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ता से कदम उठा सकता है, कमजोरियों पर निगरानी रख सकता है तथा अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों को उचित सलाह दे सकता है। स्वप्रबंधन करते समय इस बात पर नजर डालनी होगी कि व्यक्ति/प्रबंधक जिस कार्य से जुड़ा है, क्या वह उसकी तकनीकी बातों को अच्छी तरह से समझता है और उन्हें अद्यतन बनाने के लिए सतर्क रहता है? यदि नहीं तो वह उपयुक्त दक्षता हासिल करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर सकता है, अपने संस्थान/संस्था से उसे उपयुक्त प्रशिक्षण दिलाने का आग्रह कर सकता है, अपने वरिष्ठ या जानकार कनिष्ठ साथियों से सीखने के लिए प्रेरित हो सकता है और अपने ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने

के लिए तकनीकी पत्रिकाएं आदि पढ़ने के अलावा गोष्ठियों, सेमिनारों में भाग लेने के साथ-साथ ऐसे अन्य सभी कदम उठा सकता है जो उसके तकनीकी ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं।

(iv) समय प्रबंधन

यह हमारे बाह्य संसाधनों को नियोजित करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रकृति ने हमें कुल 24 घंटे ही दिये हैं। इनमें हमें अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक कार्यों के अलावा ऑफिस के भी काम निपटाने होते हैं। अक्सर लोग यह कहते पाये जाते हैं कि उनके पास समय का अभाव रहता है और वे अपना कोई काम समय पर नहीं निपटा पाते। वास्तव में, समय का प्रबंधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह तो सीमित और निश्चित है, हमें अपने काम का प्रबंधन इस प्रकार करना होगा कि वह उसके लिए नियत समय पर पूरा हो जाए। कुछ लोगों में यह स्वभावगत विशेषता होती है कि वे जल्दी उठते हैं, अपने कामों की प्राथमिकताएं तय करते हैं और उन्हें योजनाबद्ध तरीके से निपटाते हैं ताकि सभी काम तय समय पर पूरे हो सकें। वे यह भी देखते हैं कि ऐसे कौन से व्यवधान हैं जो उनके समय को नष्ट करते हैं तथा उन व्यवधानों से बचने का प्रबंध भी करते हैं। लेकिन, अधिकांशतः इसके विपरीत ही स्थिति देखने को मिलती है। अतः स्वप्रबंधन करते समय इस महत्वपूर्ण पहलू पर नजर डालनी आवश्यक होगी। यदि जरूरी हो तो समय प्रबंधन की कला विकसित करनी होगी। जहां तक प्रबंधक का संबंध है, उसे इतने सारे और इतनी तरह के काम समयबद्ध रूप से करने होते हैं कि उसे समय प्रबंधन किए बिना लक्ष्य हासिल करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने बाह्य संसाधनों को सुनियोजित करते वक्त समय प्रबंधन को अपेक्षित महत्व देना बहुत जरूरी होगा।

(v) सुनना

वैसे तो सुनना जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर प्रबंधक के लिए सुनना बहुत जरूरी है ताकि वह अपने साथ काम करने वाले लोगों की भावनाओं को समझ सके, उनकी वास्तविक समस्याओं को समझ सके, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सके और उनके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सके। इस प्रकार, किसी भी प्रबंधक की प्रभावशीलता उसकी सुनने की कला पर निर्भर करती है।

यह उल्लेखनीय है कि सब अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरों की बात सुनने का धैर्य उनमें नहीं होता। जो प्रबंधक सुनने की कला में दक्ष नहीं होते, वे कभी भी अपने साथ काम करने वालों की भावनाओं और व्यवहार को नहीं समझ पाते। यही कारण है कि जब भी किसी प्रबंधक से उसकी सबसे बड़ी समस्या के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा उनकी बड़ी समस्या में परस्पर संघर्ष, आपसी झगड़े, संवादहीनता और जरूरी परिवर्तनों का विरोध शामिल होते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे की बात को सुनने और समझने की कोशिश करता है तो इस प्रकार की समस्याओं के लिए कोई स्थान नहीं होता।

हम सभी यह मानते हैं कि हम श्रवण कला में माहिर हैं, जबकि अक्सर यह गलतफहमी के अलावा और कुछ नहीं होता। ज्यादातर हम सुनने का बहाना कर रहे होते हैं। संजीदगी से किसी की बात सुनना बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा श्रोता बनने के लिए सिर्फ कान ही खुले रखना काफी नहीं है, उसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना होगा-

- क्या सुनते समय हमारा पूरा ध्यान सुनाने वाले की ओर केंद्रित होता है? हम उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखते हैं या नहीं? यदि इसका उत्तर “नहीं” में है तो इसका मतलब यह है कि हमारा ध्यान कहीं और है और उसकी बातों में हमें कोई रुचि नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना होगा कि अधिकतर शब्दों के बजाय कहने वाले की आंखें ज्यादा बोलती हैं। यदि हम उसकी आंखों में नहीं देख रहे होते तो बहुत कुछ अनसुना रह जाता है।
- शब्दों में अपनी बात कहने वाला अपने हाव-भावों के माध्यम से भी बहुत कुछ अभिव्यक्त करता है। वास्तव में, हम सभी अपने खड़े होने, बैठने, हाथ/पैर हिलाने तथा चेहरे के भावों के माध्यम से बहुत कुछ कहने और समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा श्रोता इस बात को समझता है और उन पर पूरा ध्यान देता है।
- सुनने वाले की भाव-भंगिमा भी बहुत महत्व रखती है। सुनाने वाले को यदि उसकी भावभंगिमा से यह आभास होता है कि उसकी बात ध्यान से सुनी, समझी और स्वीकार की जा रही है, तो वह अपनी बात को सही ढंग से और उत्साह से सुनाएगा।

- सुनने की कला का एक जरूरी हिस्सा यह है कि जब सुनाने वाला अपनी बात पूरी कर चुके तब बिना अपनी तरफ से कुछ जोड़े उसकी भावनाओं, विचारों और सुझावों का सार उसके सामने रखा जाए ताकि उस तक यह संदेश पहुंचे कि उसकी बात को ध्यान से सुना और समझा गया है। अगर जरूरी हो तो उसकी बात पूरी होने पर ही उस पर प्रतिक्रिया दी जाए। बीच में यदि कोई प्रश्न किए जाएं तो वे उसे उत्तेजित करने या बोलने से रोकने के लिए न हों, बल्कि उसकी बात को अच्छी तरह समझने के लिए हों।

उक्त बातों का ध्यान रख कर अपनी सुनने की कला को बेहतर बनाया जा सकता है।

(vi) सूचना प्रणाली का सही उपयोग करना

हर संस्था की अपनी एक सूचना प्रणाली होती है, जिसके जरिये विभिन्न स्तरों पर और केंद्रीय स्तर पर सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चित किया जाता है ताकि उनसे अद्यतन स्थिति की जानकारी मिल सके और उनके आधार पर जहाँ कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई समय रहते की जा सके। इनके आधार पर कई बार नीतिगत निर्णयों में परिवर्तन भी किए जाते हैं।

इस प्रकार की सूचनाएं आवधिक विवरणियों के जरिए या फिर नियमित बैठकों के जरिये या फोन पर या फिर ऑडिटर्स की रिपोर्टों/निरीक्षण रिपोर्टों के अलावा अन्य अनौपचारिक स्रोतों से भी प्राप्त की जाती हैं। प्रबंधकों के लिए इस सूचना प्रणाली का बहुत महत्व होता है क्योंकि इन्हीं के आधार पर वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, उनके कार्यकलापों और उत्पाद/बिक्री आदि जैसे कार्यकलापों पर निगरानी तथा नियंत्रण रख पाते हैं। पर, अकसर देखा यह गया है कि इस सूचना प्रणाली का कारगर उपयोग नहीं किया जाता। जो आवधिक रिपोर्टें रूटीन के तौर पर आती हैं, उन्हें कई बार तो बिना पढ़े ही फाईल कर दिया जाता है। उनके विश्लेषण करने से जो महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आ सकते हैं, वे यूँ ही नजरअंदाज हो जाते हैं और बाद में इसके बड़े दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं।

सूचना प्रणाली के उपयोग से संबंधित एक पहलू यह भी है कि कभी किसी विशेष कारण से जो विवरणी मंगाई जाती है, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद भी उसका मंगाया/भेजा

जाना जारी रहता है। इससे विवरणी भेजने और मंगाने वाले दोनों का ही बहुत सा कीमती समय खराब होता है। अतः सूचना प्रणाली को व्यवस्थित करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि उसका सदुपयोग करना। इसे ध्यान में रखते हुए स्वप्रबंधन करते समय प्रबंधक को इस बात का भी आकलन करना चाहिए कि क्या वह सूचना प्रणाली का पूरा उपयोग करता है? यदि नहीं, तो उसे इस संबंध में सतर्क होना होगा और अपने बाह्य संसाधनों को सुनियोजित करने के एक भाग के रूप में यह देखना होगा कि वह अपने भीतर सूचना प्रणाली का कारगर उपयोग करने की दृष्टि और क्षमता विकसित करे।

(vii) अन्य

उपर्युक्त के अलावा एक प्रबंधक को अपनी संप्रेषण दक्षता, अभिप्रेरण शक्ति, दिशानिर्देशन, प्रत्यायोजन कुशलता, परिवर्तन के साथ तादात्म्य बैठाने की इच्छा, संघर्ष को टालने और समस्याओं को सुलझाने की दक्षता जैसे बिंदुओं पर भी नजर डालना बेहतर रहेगा।

स्वप्रबंधन के मार्ग की बाधाएं

स्वप्रबंधन के मार्ग की बाधाओं को निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता है-

(i) आवश्यकता न समझना

स्वप्रबंधन के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा इसकी आवश्यकता न समझना है। अधिकांश लोग स्वयं को दूसरों से बेहतर समझते हैं और कभी भी अपनी कमजोरियों पर नजर डालने की नहीं सोचते। कमजोरियां तो दूर, स्वयं को समझने और अपनी शक्तियों को भी जानने का कोई प्रयास नहीं करते। वास्तव में, अपने व्यवहार, अपनी भावनाओं, अपनी जीवन-दृष्टि, अपने जीवन मूल्य और अपनी छवि को भी लोग गंभीरता से नहीं लेते। इसके परिणामस्वरूप, जहाँ लोगों के अंदर की शक्तियों का पूरा दोहन नहीं हो पाता, वहीं उनकी कमजोरियां भी बनी रहती हैं। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत तो इस बात की है कि लोग स्वप्रबंधन की आवश्यकता को समझें और इसके प्रति जागरूक बनें।

(ii) नकारात्मक सोच

अधिकांशतः नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति ही स्वप्रबंधन की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते। वे किसी भी चीज के

अच्छे पक्ष को नहीं देखते। साथ ही, इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं होते कि प्रकृति प्रदत्त कमजोरियों पर विजय पाई जा सकती है या उनमें सुधार किया जा सकता है। किसी चीज को शुरू करने से पहले ही उसमें सफलता न मिलने की आशंका रखने वाले लोगों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे स्वप्रबंधन की सफलता में विश्वास रखेंगे। ऐसे लोग अपनी खुद की क्षमताओं में भी विश्वास नहीं रखते, अतः उनके बारे में जानने-समझने और उनका बेहतर उपयोग करने की दिशा में कोई कदम उठाने के लिए कभी प्रवृत्त नहीं होते, जबकि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि निष्ठा और विश्वासपूर्वक किए गये प्रयासों के सुफल मिलते ही हैं और स्वप्रबंधन भी इसका अपवाद नहीं है।

(iii) पूर्वाग्रह

कुछ लोग स्वप्रबंधन की आवश्यकता को स्वीकार करने के बाद भी स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। इसका कारण उनकी मान्यताएं, संस्कार और जीवन-शैली होती है। ऐसे लोग यथास्थितिवादी होते हैं और किसी भी प्रकार का परिवर्तन उनके लिए कष्टकारी होता है। ये लोग अकसर यह कहते पाये जाते हैं कि वे जैसे हैं, वैसे ही बने रहेंगे। वे अपनी परंपराओं पर हठ की सीमा तक डटे रहने में विश्वास करते हैं चाहे उन्हें इसके कुछ भी दुष्परिणाम क्यों न भोगने पड़ें। सच कहा जाए तो ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अंधेरे को दोष देते रहते हैं लेकिन खुद दिया जलाने की पहल नहीं करते। इस प्रकार पूर्वाग्रह स्वप्रबंधन के मार्ग की बड़ी बाधा बन जाता है।

स्वप्रबंधन कुशल प्रबंधन की नींव

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि स्वप्रबंधन स्वयं को एक बेहतर इंसान बनाने की पहल है क्योंकि इसकी शुरुआत अपनी कमजोरियों को समझने और उनसे उबरने के प्रयासों से होती है। साथ ही, यह अपनी क्षमताओं को जानने और उन्हें प्रयुक्त करने के लिए स्वयं को संवारने का स्वयं को दिया गया एक सुनहरा अवसर भी है। एक अच्छा इंसान और अपनी क्षमताओं को समझ कर उन्हें सृजबूझ के साथ प्रयुक्त करने में सक्षम व्यक्ति ही प्रबंधक की भूमिका कुशलतापूर्वक निभा सकता है क्योंकि तकनीकी जानकारी के साथ-साथ उसे अपनी टीम को नेतृत्व भी प्रदान करना होता है, जिसके लिए उसे सकारात्मक सोच रखने के अलावा मानवीयता और समानुभूति, पहल, भावनाओं पर नियंत्रण रखना, परिवर्तन को स्वीकार करना, साहस, स्वाभिमान और आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा-शक्ति, ईमानदारी, लोगों को साथ लेकर चलना और स्वयं उदाहरण बनना जैसे गुणों से परिपूर्ण होना होगा। स्वप्रबंधन के जरिए अपने भीतर उक्त गुण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और अपने आंतरिक संसाधनों को सुनियोजित किया जा सकता है।

आंतरिक संसाधनों को सुनियोजित करने के बाद बाह्य संसाधन अर्थात् स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन में संतुलन, तकनीकी दक्षता, समय-प्रबंधन, सूचना प्रणाली का सही उपयोग, उन्नत श्रवण कला आदि को सुनियोजित करते हुए कोई भी व्यक्ति/प्रबंधक अपने क्षेत्र की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है और अपने जीवन तथा कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकता है।

○○○

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

जिसे संक्षिप्त में एफटीए के नाम से जाना जाता है उसका मतलब होता है दो या अधिक देशों के बीच में बिना रोक-टोक के आयात-निर्यात का होना। इसका मतलब है कि आयात और निर्यात पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध या शुल्क नहीं लगाया जाएगा। एफटीए में वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करने में मांग और पूर्ति मुख्य कारक होते हैं। इससे देशों और उनकी कंपनियों को बाजार में सीधे पहुंच मिल जाती है। साथ ही सरकार का बाजार से एकाधिकार भी खत्म हो जाता है।

दुनिया में ज्यादातर देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं जो व्यापार में बाधाओं का विरोध करता है। एफटीए की संकल्पना सबसे पहले 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक 'द वेल्थऑफ नेशन्स' में सामने आई थी। अब बहुत सारे देश क्षेत्रीय स्तर पर भी फ्री ट्रेड समझौते कर रहे हैं लेकिन इन समझौतों में घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए सीमित मात्रा में कदम उठाने या शुल्क आदि लगाने का प्रावधान किया जा रहा है।

हालांकि कुछ लोग क्षेत्रीय स्तर पर हो रहे समझौतों को विश्व व्यापार संगठन की नाकामी का नतीजा भी मानते हैं। अगर किसी देश में बाहर से आने वाले आयात का ठीक ढंग से प्रबंधन करने की क्षमता है तो यह समझौता फायदे की चीज है नहीं तो यह घरेलू उद्योगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वैसे डब्ल्यूटीओ भी घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए आंशिक कदम उठाने की छूट देता है।

प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर, प्रति व्यक्ति आय, घरेलू बचत दर, विदेशी ऋण आदि का बड़ा योगदान होता है। आधुनिक समय में इन कारकों के अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की भागीदारी तथा देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी विशेष महत्व रखता है। इसीलिए दुनिया में प्रत्येक देश अपने पास विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है। विभिन्न देशों के लिए इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ देशों ने अपने विदेशी व्यापार में लाभ से विदेशी मुद्रा का भंडार जमा किया है, जबकि कुछ देशों के लिए अपने विदेशी व्यापार में घाटे तथा उच्च विदेशी देयताओं के कारण विदेशी मुद्रा का भंडार रखना मजबूरी बन गया है। आधुनिक युग में किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार को आर्थिक समृद्धि की नजर से भी देखा जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार के स्रोत

किसी भी देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति विदेशी निवेश, माल के निर्यात से होनेवाली आय, विदेशों से मिलनेवाले ऋण व बाहरी मदद के रूप में होती है जबकि विदेशों में निवेश, माल के आयात का भुगतान, विदेशी ऋण के ब्याज का भुगतान में खर्च होती है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तथा उसके भुगतान के बाद के आधिक्य से विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा होता है। चीन, जापान आदि देशों में आयात के मुकाबले निर्यात से आय काफी अधिक रही है जिससे उन्होंने विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार जमा कर लिया है। लेकिन भारत और ब्राजील ऐसे देश हैं जिन्होंने अनेक वर्षों से अपने चालू खाते (निर्यात से अधिक आयात के कारण) में घाटे के बावजूद बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा किया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा योगदान विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), अनिवासी भारतीयों के जमा, विदेशों से सरकार को प्राप्त सहायता आदि का है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

आर. एस. तिवारी

सहायक प्रबंधक,

भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़

20 साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोत्तरी

पिछले 20 सालों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.84 बिलियन डॉलर रह गया था जो कि हमारे देश के एक माह के आयात बिल के भुगतान के लिए भी पर्याप्त नहीं था। उसी वर्ष भारत को विदेशों में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। उसके बाद ही हमारे देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। देश में विदेशी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए उदारिकरण की नीति अपनाई गई। विदेशी निवेश बढ़ने के साथ ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से बढ़ोत्तरी देखने को मिली और यह 2004 में 100 बिलियन डॉलर तक और 2008 में 300 बिलियन डॉलर के पार पहुँच गया। 2008 में पूरी दुनिया में आर्थिक संकट के कारण देश के विदेशी मुद्रा भंडार में फिर गिरावट आई। 2010 से विदेशी मुद्रा भंडार में फिर बढ़त होने लगी और यह एक बार फिर 300 बिलियन डॉलर के आँकड़े को पार कर गया। पिछले साल यूरोपीय देशों के संकट से एक बार फिर गिरावट का दौर आया है लेकिन फिर भी यह 288 बिलियन डॉलर के आसपास बना हुआ है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित शामिल हैं-

- विदेशी प्रतिभूतियाँ
- स्वर्ण भंडार
- विशेष आहरण अधिकार
- आर टी पी

वर्तमान समय में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा (लगभग 88 प्रतिशत) विदेशी प्रतिभूतियों का है जबकि स्वर्ण भंडार 9.5 प्रतिशत, विशेष आहरण अधिकार और आरटीपी क्रमशः 1.5 प्रतिशत 1.0 प्रतिशत ही हैं।

साल-दर-साल भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त
(बिलियन डालर में)

वर्ष	विदेशी मुद्रा भंडार
मार्च 1991	5.8
मार्च 2001	45.0
मार्च 2002	52.0
मार्च 2003	76.0
मार्च 2004	112.9
मार्च 2005	141.5
मार्च 2006	151.6
मार्च 2007	199.1
मार्च 2008	309.7
मार्च 2009	251.9
मार्च 2010	279.0
मार्च 2011	304.8
22 जून 2012	288.6

288 बिलियन डालर के विशाल विदेशी मुद्रा भंडार के साथ ही आज भारत की गिनती दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में होने लगी है।

प्रमुख देशों का विदेशी मुद्रा भंडार

अधिकांश विकसित देशों अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को एक सीमा के आसपास बनाये रखने की नीति को अपनाया है। विकसित देशों में अपवादस्वरूप जापान ने ही लगातार बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बनाये रखा है।

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने पिछले दो दशकों में अपने विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से बढ़ोतरी की है। पिछले 20 सालों में सबसे अधिक वृद्धि चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में हुई है और आज चीन के पास दुनिया में सबसे अधिक 3000 बिलियन डालर से भी अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है।

हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान के पास 17 बिलियन डालर तथा श्रीलंका के पास 8 बिलियन डालर का विदेशी मुद्रा भंडार है।

सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले 20 देशों की सूची
(विदेशी मुद्रा भंडार - बिलियन डालर में)

देश का नाम	विदेशी मुद्रा भंडार	स्थिति माह व वर्ष
चीन	3181	दिसंबर 2011
जापान	1295	दिसंबर 2011
सऊदी अरब	556	दिसंबर 2011
रूस	498	जनवरी 2012
ताइवान	456	दिसंबर 2011
ब्राज़ील	355	जनवरी 2012
स्विट्ज़रलैंड	340	दिसंबर 2011
दक्षिण कोरिया	311	जनवरी 2012
भारत	295	मार्च 2012
हाँगकाँग	285	दिसंबर 2011
सिंगापुर	237	नवंबर 2011
जर्मनी	239	दिसंबर 2011
अल्जीरिया	200	दिसंबर 2011
थाईलैंड	176	जनवरी 2012
इटली	173	दिसंबर 2011
फ्रांस	172	दिसंबर 2011
अमेरिका (यूएसए)	148	जनवरी 2012
मैक्सिको	147	जनवरी 2012
मलेशिया	135	दिसंबर 2011
इंडोनेशिया	125	अगस्त 2011

स्वर्ण भंडार

विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण भंडार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 557.75 टन स्वर्ण का भंडार है। भारत ने नवंबर 2009 में 200 टन सोने की खरीद की है। इसके बाद हमारे देश ने दुनिया में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार रखने वाले शीर्ष 12 देशों में अपना स्थान बना लिया है। भारत के कुल स्वर्ण भंडार में से 265.49 टन स्वर्ण अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस)

तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा के रूप में रखा है। दुनिया में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार रखने वाले शीर्ष पाँच देशों में अमेरिका (यूएसए)(8134 टन), जर्मनी (3396 टन), इटली (2452 टन), फ्रांस (2435 टन) और चीन (1054 टन) का स्थान है।

भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण भंडार का हिस्सा मात्र 9.5 प्रतिशत है जबकि अमेरिका (यूएसए) के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण भंडार का हिस्सा 76.6 प्रतिशत है। जर्मनी, इटली, फ्रांस सहित अनेक यूरोपीय देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण भंडार का हिस्सा 70 प्रतिशत या इससे भी अधिक है। चीन के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण भंडार का हिस्सा मात्र 1.8 प्रतिशत है।

विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता

किसी भी देश को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ सकती है-

- विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता का सबसे प्रमुख कारण है घरेलू मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना। किसी भी अन्य वस्तु की तरह किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य अधिक आपूर्ति होने या माँग कम होने से गिर सकता है। इसके विपरीत आपूर्ति कम होने या माँग अधिक होने से घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ सकता है। जब इस प्रकार की स्थिति बहुत कम समय में और तेजी से आती है तो केन्द्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार की मदद से घरेलू मुद्रा के मूल्य को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व ऐसी स्थिति भारत में देखने को मिली थी जब विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारत से तेजी से डालर ले जाने के कारण भारतीय रुपये का मूल्य तीन-चार माह में तेजी से गिर गया था। तब भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाज़ार में डालर बेचकर रुपये के मूल्य को लगातार गिरने से बचाने का कार्य किया।
- विकासशील देश अपने निर्यात को बढ़ावा देने तथा आयात को कम रखने के लिए भी घरेलू मुद्रा नियंत्रित रखते हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और पर्याप्तता

अधिकांश देशों में विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन का कार्य वहाँ के केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है जबकि कुछ देशों में निजी फंड मैनेजर यह कार्य करते हैं। हमारे देश का केन्द्रीय बैंक होने के

नाते भारत में यह कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। अमेरिका में फेडरल रिज़र्व तथा चीन में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा यह कार्य किया जाता है। सिंगापुर तथा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में फंड मैनेजर यह कार्य करते हैं।

इस बात का आकलन कर पाना बेहद मुश्किल कार्य है कि किसी देश को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा का भंडार रखना चाहिए। अनेक अर्थशास्त्री यह मत देते हैं कि आम तौर पर देश में विदेशी मुद्रा का भंडार इतना अवश्य होना चाहिए कि भविष्य के आयात तथा किसी अप्रत्याशित स्थिति में विदेशी मुद्रा की निकासी की स्थिति का सामना किया जा सके।

भारत में भी अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि आखिर भारत में विदेशी मुद्रा का कितना भंडार होना चाहिए। 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार मात्र तीन सप्ताह के आयात बिल के बराबर रह गया था जो कि मार्च 2004 में लगभग 17 महीनों के आयात बिल के बराबर हो गया। सितंबर 2010 में भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 11 महीनों के आयात बिल के बराबर था।

इस संबंध में समय-समय पर बनी उच्च स्तरीय समितियों ने निम्नलिखित सिफारिशें दी हैं-

- भुगतान संतुलन पर बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री सी. रंगराजन ने सुझाव दिया था कि परंपरागत 3-4 महीने के आयात खर्च के अलावा भारत को अन्य विदेशी भुगतानों को ध्यान में रखकर विदेशी मुद्रा का भंडार रखना चाहिए।
- 1997 में पूँजी खाते की परिवर्तनीयता (रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता) पर बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व उप गवर्नर श्री. एस. एस. तारापोर ने सुझाव दिया था कि भारत को कम से कम अपने 3-4 महीने के आयात खर्च के बराबर विदेशी मुद्रा का भंडार रखना चाहिए।
- जुलाई 2006 में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता पर बनी उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष - श्री. एस. एस. तारापोर) ने भी इसी तरह के सुझाव दिये थे।

विदेशी मुद्रा भंडार निवेश के सिद्धांत

आम तौर पर सभी केन्द्रीय बैंक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के निवेश के संबंध में बहु-मुद्रा तथा बहु-आस्ति संस्थाओं की नीति का पालन करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार को आम तौर पर कम जोखिम वाली तरल प्रतिभूतियों में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार को विदेशी प्रतिभूति में निवेश के रूप में तथा केन्द्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक व अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा के रूप में रखा जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा आस्तियों का निम्नलिखित स्थान पर निवेश किया है-

1. विदेशी प्रतिभूतियों में
2. अन्य केन्द्रीय बैंकों, अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक व अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा
3. विदेशी वाणिज्यिक बैंकों/आस्ति प्रबंधकों के पास जमा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार के निवेश के लिए उन्हीं सिद्धांतों को अपनाया है जिन्हें दुनिया के अन्य केन्द्रीय बैंकों द्वारा स्वीकार किया गया है। ये सिद्धांत हैं-

1. सुरक्षा
2. तरलता
3. आय।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन में सुरक्षा और तरलता के दोहरे उद्देश्य की नीति को अपनाया है जबकि आय को उसी नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार से आय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को विदेशों में निवेश किया हुआ है जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की आय भी होती है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार के निवेश से पिछले चार वर्षों से आय में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण विदेशों में ब्याज दरों का लगातार निचले स्तर पर बने रहना है। पिछले तीन वर्षों में कुल आय आधे सी भी कम रह गई है।

वर्ष	कुल आय (करोड़ रुपये में)	आय (प्रतिशत में)
2006-07	35152.99	4.60
2007-08	51883.27	4.82
2008-09	50796.21	4.16
2009-10	25102.55	2.09
2010-11	21149.69	1.74

विदेशी मुद्रा भंडार और जोखिम प्रबंधन

एक बेहतर विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के लिए एक कुशल जोखिम प्रबंधन बेहद आवश्यक है। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में उसी प्रकार के जोखिम हो सकते हैं जो कि किसी बैंकिंग कंपनी को ऋण एवं अग्रिम तथा विदेशी निवेश के साथ जुड़े होते हैं। ये जोखिम ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम, परिचालन जोखिम आदि के रूप में हो सकते हैं। इसलिए विदेशी मुद्रा के निवेश से पूर्व सभी संभावित जोखिमों के नियंत्रण और प्रबंधन पर पर्याप्त सतर्कता के साथ कार्य किया जाता है।

○○○

भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरें *		
बैंक दर	:	9.00 प्रतिशत
रेपो दर	:	8.00 प्रतिशत
रिवर्स रेपो दर	:	7.00 प्रतिशत
आरक्षित अनुपात *		
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)	:	4.75 प्रतिशत
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)	:	24.0 प्रतिशत

* 29 जून 2012 को।

वैश्वीकरण के इस दौर में नए-नए वित्तीय लिखतों एवं उत्पादों ने वित्तीय प्रणाली को एक नया आयाम दिया है। कंपनियां कई सारे ऋण लिखत जारी कर मुद्रा बाजार से निधि जुटा रही हैं जिससे निवेशकों के पास आज पहले के मुकाबले निवेश के कहीं अधिक विकल्प मौजूद हैं और

ये विकल्प ईक्विटी और ऋण बाजार दोनों में हैं। लेकिन यह सच है कि यदि आपके पास अधिक विकल्प होते हैं तो उन विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना मुश्किल हो जाता है। छोटे निवेशकों के लिए तो और भी समस्या हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि उन्हें संबंधित वित्तीय लिखत से जुड़े जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी न हो। छोटे निवेशकों के लिए ये जोखिम मोटे तौर पर दो स्तरों पर हो सकते हैं- पहला 'खुली अर्थव्यवस्था' होने से 'कारोबार संबंधी जोखिम' और दूसरा मुद्रा, पूंजी और विदेशी मुद्रा बाजार में अंतःसंबद्धता के चलते 'भुगतान संबंधी जोखिम'। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि कोई ऐसी स्वतंत्र संस्था हो जो इन वित्तीय लिखतों के जारीकर्ता की साख और इनके द्वारा जारी लिखतों से जुड़े विभिन्न प्रकार के जोखिम के बारे में कुछ आधारभूत जानकारी निवेशकों को दे सके। खुली अर्थव्यवस्था होने से निवेशकों को इन लिखतों पर वैश्विक उथल-पुथल से होने वाले प्रभाव की भी पूरी जानकारी होना लाजिमी है। यहीं पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के प्रादुर्भाव की जरूरत महसूस होती है जो न केवल संबंधित वित्तीय लिखत से जुड़े जोखिम के बारे में अपनी राय देती है बल्कि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो क्रेडिट रेटिंग किसी ऋण लिखत के अपेक्षाकृत सुरक्षित होने के संबंध में एक राय या धारणा है, न कि अनुशांसा।

क्रेडिट रेटिंग क्या है?

'क्रेडिट रेटिंग' रेटिंग एजेंसी की यह धारणा है कि किसी ऋण लिखत का जारीकर्ता नियत समय पर या जरूरत होने पर ऋण चुकाने के अपने दायित्व को पूरा करने में अपेक्षाकृत किस हद तक सक्षम है। यह रेटिंग लिखत-विशिष्ट होती है अर्थात् स्ट्रक्चर्ड लिखत और स्टैंडअलोन लिखत के लिए रेटिंग अलग-अलग हो सकती है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि क्रेडिट रेटिंग के

क्रेडिट रेटिंग : एक परिचय

आशीष पूजन

सहायक प्रबंधक,
भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

जरिए रेटिंग एजेंसियां इस धारणा को विशिष्ट संकेतों के माध्यम से व्यक्त करती हैं कि किसी ऋण लिखत का जारीकर्ता समय पर अपने ऋण दायित्व को पूरा करने में अपेक्षाकृत कितना सक्षम है। रेटिंग से निवेशक को लाभ संबंधी जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने में मदद मिलती है और साथ ही संबंधित कंपनी/प्रतिष्ठान को भी सही लागत पर निधि जुटाने में सहायता मिलती है। सामान्य तौर पर रेटिंग अल्फाबेटिकल या अल्फान्यूमेरिक संकेतों के जरिए व्यक्त की जाती है। ये संकेत आसान और सहज ही समझने वाले होते हैं जिससे निवेशक अलग-अलग ऋण लिखतों की अंतर्निहित क्रेडिट गुणवत्ता के आधार पर उनका आकलन कर पाते हैं। रेटिंग कंपनियां किसी लिखत के लिए प्रयोग किए गए किसी विशेष संकेत के बारे में स्पष्टीकरण प्रकाशित करती हैं और साथ ही ऐसी रेटिंग के पीछे तर्क को भी स्पष्ट करती हैं ताकि निवेशक को इसकी गहरी समझ हो सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रेटिंग प्रतिभूति जारीकर्ता के भविष्य की क्षमता और वैधानिक दायित्व को व्यक्त करती है कि वह किसी फिक्स्ड इन्कम प्रतिभूति पर नियत समय पर मूलधन और देय ब्याज का भुगतान करने में समर्थ है। वास्तव में, रेटिंग इस संभावना को मापती है कि प्रतिभूति जारीकर्ता प्रतिभूति के जीवन काल में किस समय चूक कर सकता है।

उद्गम

पहली मर्केण्टाइल क्रेडिट एजेंसी की स्थापना 1841 में न्यूयॉर्क में की गई थी और इसे मर्चेण्टों के वित्तीय दायित्वों का भुगतान करने की क्षमता को मापने की जवाबदेही सौंपी गई थी। बाद में, रॉबर्ट डन ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इस एजेंसी ने 1859 में अपनी पहली रेटिंग गाइड प्रकाशित की। दूसरी एजेंसी जॉन ब्रैडस्ट्रीट द्वारा 1849 में स्थापित की गई जिसका बाद में पहली एजेंसी में विलय

हो गया और एक नई एजेंसी 'डन एंड ब्रैडस्ट्रीट' की स्थापना 1933 में हुई। आगे चलकर 1962 में यह एजेंसी जॉन मूडी की 'इन्वेस्टर्स सर्विस' की मालिक बन गई। ये वही जॉन मूडी थे जिन्होंने 1900 में 'मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस' की स्थापना की थी और रेलबोर्ड प्रतिभूति पर अपना मैनुअल प्रकाशित किया था।

1920 के शुरुआती दशक में क्रेडिट रेटिंग उद्योग में विस्तार देखा गया जब पुअर की पब्लिशिंग कंपनी ने 1916 में अपनी पहली रेटिंग गाइड प्रकाशित की। इसके बाद 1924 और 1922 में क्रमशः 'फिच पब्लिशिंग कंपनी' और 'स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स कंपनी' स्थापित हुई। बाद में 1941 में पुअर और स्टैंडर्ड का आपस में विलय हो गया और 'स्टैंडर्ड एंड पुअर' की स्थापना हुई जिसका आगे चलकर 1966 में मैकग्रॉ हिल द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। 1924 से लेकर 1970 तक कोई बड़ी नई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना नहीं हुई। लेकिन 1970 के बाद मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और फिलीपींस आदि सहित समूचे विश्व में बड़ी संख्या में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की स्थापना हुई। भारत में पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (क्रेडिट रेटिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड) की स्थापना 1987 में हुई। इसके बाद आईसीआरए लिमिटेड 1991 में और केअर (क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड) 1994 में स्थापित हुई। इन रेटिंग एजेंसियों ने अपनी स्वायत्तता, व्यावसायिकता, सतत अनुसंधान एवं प्रयास और सूचना की गोपनीयता के सहारे अपनी क्रेडिट योग्यता स्थापित की है। डफ और फेल्ट ने दो भारतीय एनबीएफसी के साथ करार कर 1996 में डफ एंड फेल्ट क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अब फिच इंडिया) की स्थापना की। 2005 में स्थापित 'एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड' (स्मेरा) भारत की पहली ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो प्रमुख रूप से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र (एमएसएमई) के लिए रेटिंग सेवाएं देती है। भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।

क्रेडिट रेटिंग का महत्त्व

क्रेडिट रेटिंग जोखिम और लाभ के बीच एक लिंक स्थापित करती है। इस प्रकार यह एक मापदंड उपलब्ध कराती है जो किसी लिखत में अंतर्निहित जोखिम को मापता है। कोई निवेशक जोखिम स्तर का आकलन करने के लिए रेटिंग का उपयोग करता है और उस लिखत पर मिलने वाले लाभ दर की तुलना अपने वांछित

लाभ दर से करता है। इस प्रकार निवेशक को जोखिम और लाभ दर में तालमेल बिठाने में मदद मिलती है।

यदि क्रेडिट रेटिंग प्रणाली न हो, तो किसी सामान्य निवेशक के लिए जोखिम की अवधारणा मोटे तौर पर इस तथ्य पर निर्भर करती है कि वह प्रमोटर या कोलैबोरेटर से कितना अधिक परिचित है। कोई ऋण लिखत जारी करने वाली कंपनी के लिए यह व्यवहार्य नहीं है कि वह हर संभावित निवेशक को जोखिम का विस्तृत आकलन करने का अवसर दे। अलग-अलग वर्ग के निवेशक के लिए यह संभव भी नहीं है कि वे किसी लिखत की गुणवत्ता के बारे में एकसमान निष्कर्ष पर पहुंच पाएं। इसके अलावा, उनके पास क्रेडिट मूल्यांकन हेतु अपेक्षित दक्षता भी नहीं होती है। इस प्रकार, जटिल वित्तीय लिखतों से भरे आज के इस दौर में क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता और भी सारगर्भित हो जाती है। एक ओर, इससे निवेशकों को निवेश संबंधी निर्णय लेने में सहूलियत हो जाती है, वहीं दूसरी ओर ऋण लिखत जारीकर्ता को अपने निर्गम का सही मूल्य निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है और वे अधिकाधिक नए निवेशकों तक पहुंच पाते हैं। दूसरे शब्दों में यह बाजार में 'गुणवत्ता जागरूकता सुधार' लाने का प्रयास करती है और किसी ऋण लिखत और उस पर मिलने वाले प्रतिफल के बीच एक अधिक तर्कसंगत संबंध स्थापित करती है।

क्रेडिट रेटिंग का महत्त्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि विनियामक अब इसे अनिवार्य कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 1998 से जमाराशि लेनेवाली ऐसी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए क्रेडिट रेटिंग करवाना अनिवार्य कर दिया है जिनकी निवल स्वाधिकृत निधि 25 लाख रुपए या इससे अधिक है। वर्तमान में, 2 करोड़ रुपए या इससे अधिक निवल स्वाधिकृत निधि वाली जमा राशियाँ स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) को वर्ष में कम-से-कम एक बार किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवाना आवश्यक है। यह भी अधिदेश दिया गया कि वे 'न्यूनतम निवेश ग्रेड' के बिना जनता से जमाराशि नहीं जुटा सकती हैं।

रेटिंग से मिलने वाले संकेत

किसी प्रतिभूति निर्गम को दी गई रेटिंग निम्नलिखित संकेत देती है:

क) जारी की गई किसी विशेष प्रतिभूति की प्रकृति और शर्तें;

- ख) किसी प्रतिभूति जारीकर्ता द्वारा समय पर चुकौती करने की उसकी योग्यता और इच्छा;
- ग) यह संभावना कि जारीकर्ता चुकौती में चूक कर सकता है और
- घ) प्रतिभूति जारीकर्ता कंपनी के समापन, पुनर्गठन या दिवालिया घोषित हो जाने पर निवेशकों को उपलब्ध सुरक्षा का स्तर।

रेटिंग को प्रभावित करने वाले कारक

किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी जानेवाली रेटिंग को सामान्यतया निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं:

- क) प्रतिभूति जारीकर्ता की ऋण चुकौती की क्षमता। रेटिंग एजेंसियां पूर्व और भविष्य में संभावित नकदी प्रवाह की गणना करती हैं और जारीकर्ता द्वारा निर्धारित ब्याज-दर दायित्व से इसकी तुलना करती हैं।
- ख) बकाया ऋण की मात्रा और उसके घटक।
- ग) भविष्य में आनेवाले नकदी प्रवाह की स्थिरता और कंपनी की आय क्षमता।
- घ) ब्याज-कवरेज अनुपात अर्थात् जारीकर्ता कितनी बार अपने निर्धारित ब्याज दायित्व पूरा करने में समर्थ है।
- ङ) जारीकर्ता कंपनी की चलनिधि स्थिति का आकलन करने के प्रयोजन से उसकी चालू आस्ति और देयता अनुपात (चालू अनुपात) की गणना की जाती है।
- च) कंपनी के उत्पाद की बाजार में स्थिति का निर्णय उस उत्पाद की मांग, बाजार में मौजूद अन्य प्रतिस्पर्धी, वितरण चैनल आदि के आधार पर किया जाता है।
- छ) परिचालन दक्षता का आकलन क्षमता उपयोग, विस्तार की संभावना, आधुनिकीकरण एवं विविधता, कच्चे माल की उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है।
- ज) प्रमोटर एवं निदेशक का ट्रैक रिकॉर्ड और स्टाफ की कार्यक्षमता भी किसी कंपनी की रेटिंग को प्रभावित करते हैं।

किन लिखतों की रेटिंग की जाती है

रेटिंग कंपनियां निम्नलिखित के बारे में रेटिंग करती हैं:

- क) कॉर्पोरेट, सरकार आदि द्वारा जारी बांड/डिबेंचर।
- ख) विनिर्माण कंपनियों, वित्त कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अल्पावधि ऋण जुटाने के प्रयोजन से जारी वाणिज्यिक पत्र।
- ग) स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस उत्पाद।
- घ) बेजमानती उधार के रूप में मध्यम अवधि के लिए जुटाई गई मीयादी जमा और बैंक जमा-प्रमाणपत्र।
- ङ) म्यूचुअल फंड डेट योजना।
- च) किसी कंपनी द्वारा जारी अधिमानी शेयर।
- छ) आस्ति आधारित प्रतिभूति का आकलन उनसे जुड़ी जोखिम की वजह से किया जाता है। इसका उद्देश्य आस्ति से मिलनेवाले नकदी प्रवाह की मात्रा का आकलन इस नजरिए से करना होता है कि वह नियत चुकौती करने में पर्याप्त है।

ऋण लिखतों के अलावा रेटिंग

क्रेडिट रेटिंग के दायरे में वे सभी कार्यकलाप शामिल हो गए हैं जहां अनिश्चितता और जोखिम शामिल है। आज क्रेडिट रेटिंग केवल ऋण लिखतों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

1. राष्ट्र की रेटिंग

जब किसी राष्ट्र को ऋण दिया जाता है या जब कभी अंतरराष्ट्रीय निवेशकों द्वारा किसी राष्ट्र में भारी निवेश किया जाना होता है तब निवेश की सुरक्षा के लिहाज से उस राष्ट्र की रेटिंग की जाती है। इस प्रकार की रेटिंग करने में कई कारक जैसे संवृद्धि दर, औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन, सरकारी नीतियां, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा आदि को ध्यान में लिया जाता है। ऐसी किसी रेटिंग के अपग्रेड होने से शेयर बाजार भी प्रभावित होता है। स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडी जैसी रेटिंग एजेंसियां राष्ट्रों की रेटिंग करती हैं। आम तौर पर भविष्य की संभावित गतिविधियों के आधार पर रेटिंग एजेंसियां राष्ट्रों की रेटिंग को तीन श्रेणियों में रखती हैं। ये

तीन श्रेणियां हैं- नकारात्मक (निगेटिव), स्थिर (स्टेबल) और सकारात्मक (पॉजिटिव) दृष्टिकोण। यदि किसी देश की रेटिंग सकारात्मक है तो स्थिति में सुधार होने पर यह अपग्रेड भी हो सकती है और इसका उल्टा भी हो सकता है। सामान्यतया, रेटिंग में परिवर्तन तब होता है जब आर्थिक संवृद्धि, बाह्य परिस्थिति और सरकार के वित्त में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है।

2. रीयल इस्टेट निर्माताओं और विकासकों की रेटिंग

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने रीयल इस्टेट के संभावित खरीददारों की सहायता के लिए भवन निर्माताओं और विकासकों को रेटिंग देना शुरू किया है। रेटिंग एजेंसियां किसी भवन निर्माता या विकासक की रेटिंग करने से पहले विक्रय-विलेख संबंधी दस्तावेजों, अनुमोदित प्लान, वकील की रिपोर्ट, सरकारी मंजूरी प्रमाण-पत्र आदि की पूरी जांच करती हैं। वे भवन निर्माता के पूर्व के अनुभव, उसके द्वारा निर्मित की गई संपत्तियों की संख्या, परियोजना को पूरा करने में लगे समय आदि पर भी ध्यान देती हैं।

3. पब्लिक फाइनेंस रेटिंग

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अन्य स्थानीय निकायों की भी रेटिंग करती हैं। सामान्यतया इस प्रकार की रेटिंग दो तरह की होती है- एक 'स्टैंडअलोन' रेटिंग जिसमें सिर्फ जारीकर्ता की क्षमता और उसकी कमजोरियों को परखा जाता है और दूसरी 'सॉवरेन' रेटिंग जिसमें संबंधित राज्य सरकार की क्षमता का भी आकलन किया जाता है। राज्यों और स्थानीय निकायों की क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करने में उनके प्रशासनिक और प्रबंधन ढांचे, आर्थिक एवं वित्तीय प्रोफाइल, उनके कर्ज की स्थिति एवं पूंजी निवेश की संभावनाओं, उनकी चलनिधि की स्थिति एवं गवर्नेंस के स्वरूप, राजकोषीय प्रबंधन एवं आने वाले समय में नीति के उद्देश्य, भविष्य में मिलने वाले राजस्व और खर्च की स्थिति, अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक स्थिति आदि का अध्ययन किया जाता है। वैसे तो व्यक्तिगत रूप में राज्यों की अलग से कोई रेटिंग नहीं होती, बल्कि राज्य की किसी संस्था/निकाय की रेटिंग की जाती है। लेकिन देखा जाए तो राज्य की किसी संस्था/निकाय के बांड (जिसकी गारंटी संबंधित राज्य ने दी है) की रेटिंग में सिर्फ उस संस्था की वित्तीय स्थिति का ही विश्लेषण शामिल नहीं होता है, बल्कि इसमें संबंधित

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का अध्ययन भी किया जाता है। यह हमें राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति और आगामी संभावित संवृद्धि के बारे में बताता है। रेटिंग के जरिए राज्य देश और विदेश से अधिकाधिक निवेशकों को निवेश हेतु आकर्षित कर पाते हैं। अच्छी रेटिंग वाले राज्यों में निवेशकर निवेशक भी अपने निवेश सुरक्षित महसूस करते हैं। विदेशी कंपनियां भी ऐसे राज्यों में परियोजना स्थापित करना चाहती हैं जिनकी रेटिंग अच्छी होती है।

4. बैंक ऋण रेटिंग

बैंक ऋण रेटिंग का प्रयोग बैंकों द्वारा अपने ऋण एक्सपोजर से जुड़े जोखिम भार का आकलन करने में किया जाता है। यह रेटिंग दर्शाती है कि बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की समय पर वापसी में जोखिम की मात्रा कितनी है। भारत में बैंक ऋण रेटिंग की शुरुआत मुख्य रूप से तब हुई जब रिज़र्व बैंक द्वारा 2007 में बासेल-II के तहत बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए। बासेल-II दिशानिर्देश के अनुसार बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे अनुमोदित बाह्य क्रेडिट मूल्यांकन संस्था (एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशन) द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग के अनुसार अपने क्रेडिट एक्सपोजर के लिए अलग से पूंजी का प्रावधान करें। भारत में क्रिसिल द्वारा लगभग सभी प्रकार की बैंक सुविधाओं की रेटिंग की जाती है: जैसे-मीयादी ऋण, परियोजना ऋण, कॉर्पोरेट ऋण, कार्यशील पूंजी मांग ऋण और साथ ही साख-पत्र एवं बैंक गारंटी जैसी गैर-निधि आधारित सुविधाएं।

5. ईक्विटी संबंधी रेटिंग (अनुशांसा)

आजकल ईक्विटी ग्रेडिंग में दक्ष विश्लेषक किसी कंपनी के स्टॉक मूल्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। वे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण जैसे कि अनुपात विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, निधि प्रवाह विश्लेषण, नकद प्रवाह विश्लेषण आदि का प्रयोग कर कंपनी की चलनिधि स्थिति, दिवालियापन, लाभप्रदता और उसकी समग्र स्थिति पर अपनी राय देते हैं। विश्लेषक शेयर का लक्ष्य मूल्य बताते हैं जो निवेशक के लिए यह संकेत होता है कि जैसे ही शेयर उस विशेष मूल्य पर आ जाए, वैसे ही वे संकेत के अनुसार कार्य करें। ये संकेत खरीदने, बेचने, होल्ड करने या एवरेजिंग करने के बारे में हो सकते हैं।

भारत में कार्यरत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

1987 में क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया (अब क्रिसिल लिमिटेड) के गठन के साथ ही भारत में क्रेडिट रेटिंग की शुरुआत हुई। इसके बाद आईसीआरए लिमिटेड, केअर (क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड), फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अस्तित्व में आए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन, 1999 से सेबी को भारत में कार्यरत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विनियमित करने का अधिकार मिलता है। सेबी के पास पंजीकरण के लिए किसी रेटिंग एजेंसी को जिन आवश्यक मानदंडों का पूरा करना होता है उनकी चर्चा इस विनियमन में की गई है। लेकिन सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की प्रतिभूति बाजार से संबंधित गतिविधियों को ही नियंत्रित करता है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित 'कोड ऑफ कन्डक्ट' का पालन करना अनिवार्य है और मोटे तौर पर ये कोड ऑफ कन्डक्ट 'इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्युरिटी कमीशन' द्वारा रेटिंग एजेंसियों के लिए निर्धारित 'कोड ऑफ कन्डक्ट' से मिलते-जुलते हैं। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मोटे तौर पर बांड/डिबेंचर, अधिमानी शेयर, वाणिज्यक पत्र, जमा-प्रमाणपत्र, अल्पावधि ऋण, मीयादी जमा-राशि, ऋण, स्ट्रक्चर्ड ऋण जैसे लिखतों के लिए रेटिंग सेवा देती हैं। तथापि अब इनमें कई सारी अन्य गतिविधियाँ भी शामिल हो गई हैं जैसाकि नीचे दी गई सारणी से प्रकट होता है:

सेबी के साथ पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम	परिचालन शुरू करने का वर्ष	प्रमुख शेयरधारक/ प्रमोटर/सहयोगी	किन क्षेत्रों में/किन संस्थाओं के लिए रेटिंग सेवाएं प्रदान करती हैं
क्रिसिल	1988	स्टैंडर्ड एंड पुअर	कई सारी संस्थाओं जैसे औद्योगिक कंपनियों, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं, लघुवित्त संस्थाओं, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड, राज्य सरकार, शहरी निकाय संस्थाओं के लिए रेटिंग सेवाएं प्रदान करती हैं।

इक्रा	1991	मूडी इन्वेस्टर सर्विस	विनिर्माण कंपनी, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं, आवास वित्त कंपनी, इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी,
			गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, म्यूनिसिपल एवं अन्य स्थानीय निकायों द्वारा जारी ऋण लिखतों की रेटिंग। इसके अलावा, कंपनी अभिशासन अर्थात् कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग, सार्वजनिक वित्त रेटिंग जिसके तहत राज्य सरकार और अन्य स्थानीय निकाय आते हैं, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस रेटिंग, जारीकर्ता अर्थात् ईश्यूअर रेटिंग, बैंक ऋण/लाइन ऑफ क्रेडिट रेटिंग, एसएमई रेटिंग, म्यूचुअल फंड रेटिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र रेटिंग, बीमा क्षेत्र रेटिंग और परियोजना वित्त रेटिंग जैसी सेवा भी देती है।
केअर	1993	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक	कॉर्पोरेट रेटिंग-कॉर्पोरेट ऋण रेटिंग, बैंक ऋण, जारीकर्ता रेटिंग (इसमें लिखत की नहीं बल्कि विशेष रूप से उसके जारीकर्ता की रेटिंग की जाती है), कंपनी अभिशासन रेटिंग, रिक्वरी रेटिंग (इसमें किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद पर संभावित रिक्वरी की गणना की जाती है।) वित्तीय क्षेत्र रेटिंग-बैंक, एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनी, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी की रेटिंग की जाती है। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस रेटिंग- इनके तहत पास थ्रू प्रमाणपत्र जैसे लिखत आते हैं। सार्वजनिक वित्त रेटिंग- इनके तहत शहरी स्थानीय निकायों

			और राज्य सरकारों की रेटिंग की जाती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर रेटिंग और परियोजना वित्त और एसएमई क्षेत्र की भी रेटिंग होती है।
फिच इंडिया	1996	फिच रेटिंग	कॉर्पोरेट रेटिंग- इसमें दीर्घावधि ऋण, मध्यम-अवधि नोट, वाणिज्यिक पत्र एवं अधिमानी स्टॉक शामिल हैं। वित्तीय संस्थाएं- बैंक / एनबीएफसी, आस्ति प्रबंधन कंपनी और बीमा कंपनियों को रेटिंग दी जाती है। इसके अलावा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एसएमई, और सार्वजनिक वित्त की भी रेटिंग होती है।
ब्रिकवर्क	2008	बैंकर, क्रेडिट रेटिंग प्रोफेशनल	राज्य और स्थानीय सरकार के लिए ईश्युअर रेटिंग; वाणिज्यिक पत्र, बैंकों के जमा-प्रमाणपत्र के लिए अल्पावधि रेटिंग; कॉर्पोरेट बांड/डिबेंचर और स्ट्रक्चर्ड उत्पाद के लिए दीर्घावधि रेटिंग; बैंकों के टियर-1 एवं टियर-2 पूंजी के लिए दीर्घावधि रेटिंग; मीयादी जमा रेटिंग, म्यूचुअल फंड रेटिंग, बैंक ऋण रेटिंग, एसएमई रेटिंग, बीमा कंपनी रेटिंग, कंपनी अभिशासन रेटिंग, रीयल इस्टेट परियोजना रेटिंग।
स्मेरा	2005	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), सार्वजनिक, विदेशी एवं निजी क्षेत्र के	एमएसएमई रेटिंग, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की रेटिंग, ग्रीन रेटिंग-इसके तहत यूनिट द्वारा प्रयुक्त प्रसंस्करण और तकनॉलजी प्रक्रिया के

	अग्रणी बैंक और डन एंड ब्रेडस्ट्रीट इन्फार्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीएण्डबी) का संयुक्त प्रयास	पारिस्थितिकी अर्थात् जल, भूमि और वायु पर प्रभाव को परखा जाता है।
--	--	--

सेबी ने 15 जून 2011 को निम्नलिखित के संदर्भ में भारत में कार्यरत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे रेटिंग संकेतों और उनकी परिभाषा का मानकीकरण कर दिया:

- दीर्घावधि ऋण लिखत
- अल्पावधि ऋण लिखत
- दीर्घावधि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस लिखत
- अल्पावधि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस लिखत
- दीर्घावधि म्यूचुअल फंड योजना
- अल्पावधि म्यूचुअल फंड योजना

रेटिंग संकेतों का तुलनात्मक अध्ययन

दीर्घावधि ऋण लिखत						
रेटिंग परिभाषा	क्रिसिल	इकरा	केअर	फिच	ब्रिकवर्क	स्मेरा
इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि वित्तीय दायित्व की समय पर चुकौती के संदर्भ में उनमें सुरक्षा का उच्चतम स्तर होता है। इनमें क्रेडिट जोखिम निम्नतम होता है।	क्रिसिल एएए	एल एएए	केअर एएए	फिच एएए	बीडब्ल्यूआर एएए	स्मेरा एएए
इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि वित्तीय दायित्व की समय पर चुकौती के संदर्भ में उनमें सुरक्षा का उच्च स्तर होता है। इनमें क्रेडिट जोखिम काफी कम होता है।	क्रिसिल एए	एल एए	केअर एए	फिच एए	बीडब्ल्यूआर एए	स्मेरा एए

इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि वित्तीय दायित्व की समय पर चुकौती के संदर्भ में उनमें सुरक्षा का पर्याप्त स्तर होता है। इनमें क्रेडिट जोखिम कम होता है।	क्रिसिल ए	एल ए	केअर ए	फिच ए	बीडब्ल्यूआर ए	स्मेरा ए
इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि वित्तीय दायित्व की समय पर चुकौती के संदर्भ में उनमें सुरक्षा का कम अर्थात् मॉडरेट स्तर होता है। इनमें क्रेडिट जोखिम थोड़ा होता है।	क्रिसिल बीबीबी	एल बीबीबी	केअर बीबीबी	फिच बीबीबी	बीडब्ल्यूआर बीबीबी	स्मेरा बीबीबी
इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि वित्तीय दायित्व की समय पर चुकौती के संदर्भ में चूक अर्थात् डिफाल्ट होने का जोखिम थोड़ा अर्थात् माडरेट होता है।	क्रिसिल बीबी	एल बीबी	केअर बीबी	फिच बीबी	बीडब्ल्यूआर बीबी	स्मेरा बीबी
इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि वित्तीय दायित्व की समय पर चुकौती के संदर्भ में चूक अर्थात् डिफाल्ट होने का जोखिम अधिक होता है।	क्रिसिल बी	एल बी	केअर बी	फिच बी	बीडब्ल्यूआर बी	स्मेरा बी
इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि वित्तीय दायित्व की समय पर चुकौती के संदर्भ में चूक अर्थात् डिफाल्ट होने का जोखिम बहुत अधिक होता है।	क्रिसिल सी	एल सी	केअर सी	फिच सी	बीडब्ल्यूआर सी	स्मेरा सी

इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि उनमें चूक हो चुकी होती है या शीघ्र ही उनमें चूक होने की संभावना होती है।	क्रिसिल डी	एल डी	केअर डी	फिच डी	बीडब्ल्यूआर डी	स्मेरा डी
--	------------	-------	---------	--------	----------------	-----------

‘ए’ से लेकर ‘सी’ तक के उपर्युक्त रेटिंग संकेतों के साथ मॉडिफायर {“+” (प्लस)/“-” (माइनस)} का प्रयोग किया जा सकता है। मॉडिफायर उसी श्रेणी के अंतर्गत तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर या कमजोर स्थिति को दर्शाते हैं।

अन्य लिखतों/योजनाओं के लिए सेबी ने निम्न प्रकार रेटिंग संकेतों एवं उनकी परिभाषा का मानकीकरण किया है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से कहा गया है कि वे अपनी-अपनी एजेंसी का पहला नाम इन संकेतों के शुरू में उपसर्ग के रूप में जोड़े।

अल्पावधि ऋण लिखत	
परिभाषा	रेटिंग संकेत
इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि वित्तीय दायित्व की समय पर चुकौती के संदर्भ में उनमें सुरक्षा का स्तर बहुत मजबूत होता है। इनमें क्रेडिट जोखिम निम्नतम होता है।	ए1
इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि वित्तीय दायित्व की समय पर चुकौती के संदर्भ में उनमें सुरक्षा का स्तर मजबूत होता है। इनमें क्रेडिट जोखिम कम होता है।	ए2
इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि वित्तीय दायित्व की समय पर चुकौती के संदर्भ में उनमें सुरक्षा का स्तर कम अर्थात् मॉडरेट होता है। ऐसी लिखतों में उपर्युक्त वर्णित दोनों श्रेणियों के मुकाबले क्रेडिट जोखिम अधिक होता है।	ए3
इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि वित्तीय दायित्व की समय पर चुकौती के संदर्भ में उनमें सुरक्षा का स्तर बहुत ही कम होता है। इनमें क्रेडिट जोखिम बहुत ही अधिक होता है।	ए4
इस रेटिंग वाले लिखतों के बारे में माना जाता है कि उनमें चूक हो चुकी होती है या परिपक्व होने पर उनमें चूक होने की संभावना होती है।	डी

‘ए1’ से लेकर ‘ए4’ तक के उपर्युक्त रेटिंग संकेतों के साथ मॉडिफायर {“+” (प्लस)} का प्रयोग किया जा सकता है। मॉडिफायर उसी श्रेणी के अंतर्गत तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर या कमजोर स्थिति को दर्शाते हैं।

‘एए(एमएफएस)’ से लेकर ‘सी(एमएफएस)’ तक के उपर्युक्त रेटिंग संकेतों के साथ मॉडिफायर {“+” (प्लस) / “-” (माइनस)} का प्रयोग किया जा सकता है। मॉडिफायर उसी श्रेणी के अंतर्गत तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर या कमजोर स्थिति को दर्शाते हैं।

अल्पावधि डेट म्यूचुअल फंड योजना	
इस रेटिंग वाली योजनाओं के बारे में माना जाता है कि उनके द्वारा किए गए निवेश की समय पर चुकौती प्राप्त होने के संदर्भ में उनमें सुरक्षा का स्तर बहुत मजबूत होता है।	ए1 (एमएफएस)
इस रेटिंग वाली योजनाओं के बारे में माना जाता है कि उनके द्वारा किए गए निवेश की समय पर चुकौती प्राप्त होने के संदर्भ में उनमें सुरक्षा का स्तर मजबूत होता है।	ए2 (एमएफएस)
इस रेटिंग वाली योजनाओं के बारे में माना जाता है कि उनके द्वारा किए गए निवेश की समय पर चुकौती प्राप्त होने के संदर्भ में उनमें सुरक्षा का स्तर कम या मॉडरेट होता है।	ए3 (एमएफएस)
इस रेटिंग वाली योजनाओं के बारे में माना जाता है कि उनके द्वारा किए गए निवेश की समय पर चुकौती प्राप्त होने के संदर्भ में उनमें सुरक्षा का स्तर बहुत ही कम होता है।	ए4 (एमएफएस)

‘ए1(एमएफएस)’ से लेकर ‘ए4(एमएफएस)’ तक के उपर्युक्त रेटिंग संकेतों के साथ मॉडिफायर {“+” (प्लस)} का प्रयोग किया जा सकता है। मॉडिफायर उसी श्रेणी के अंतर्गत तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर या कमजोर स्थिति को दर्शाते हैं।

उपर्युक्त क्षेत्रों के अलावा भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां रियल इस्टेट डेवेलपर, कन्सट्रक्शन और आईपीओ की भी ग्रेडिंग कर रही हैं। चूंकि आम निवेशक आईपीओ से अधिक रू-ब-रू होते हैं इसलिए यहां हम केवल आईपीओ ग्रेडिंग के संकेतों की चर्चा करेंगे।

ग्रेडिंग की परिभाषा	क्रिसिल	इकरा	केअर	फिच	ब्रिकवर्क	स्मेरा
मजबूत फंडामेंटल	क्रिसिल आईपीओ ग्रेड 5/5	आईपीओ ग्रेड 5	आईपीओ ग्रेड 5	फिच आईपीओ ग्रेड 5	बीडब्ल्यूआर आईपीओ ग्रेड 5	स्मेरा आईपीओ ग्रेड 5
औसत से अधिक फंडामेंटल	क्रिसिल आईपीओ ग्रेड 4/5	आईपीओ ग्रेड 4	आईपीओ ग्रेड 4	फिच आईपीओ ग्रेड 4	बीडब्ल्यूआर आईपीओ ग्रेड 4	स्मेरा आईपीओ ग्रेड 4

औसत फंडामेंटल	क्रिसिल आईपीओ ग्रेड 3/5	आईपीओ ग्रेड 3	आईपीओ ग्रेड 3	फिच आईपीओ ग्रेड 3	बीडब्ल्यूआर आईपीओ ग्रेड 3	स्मेरा आईपीओ ग्रेड 3
औसत से कम फंडामेंटल	क्रिसिल आईपीओ ग्रेड 2/5	आईपीओ ग्रेड 2	आईपीओ ग्रेड 2	फिच आईपीओ ग्रेड 2	बीडब्ल्यूआर आईपीओ ग्रेड 2	स्मेरा आईपीओ ग्रेड 2
खराब फंडामेंटल	क्रिसिल आईपीओ ग्रेड 1/5	आईपीओ ग्रेड 1	आईपीओ ग्रेड 1	फिच आईपीओ ग्रेड 1	बीडब्ल्यूआर आईपीओ ग्रेड 1	स्मेरा आईपीओ ग्रेड 1

निष्कर्ष

इस पूरी विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वित्तीय क्षेत्र में अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन वैश्विक आर्थिक संकट विशेषकर सब-प्राइम कर्ज संकट के बाद इनके कार्यकलाप को लेकर शंकाएं उठी हैं। बंधक आधारित प्रतिभूतियों जैसे लिखतों से जुड़े जोखिम का सही आकलन न कर पाने की वजह से रेटिंग एजेंसियां आलोचना का शिकार हुई हैं। अमेरिका में चाहे वह सब-प्राइम संकट हो या लेमन ब्रदर्स के दिवालियापन की घटना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां निवेशकों को सतर्क करने में नाकाम रहीं। वास्तव में, क्रेडिट रेटिंग पर भरोसा और ऐसी रेटिंग की विश्वसनीयता पर सदैव संशय बना रहता है। यह संशय इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि गलत रेटिंग बाजार को अस्थिर कर सकती है और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। भारत में भी रेटिंग एजेंसियां ऐसी कई सारी गतिविधियों में शामिल हो गई हैं जो सीधे तौर पर सेबी के दायरे में नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में इन पर अन्य विनियामकों के सहयोग से और कड़े विनियमन की जरूरत है। इसके अलावा, रेटिंग एजेंसियों की भी अपनी सीमाएं होती हैं। कभी-कभी एक ही लिखत के लिए अलग-अलग रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग अलग-अलग हो सकती है जिसके चलते इससे निवेशक भ्रमित भी हो सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के विरुद्ध बार-बार होनेवाली शिकायत इस बात को लेकर है कि उनमें रेटिंग ग्रेड को लेकर जवाबदेही नहीं है और रेटिंग की शुद्धता के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह नहीं होने के चलते गलत रेटिंग होने पर अक्सर वे जवाबदेही से बच जाती हैं। इस दिशा में विनियामक को सार्थक पहल करने की जरूरत है ताकि रेटिंग एजेंसियां वित्तीय क्षेत्र में और प्रभावी भूमिका निभा सकें।

○○○

शायद ही कोई ऐसा महीना निकलता हो जब किसी न किसी सहकर्मी के सेवानिवृत्त होने की सूचना न मिलती हो। पिछले लगभग एक साल से भी ज्यादा समय से हर माह कितनी ही बार एक से ज्यादा सहकर्मियों के सेवानिवृत्त होने के समाचार मिले हैं। उनके विदाई संदेशों को पढ़ने से यह पाया गया कि लगभग सभी विदाई संदेशों की पहली पंक्ति इन शब्दों से प्रारम्भ होती है। विगत 38 वर्षों या तीन दशकों से अधिक या 40 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति पर आज मुझे इस महान बैंक से सेवा निवृत्त होने पर अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है.....

38 वर्ष/40 वर्ष/तीन दशक..... ये शब्द पढ़ते-पढ़ते मन अक्सर इन खयालों में खो जाता है कि इतना लंबा समय एक ही बैंक की सेवा करते-करते गुजारना.....कैसे संभव है! एक पहली सी लगती है। फिर स्वयं के 25 वर्ष पूरे हो जाने और अभी भी पूरी लगन और समर्पण से अपने बच्चे 16 वर्षों के कार्यकाल को पूरा करने का जुनून शायद स्वयं ही इस पहली का उत्तर सुझा देता है। और ऐसा मंजर शायद हर बैंक, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ हो रहा होगा जब उसके कार्यबल में से बहुत से पुराने साथी, जिन्होंने 70 के दशक में बैंक में कार्य प्रारंभ किया था, एक-एक करके सेवा निवृत्त हो रहे होंगे।

लगातार सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिकों से लगभग सभी सार्वजनिक बैंकों में विभिन्न पदों, विशेषकर उच्च पदों, में काफी रिक्तियाँ हो गयी हैं जिनको भरने के लिए बैंक तरह-तरह से नई भर्तियाँ कर रहे हैं। लेकिन देखने में आया है कि नई भर्तियों के बावजूद बैंकों को विभिन्न पदों पर, विशेषकर उच्च पदों पर, नेतृत्व रिक्तता का सामना करना पड़ रहा है। भर्ती हो रहे नए कार्मिक यदि एक दरवाजे से अंदर आ रहे हैं तो उनमें से कुछ दूसरे दरवाजे से कुछ समय बाद निकले जा रहे हैं। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के दौर में एक धरातल पर आमने-सामने खड़े पूरे विश्व के बाजार ने संभावनाओं और चुनौतियों का जो अपार भंडार ला खड़ा किया है और आज जहाँ लोगों की दिन-प्रति-दिन बढ़ती अपेक्षाएं और इस पर प्रौद्योगिकी के चलते बेहद जटिल वित्तीय प्रक्रियाएँ बाजार पर हावी हैं। ऐसे में सक्षम, अनुभवी और समर्पित कार्मिकों की

कल, आज और कल

संदीप गुप्ता

वरिष्ठ प्रबंधक (संकाय),
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ

आवश्यकता हर बैंक के व्यवसाय की एक मात्र कुंजी बन गयी है। कार्मिकों के आया राम-गया राम की पद्धति से बैंक अपने व्यवसाय को वह सुदृढ़ता एवं गति प्रदान नहीं कर सकते जिसके बल पर आज हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इतने लंबे समय से टिके हुए हैं। ऐसे में एक प्रश्न यह उठता है कि जहाँ 38-40 वर्ष तक समर्पित एक पीढ़ी खत्म होती जा रही है और उसका स्थान आज की वह पीढ़ी ले रही है जो 38-40 वर्ष क्या, 38-40 महीने भी टिक जाए तो गनीमत लगती है, ऐसे में बैंक अपने विशालकाय व्यवसाय को किस तरह संभाल पाएंगे और उसी गति से आगे बढ़ा पाएंगे?

स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए पहले हमें अतीत के उन पन्नों को पलटना होगा जिसमें हमारे आज सेवानिवृत्त हो रहे समर्पित कार्मिकों के सफल और सकुशल सफर का राज छुपा है। बीते हुए कल में झाँकने से ही हम आज और आने वाले कल के आगे की सफल और सकुशल यात्रा का अनुमान लगा सकते हैं और उसे सही मार्गदर्शन कर अपने गंतव्य तक पहुँचाने में सहायक हो सकते हैं।

अतीत के झरोखे से

आज से 40 वर्ष पहले के बैंकिंग परिदृश्य पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि उस समय बैंकों का नया-नया राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिस कारण देश भर में बैंकों का तेजी से विस्तार हुआ और इस विस्तार के लिए कार्मिकों की बड़े पैमाने पर भर्ती हुई। उस समय बैंकों में अन्य किसी क्षेत्र की अपेक्षाकृत वेतन अधिक था और सामाजिक रूप से अच्छे, गौरवपूर्ण क्षेत्र समझे जाने (जो आज भी है) के कारण नौकरी के हिसाब से यह बेहद आकर्षक था।

स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन के महज तीन दशक बाद के इस समय के अधिकतर लोग निम्न अथवा मध्यमवर्गीय परिवारों से थे तथा उनका रहन-सहन, सामाजिक परिवेश तथा शिक्षा का

स्तर लगभग एक जैसा था। उच्चतम शिक्षा के नाम पर एम.ए. और सामान्यतः बी.ए./बी.एससी. इत्यादि तक का लक्ष्य एक भेड़चाल के रूप में लगभग हर घर की कहानी था। कुछ विरले ही चिकित्सा अथवा इंजीनियरिंग जैसे बेहद खर्चीले क्षेत्र में जा सकते थे। इससे समाज में पढ़े-लिखे लोगों के एक ऐसे वर्ग का उद्भव हुआ जो पढ़ा-लिखा तो था लेकिन गैर-तकनीकी शिक्षा की बदौलत उसकी योग्यता सरकारी कार्यालयों में बाबूगिरी करने तक सीमित थी। वैसे भी ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय लोगों के खून में बाबूगिरी इस कदर भर दी थी कि उस समय इससे ऊपर उठकर सोच पाना लोगों के लिए मुश्किल था। साफ, सुथरे, अपेक्षाकृत अच्छे वेतन और गौरवपूर्ण क्षेत्र होने के नाते बैंक सबकी पहली पसंद थे, भले ही बाबू बनकर काम करना पड़े।

अधिकांशतः बड़े तथा संयुक्त परिवारों के समाज, वह भी जिन्हें भारतीय दासता से विरासत में गरीबी मिली हो, में हर किसी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जुटाना सबसे बड़ी चुनौती थी ऐसे में अधिक-से-अधिक धन कमाना एक मात्र लक्ष्य होना स्वाभाविक था। लगी लगाई पक्की, वह भी सरकारी नौकरी छोड़कर किसी और नौकरी को तलाश करने की सोच भी दूर-दूर तक दिमाग में नहीं आ सकती थी। साथ ही उस समय के परिवेश में जन्मे, पले लोगों में ईमानदारी, सहनशीलता, सामंजस्य और धैर्य जैसे गुण कुछ ऐसे कूट-कूटकर भर चुके थे कि कार्यस्थल पर किसी प्रकार की असुविधा या आय के साधनों से किसी प्रकार का असंतोष होने के बावजूद उसे चुपचाप सहन करते रहना स्वाभाविक हो गया था, जो शायद किसी हद तक लोगों के पारिवारिक मूल्यों से भी जुड़ा था।

सूचना प्रसार प्रणाली के नाम पर रेडियो तथा समाचारपत्र और इक्का-दुक्का लोगों के पास उपलब्ध टेलीविजन ही रोजगार के अवसरों की सूचना के माध्यम थे। एक सीमित क्षेत्र में सिमटे भारत में न तो बहुत अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध थे और न ही उनकी जानकारी का व्यापक स्रोत उपलब्ध था। रोजगार के लिए आवेदक के पास रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाकर अपने लिए रोजगार की सूचना की प्रतीक्षा के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। नब्बे के दशक के प्रारंभ से टेलीविजन के अधिक प्रचार प्रसार, उपलब्धता, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के दौर में इंटरनेट जैसे जादुई पर्याय उपलब्ध हो जाने से लोगों को अपने सीमित क्षेत्र से बाहर की दुनिया की जानकारी मिलनी प्रारंभ हो गयी। साथ ही

विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर विकल्पों की उपलब्धता की जानकारी भी सहज और प्रचुर मात्रा में मिलने लगी, लेकिन 1975-80 में भर्ती बैंकों के कार्मिक अब तक उम्र के उस मोड़ पर आ पहुँचे थे जहाँ उनके सामने युवा होते बच्चों की पढ़ाई, लिखाई, उच्च शिक्षा, शादी-ब्याह जैसी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना परम आवश्यक था। साथ ही बैंकों में रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध ऋणों की मदद से अपने घर का सपना साकार कर चुके बैंक कर्मियों को उस ऋण को चुकाने की बेड़ियों ने उन्हें इस जोखिम को उठाने के लिए बिल्कुल असमर्थ कर दिया था कि और बेहतर सुविधाओं के लिए किसी नए रोजगार को तलाशा जाए। इसके साथ ही शायद यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि एक बार सीमित शैक्षिक योग्यता के बल पर नौकरी में आ जाने के बाद कार्मिकों ने कभी स्वयं को बदलते समय में नए अवसरों को हासिल करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए कभी तैयार ही नहीं किया और स्वयं को कूप मंडूक की भाँति अपने ही कार्यस्थल में समाहित कर लिया। जिसके परिणामस्वरूप उनका व्यक्तित्व एक ऐसे मध्यमवर्गीय, परंतु निष्ठावान, समर्पित, दक्ष कार्मिक के रूप में बनकर रह गया जो अपने नियुक्ता बैंक की विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया से गुजर कर आगे बढ़ने में ही संतुष्ट और खुश था। ऐसे में उसी बैंक में सेवानिवृत्ति तक अपनी सेवाएं देने के अतिरिक्त उसके पास और कोई चारा नहीं था।

वर्तमान के आँगन से

आज परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न और अतीत से बिल्कुल उलट हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के बेहद विस्तार के चलते जहाँ मोबाइल, हाई स्पीड युक्त इंटरनेट जैसे नए-नए सूचना माध्यम सहज और बेहद कम लागत में हर जगह, हर समय उपलब्ध हैं वहीं इसके कारण समूचा विश्व आज भौगोलिक दूरियों को लाँघते हुए एक दूसरे के आमने-सामने एक समतल धरातल पर आ खड़ा हुआ है जिसने आज के समाज में अवसरों का व्यापक बाजार खड़ा कर दिया है और जिसकी समस्त सूचना हर पल सहज उपलब्ध है। इसी के साथ-साथ इन अवसरों को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करने के भी सहज साधन उपलब्ध हैं, आज का हर दिन एक नया दिन है जो व्यापक संभावनाओं से भरपूर है और बेहद आकर्षक है और सदा ललचाता रहता है।

बदले हुए इसी परिवेश में आज की पीढ़ी उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यापक ज्ञान के भंडार से सुसज्जित है तथा उसे सतत

संवर्धित कर, समय के साथ चलने और हर नयी चुनौती के लिए खुद को हर समय सक्षम बनाए रखने में तत्पर है जिससे वे किसी एक रोजगार के मोहताज न होकर अपने लिए नया रोजगार पैदा कर देने में सक्षम अनुभव करते हैं। वे हर पल अपना मूल्यांकन कर स्वयं को रोजगार में उपलब्ध सुविधाओं से तौलते रहते हैं और किसी प्रकार की कमी या असमानता होने पर नए विकल्प की तलाश में जुट जाते हैं क्योंकि उनके पास आज अवसरों से भरा एक बृहद बाजार उपलब्ध है। लेकिन इन सब के पीछे एक विशेष कारण भी है, वह यह कि उनका जन्म उस पीढ़ी से हुआ है जिसने अपने समय में बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं, अभाव का जीवन देखा है और जिसने अपनी सारी उम्र इसी कोशिश में लगा दी कि भले ही वे विरासत में मिले परिवेश और अल्प संसाधनों के चलते स्वयं को उतना अच्छा जीवन न दे पाए हों लेकिन आने वाली पीढ़ी को अच्छे से अच्छा जीवन मिल जाए। इसी का परिणाम है कि आज की पीढ़ी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान किसी वरीयता की गिनती में नहीं आते। अब्राहम मास्तोव के "Need hierarchy" पिरामिड को यदि हम देखें तो आज की पीढ़ी की आवश्यकताएं संभवतः तीसरे पायदान, Love/belongings से शुरू होती हैं। ऐसे में आज के कार्मिकों को अपनी संस्था में बांधकर रखने और लंबे समय तक साथ जोड़े रखने के लिए आवश्यक है कि संस्थाएं उन्हें बेहतर वेतन, सुविधाओं के साथ-साथ प्रबंधन में उनकी हिस्सेदारी, उनकी प्रगतिशील सोच को भी अहमियत प्रदान करें। आज की पीढ़ी बाबूगिरी से घिरी उस भेड़चाल का हिस्सा नहीं है जिसे कुछ वित्तीय प्रोत्साहन अथवा पदोन्नति के प्रलोभनों से हाँका जा सके। नीति निर्धारक प्रबंधन का हिस्सा न होते हुए भी वे संस्था की प्रगति में अपने तार्किक ज्ञान और बुद्धिमत्ता से प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम हैं और जिसके लिए उन्हें समुचित अवसर दिया जाना न केवल उनके अहम की संतुष्टि और संस्था के प्रति उनकी निष्ठा बनाए रखने के लिए सहायक होगा अपितु उनके समृद्ध ज्ञान से संस्था की प्रगति में भी सहायता मिलेगी साथ ही कार्मिकों में अभिप्रेरणा की भावना बढ़ेगी।

भविष्य की दहलीज़ पर

IBA, FICCI, BCG के बैंकिंग 2020 का दस्तावेज हो या भारतीय जनसांख्यिकी लाभांश के आँकड़े हों, यह बात स्पष्ट है कि आने वाला समय बैंकों के लिए परम्परागत बैंकिंग व्यवसाय का नहीं होगा। प्रौद्योगिकी के उन्नत और बृहद प्रयोग से आने वाले समय में बैंकिंग ईट-पत्थर की वर्षों पुरानी चली आ रही शैली से

निकल कर क्लिक बैंकिंग का स्वरूप ले लेगी (जिसका कुछ स्वरूप हम आज भी देख रहे हैं)। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि आने वाले समय में, 2020 तक भारत में युवा जनसंख्या का प्रतिशत 65% से अधिक होगा, साथ ही लोगों में संपन्नता का स्तर भी ऊँचा होने की संभावना है। ऐसे में ग्राहकों को बने बनाए (Off The Shelf) उत्पादों की अपेक्षा ऐसे उत्पाद चाहिए जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार बनाए गए हों। ये चाहे पूंजी प्रबंधन हो, या कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट में निवेश की सलाह या फिर सामान्य कार अथवा गृह निर्माण ऋण। इसके साथ ही व्यक्तिगत तथा समर्पित सेवा के दृष्टिगत CRM की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाने से कार्मिकों की व्यक्तिगत तथा पेशेवर दक्षता सर्वोपरि हो जाएगी, जिस कारण आज की पीढ़ी के प्रतिभावान, सक्षम तथा सक्रिय कार्मिक अपनी अलग पहचान बना पाने में सफल हो सकेंगे।

उपसंहार

परिवर्तन संसार का नियम है और नियमानुसार चलना ही सफलता की सीढ़ी है। पुरानी पीढ़ी, जो आज सेवानिवृत्त हो रही है या सेवानिवृत्त होने की दहलीज़ पर है, ने अपनी मेहनत, सहनशीलता और धैर्य से बैंकिंग व्यवसाय को उस समय संभाला जब भारत में राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों का तेजी से विस्तार हुआ। क्या गाँव क्या कस्बे, आधारभूत सुविधाओं से वंचित होने के बावजूद नाना प्रकार के कष्ट सहते हुए पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य को करते हुए इस पीढ़ी के दौर ने बैंकों को न केवल व्यवसाय की बुलंदियों पर पहुँचाया है वरन समाज में बैंकों की उच्च साख और उज्ज्वल छवि स्थापित की है जो आज की पीढ़ी के पास अमूल्य धरोहर के रूप में संरक्षित है। बैंकिंग व्यवसाय की यह अपनी विशेषता है कि इस व्यवसाय का आधार बैंकों के ग्राहकों में विश्वास पर निर्भर करता है। यह विश्वास ईट पत्थरों से बनी बैंकों की इमारतों से नहीं बनता बल्कि यह विश्वास कार्मिकों के ग्राहकों के साथ लंबे समय के व्यवहार, सेवा तथा संबंधों से बनता है। हर दिन बदलते चेहरे शायद यह विश्वास कायम नहीं कर सकते क्योंकि बैंकिंग का व्यवसाय मूलतः व्यक्तिगत है जो ग्राहकों के वित्त के साथ-साथ उनकी भावनाओं और आशाओं का भी संग्राहक है। यह किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के व्यवसाय जैसा नहीं है जहाँ मात्र वस्तुओं का क्रय-विक्रय वस्तु विशेष के ऊपर निर्भर रहता है।

○○○

सूचना क्रांति के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बैंकिंग जगत में नये युग की शुरुआत हो गई। आज सूचना, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के समय में व्यक्ति अपने को ज्यादा सक्षम एवं कार्यकुशल महसूस कर रहा है। बैंकिंग जगत में ग्राहक के शाखाओं में जाकर घंटों लाइनों में खड़े होकर अपना कार्य करवाना बीते दिनों की बात हो गई है। आधुनिक बैंकिंग का स्वरूप उच्च तकनीक आधारित होता जा रहा है। कम्प्यूटर, वर्ल्ड वाइड वेब (www) तथा उपग्रह प्रणाली ने सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की गति, सीमा एवं उपयोगिता को असीमित विस्तार दिया है।

साइबर का इतिहास

सूचनाओं को एक-दूसरे तक पहुँचाने के लिए 1966 में अमरीकी रक्षा विभाग के एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विधियों को कम्प्यूटरों के माध्यम से जोड़कर **नेटवर्क अर्पानेट** तैयार किया था तथा 1969 में इस पर चार प्रोग्राम प्रोवाइडर कम्प्यूटरों को जोड़ा गया था। शुरू में इनका उपयोग रक्षा अनुसंधान से जुड़े कार्यक्रम हेतु किया गया। 1989 में सर्न के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने **वर्ल्ड वाइड वेब (www)** को स्थापित किया जो **इंफार्मेशन ट्रैफिक [संग्रहण तथा संप्रेषण]** का मूल आधार बना, इसके बाद तो आधुनिकता और गति का ऐसा समागम बना कि नित-नई कार्यप्रणालियों ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। ब्रॉडबैंड, ऑप्टिकल फाइबर एवं उपग्रह प्रणाली ने सूचनाओं के आदान-प्रदान में गति को तीव्र से तीव्रतम किया और इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण आधुनिक युग को **सूचना क्रांति** का नाम दिया गया, जिसका फायदा बैंकिंग जगत को सर्वाधिक हुआ और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सभी की खास पसंद हो गई।

साइबर क्राइम क्या है?

विकास के साथ-साथ विध्वंसक प्रवृत्तियां भी जन्म लेने लगती हैं, वास्तव में साइबर क्राइम इसी की देन है। आज सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नत स्थिति के साथ ही साथ साइबर क्राइम भी समानांतर अपनी जगह बनाता जा रहा है, जो चिंताजनक है। बैंकिंग जगत में साइबर क्राइम बहुत खतरनाक एवं नुकसानदायक है, क्योंकि यह पैसे से जुड़ा है। मुख्य रूप से साइबर क्राइम में निम्न स्थितियां देखने को मिलती हैं:

साइबर क्राइम और बैंकिंग सुरक्षात्मक उपाय

संतोष श्रीवास्तव

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल

- सूचना व संचार तंत्र, कम्प्यूटर प्रोग्राम, डेटा तथा आंकड़ों को बाधित करना।
- कम्प्यूटरों में वायरस के माध्यम से सूचना व संचार प्रणाली पर आक्रमण कर के आंकड़ों को बाधित एवं नष्ट करना।
- कम्प्यूटर नेटवर्क को हैक करना।
- कम्प्यूटर नेटवर्क से आंकड़ों की चोरी करना।

साइबर क्राइम का वर्गीकरण

साइबर क्राइम आज की बड़ी चुनौती है तथा यह गंभीर समस्या बन गई है, इसने बैंकिंग ग्राहकों को चिंतित कर दिया है। साइबर क्राइम को हम निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं:

- हैकिंग, वायरस, वर्म तथा डेटा आपरेटिंग सिस्टम (DOS) में कम्प्यूटर को एक लक्ष्य के रूप में रखकर, अन्य कम्प्यूटरों पर आक्रमण किया जाता है।
- कम्प्यूटर का उपयोग हथियार के रूप में भी किया जाता है, जैसे किसी का खाता या क्रेडिट कार्ड लेकर वित्तीय धोखाधड़ी करना या किसी के डेटा व सूचनाओं से छेड़छाड़ करके उनमें परिवर्तन करना आदि शामिल है।

साइबर क्राइम के प्रकार एवं उनके दुष्परिणाम

“कोई भी ऐसा कार्य जो कम्प्यूटर, इंटरनेट पर अवैधानिक तरीके से किया गया हो एवं जिसमें बैंक, संस्था अथवा ग्राहक की राशि का कपटपूर्ण आहरण, दुरुपयोग अथवा हानि शामिल हो, साइबर क्राइम कहलाता है।” इसमें निम्न क्राइम शामिल हैं:

- ✓ **हैकिंग** : वर्तमान समय में हैकिंग आम हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र में हैकर ग्राहक की ई-मेल ट्रेस कर सकता है तथा ई-मेल, पासवर्ड का अनधिकृत उपयोग करके ग्राहक के खाते से राशि का आहरण करता है, इसी के साथ साइबर स्पेस के माध्यम से खातों पर गुप्त नजर रखकर राशि का दुरुपयोग करता है।

✓ **कम्प्यूटर वायरस/वर्म्स** : कम्प्यूटर वायरस अथवा वर्म्स ऑडियो, वीडियो, वर्ड या किसी अन्य रूप में हो सकता है। ये ई-मेल, पेन-ड्राइव या सीडी से डेटा का स्थानान्तरण करते समय या इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते समय कम्प्यूटर में आ जाते हैं और तब तक अपनी प्रतिलिपियां बनाते जाते हैं, जब तक कि उसकी मेमोरी पूरी नहीं भर जाती है। इस तरह से यह कम्प्यूटर सिस्टम की कार्यशील क्षमता को खत्म कर देते हैं तथा डेटा भ्रमित अथवा नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में यह एक तरह का संक्रमण होता है, जो कम्प्यूटर के सुरक्षा कॉरडॉन को तोड़ देता है। बैंकिंग क्षेत्र में ये बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि यहां जमा/अग्रिम राशि के अलावा, ऋण विभाग, सुरक्षा आदि की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी/दस्तावेज कम्प्यूटरों में रहती है। वर्ष 2000 में “लव बग” वायरस ने अमेरिका को 200 बिलियन डॉलर की हानि पहुंचाई थी।

✓ **इंटरनेट पायरेसी** : इंटरनेट पायरेसी का अर्थ होता है कि किसी कापीराइट फाइल को इंटरनेट के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से चुरा लेना। आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में कम्पनियां/संस्थाएं अपनी योजनाओं को गुप्त रूप से विकसित करती हैं एवं नयी योजनाएं बनाती हैं जिन्हें अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनी/संस्था इंटरनेट पायरेसी का उपयोग करके योजना/जानकारी/दस्तावेज चुरा लेती हैं।

✓ **डेटा डिडलिंग तथा इंटरनेट टाइम चोरी** : प्रोसेसिंग होने से पूर्व कम्प्यूटर पर डेटा बदल देना तथा प्रोसेस के बाद फिर उसे वास्तविक रूप में बदल देना डेटा डिडलिंग कहलाता है, इसी के साथ इंटरनेट पासवर्ड प्राप्त कर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा खरीदे गये समय का उपयोग अवैध रूप से करना इंटरनेट टाइम चोरी करना कहलाता है। इस अवैध टाइम चोरी के समय अपराधी बैंकिंग से जुड़े अपराध भी कर सकता है, इसमें राशि का अंतरण, ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना शामिल है।

✓ **लॉजिक बम या ई मेल बांबिंग/डिनायल ऑफ सर्विसेस अटैक** : यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी निश्चित दिन या समय पर सक्रिय होकर कम्प्यूटर के मुख्य प्रोग्राम में बाधा उत्पन्न करता है तथा मुख्य प्रोग्राम को भ्रमित भी करता है - जैसे अत्यधिक संख्या

में ई-मेल भेज कर किसी सर्वर या ई-मेल एकाउंट को नष्ट कर देना। इस मामले में बैंकिंग क्षेत्र को अत्यधिक सतर्क रहना होता है क्योंकि आज की पूरी बैंकिंग सर्वर की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है।

बैंकिंग जगत में साइबर क्राइम से बचने के सुरक्षात्मक उपाय

जैसे-जैसे हम बैंकिंग जगत में आधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ रहे हैं एवं बैंकिंग को सुविधाजनक बनाते जा रहे हैं वैसे-वैसे हमें साइबर क्राइम के खतरों का भी अधिक सामना करना पड़ रहा है। आज की मुख्य आवश्यकता साइबर क्राइम को रोकना है, विशेष रूप से बैंकिंग जगत में। क्योंकि यहां पैसे का समावेश होने के साथ ही बैंकिंग पर आम जन का विश्वास होता है तथा आम जन के हित जुड़े होते हैं। साइबर क्राइम को खत्म करने अथवा कम करने के लिए सुरक्षात्मक उपाय तुरंत ही किए जाने की जरूरत होती है। इसके लिए निम्न उपाय कारगर हो सकते हैं:

- साइबर क्राइम से बचने के लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित एवं जागरूक बनाना चाहिए। इसके लिए बैंक समय-समय पर पैम्फलेट का वितरण करें, डाक्यूमेन्ट्री का प्रदर्शन, शाखाओं में वीडियो के माध्यम से ग्राहकों को जानकारी देना, टेलीविजन, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन देना/लेख प्रकाशित करवाना शामिल है। इसमें इंटरनेट की कार्यविधि, इंटरनेट यूजर के दायित्व एवं इंटरनेट में साइबर क्राइम से बचने के उपाय आदि को शामिल किया जा सकता है।
- यूजर्स को अपने आई डी/पासवर्ड को अपने मोबाइल/पीडीए/ऑर्गेनाइजर अथवा डायरी में एक जगह पर लिखकर नहीं रखना चाहिए।
- यूजर्स को नेट बैंकिंग पासवर्ड को ई-मेल पासवर्ड और दूसरे लॉग-इन आईडी से मिलता-जुलता नहीं बनाना चाहिए।
- नेट बैंकिंग पासवर्ड बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसको कोई अन्य व्यक्ति सामान्य तरीके से खोज नहीं सके, पासवर्ड में लेटरों/नम्बरों के साथ-साथ स्पेशल कैरेक्टर्स को शामिल किया जाना उचित रहता है।
- यूजर्स को नेट बैंकिंग वेबसाइट का प्रयोग करने से पहले अपने ब्राउजर पर ऑटो-कम्प्लीट फंक्शन डिसेबल

- कर देना चाहिए। साइबर कैफे अथवा किसी दूसरे व्यक्ति का कम्प्यूटर उपयोग करते समय नेट बैंकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लॉग-आउट करके ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर करके बाहर आना चाहिए।
- कम्प्यूटरों पर वर्चुअल की-बोर्ड का उपयोग करते समय यह ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति, आईडी/पासवर्ड का उपयोग करते समय आपकी “की” को देख तो नहीं रहा है अथवा मोबाइल से उसकी वीडियो तो नहीं बना रहा है।
 - ब्राउजर पर बैंक का यूआरएल स्वयं टाइप करना चाहिए। ई-मेल पर मिले मैसेज में लिखे यूआरएल पर क्लिक करके ट्रंजेक्शन करना खतरनाक हो सकता है।
 - ऑनलाइन बैंकिंग करते समय सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए।
 - कम्प्यूटर पर आने वाले मेल (संदेशों) में भेजने वाले की जांच करें, इसके बाद ही उन्हें खोलें, जो मेल संदेहास्पद लगे उन्हें खोलना नहीं चाहिए और तुरंत डिलीट कर देना चाहिए।
 - यूजर्स को बैंकिंग से संबंधित अपने सभी आईडी एवं पासवर्ड को गुप्त रखना तथा समय-समय पर अपने पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। क्रेडिट कार्ड एवं बैंक एकाउंट नम्बर किसी अनजान कॉल पर नहीं बताना चाहिए।
 - बैंकिंग क्षेत्र के सभी कम्प्यूटरों में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना चाहिए।
 - बैंक के सभी कम्प्यूटरों/सिस्टम पर एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लोड करवाए जाने चाहिए, इसी के साथ कम्प्यूटरों/सिस्टम पर जीरो डे वायरस प्रोटेक्शन सॉल्यूशन लोड कराने चाहिए, इससे हैकिंग से बचा जा सकता है।
 - बैंकर को किसी अनजान व्यक्ति की पेनड्राइव या सीडी अपने सिस्टम पर नहीं लगानी चाहिए, इससे उसके वायरस सिस्टम में आ जाते हैं। इनका उपयोग करने के पहले उन्हें एंटीवायरस से स्कैन करके क्लीन करना चाहिए।
 - यदि कम्प्यूटर में वायरस आ गया है तब अपने पूरे सिस्टम को एंटी वायरस से स्कैन करवाना चाहिए।
 - कम्प्यूटरों में रखे गये महत्वपूर्ण दस्तावेज/जानकारी आदि को सीडी पर लोड करके अलग भी रखना चाहिए।
 - इंटरनेट पर खरीददारी करते समय संबंधित विक्रेता कम्पनी/संस्था द्वारा ग्राहक का नाम, पता, क्रेडिट कार्ड का प्रकार, नम्बर, बैंक एकाउंट नम्बर, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की समाप्ति तिथि के अलावा कोई और जानकारी मांगने वाली वेबसाइट संदेहास्पद हो सकती हैं। इसलिए यहां सतर्कता आवश्यक है।
 - ट्र-एफ ए प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, इसमें एक अतिरिक्त डोमेनिक पासवर्ड होने से इंटरनेट के जरिए होनेवाले लेन-देन में वित्तीय धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।
 - साइबर सिक्योरिटी में “फायरवाल” की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑनलाइन बैंकिंग, ई-टिकटिंग, ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस आदि में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश सरकारी तथा निजी संस्थानों का अपना पर्सनल कम्प्यूटर नेटवर्क होता है जिसे “इंट्रानेट” कहा जाता है। उस संस्थान की गोपनीय जानकारी बाहर नहीं जाए इसके लिए “फायरवाल” को हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों रूपों में उपयोग किया जा सकता है, वास्तव में यह एक तकनीक होती है जो प्राइवेट नेटवर्क तथा इंटरनेट के बीच सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है और प्राइवेट नेटवर्क को अनचाहे यूजर्स की कोशिशों से बचाती है। फायरवाल वह शक्तिशाली तकनीक है जिसमें जब किसी मैसेज को नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है तब वह पहले फायरवाल से होकर गुजरता है, तथा फायरवाल उन्हीं मैसेज को प्राप्तकर्ता को भेजता है, जो निर्धारित मापदण्ड पर खरे उतरते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवाल ऑन रहना चाहिए, ताकि वह साइबर क्राइम से बचा सके और कम्प्यूटर को सुरक्षित रख सके।
- इस तरह से हम देखते हैं कि सतर्कता में ही समझदारी है। वर्तमान समय में बढ़ते साइबर क्राइम में किसी भी स्तर की लापरवाही अथवा अनदेखी, व्यक्तिगत तौर पर अथवा संस्थान को वित्तीय नुकसान पहुंचा सकती है। बैंकिंग संस्थानों ने साइबर क्राइम से बचने के लिए अपने यहां पूर्ण सुरक्षात्मक उपाय करना एवं अपनाना शुरू कर दिया है, जो स्वागत योग्य है।

आज का युग है बटन टेक्नोलॉजी का अर्थात् क्लिक क्लिक क्लिक। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की खोज मानव इतिहास में पहिए की खोज के बाद दूसरी बड़ी खोज है जिसने मानव के हर कार्यकलाप को प्रभावित किया है। “पहिए” के सहारे आप विश्व के किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं जबकि आईटी के सहारे आपके समक्ष विश्व का कोई भी कोना प्रस्तुत हो सकता है। यही तो है बटन टेक्नोलॉजी का कमाल।

विगत कई वर्षों से आईटी उद्योग अकादमिक संस्थाओं, प्रबंधन एवं वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इस उद्योग ने सूचना, प्रौद्योगिकी एवं कार्य संबंधी विन्यास का उपयोग करते हुए व्यवसाय प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया है, वैकल्पिक सुपर्दगी चैनल प्रस्तुत किए हैं तथा आपसी कार्यों के तालमेल, आंकड़ों के आदान-प्रदान और विभिन्न आस्तियों की दक्षता में सुधार के नए मानक स्थापित किए हैं।

समूचे विश्व में बैंकों ने भी अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यकलापों के विस्तार के लिए आईटी क्षेत्र में हुए विकास का भरपूर लाभ उठाया है और अपने व्यवसाय की प्रक्रियाओं, सुपर्दगी चैनलों के अलावा अपने कर्मियों की कार्यकुशलता, आंतरिक लेखा कार्यों, उत्पादकता तथा ग्राहक सेवा के क्षेत्र में सुधार किया है। आईटी के उपयोग से बैंकों की निर्णय-प्रक्रिया को भी बहुत संबल मिला है।

भारत में आईटी का विकास ऐसे समय में हुआ जब आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाएं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) अत्यधिक महंगी थीं और अविश्वसनीय भी। इसके चलते कुछेक चयनित व्यवसाय-प्रक्रियाओं का मशीनीकरण आरंभ हुआ। तथापि, भारत में बैंकों ने आईटी की महत्ता को बहुत पहले अर्थात् 1965 में पहचानकर उसे अपनाया शुरू किया जब एक सार्वजनिक बैंक ने अपने मुख्यालय में एक आंकड़ा संसाधन मशीन लगाई थी।

इन विगत 45 वर्षों में भारत के बैंकिंग उद्योग में आईटी के कारण आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं और यह इसी का परिणाम है कि आज बैंक न केवल भारत के प्रत्येक कोने में बल्कि विश्व में

बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते कदम इस चहलकदमी की कहानी

संदीप भारद्वाज¹ एवं योगराज²

¹ प्रबंधक (रिसर्च) स्टेट बैंक अकादमी, गुडगांव

² प्रबंधक (राजभाषा) भारतीय स्टेट बैंक, शिमला

कहीं भी, कभी भी अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं।

भारतीय बैंकों में प्रौद्योगिकी

किसी भी विकासशील देश में उसके वित्तीय ढांचे की नींव उसकी अपनी बैंकिंग प्रणाली होती है। बैंकिंग प्रणाली ही किसी देश की समूची आर्थिक प्रणाली में मौद्रिक नीति के प्राण फूंकती है। भारत में भी बैंकिंग प्रणाली की परिधि में ही आर्थिक विकास हुआ है।

1966 में बैंकर संघ तथा कर्मचारी यूनियनों के बीच बैंकों में मशीनीकरण के उद्देश्य से पहला द्विपक्षीय समझौता हुआ था। इसके बाद बैंकिंग कैलकुलेटर, लेखांकन मशीन, कैश रजिस्टर बैंकों में आए किन्तु इनका भरपूर उपयोग प्रचलित नहीं हो सका। ऐसा न होने के पीछे यह डर था कि इनके प्रचलन से स्टाफ की कटौती होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। एक लंबे असें तक भारतीय बैंकों में बहुत कम प्रतिस्पर्धा थी और वे एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था में कार्य कर रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए किसी दीर्घकालिक अथवा भविष्यदर्शी योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया गया।

बैंकिंग उद्योग में मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण की पहली रूपरेखा 1983-84 में तैयार की गई। 1983 में रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप-गवर्नर डॉ. सी रंगराजन की अध्यक्षता में 1985-90 की अवधि में बैंकिंग उद्योग में कंप्यूटरीकरण हेतु संस्तुतियां देने के लिए एक समिति गठित की गई। 1988 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में 1990-94 की अवधि में बैंकों में कंप्यूटरीकरण हेतु एक और समिति गठित की गई। 29 अक्टूबर 1993 को आईबीए और प्रमुख ट्रेड यूनियनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

गए जिसके अनुसार बैंक :

- 750 अथवा अधिक दैनिक वाउचर वाली शाखाओं,
- विशिष्ट शाखाओं,
- गैर-व्यवसाय शाखाओं,
- प्रशासनिक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण कर सकते थे।

इस समझौते के बाद ही एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीनें), नोट काउंटिंग मशीनें, डिमांड ड्राफ्ट प्रिंटर, पासबुक प्रिंटर और हस्ताक्षर सत्यापन मशीनें बहुसंख्या में बैंकों में आईं।

मशीनीकरण/कंप्यूटरीकरण संबंधी दृष्टिकोण

कंप्यूटरीकरण के लिए बैंकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। कंप्यूटरीकरण की योजना को प्रभावी ढंग से कार्यरूप देने हेतु बैंकों के पास न तो संस्थागत ढांचा था और न ही पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से सक्षम स्टाफ। बैंकों ने इस हेतु “कंप्यूटर पॉलिसी एण्ड प्लानिंग विभाग” के नाम से एक नए विभाग का गठन किया। बैंकों ने मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए जो विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए उन्हें निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

1. **स्टैंड अलोन कंप्यूटर प्रणालियां** : सर्वप्रथम बैंकों ने अपनी शाखाओं, क्षेत्रीय, आंचलिक कार्यालयों, मुख्यालयों में अपने प्रयोजनमूलक कार्यों के लिए स्टैंड अलोन प्रणालियां लगाईं जो माइक्रो-प्रोसेसर/मिनी कंप्यूटर थे। फिर मेनफ्रेम कंप्यूटर लगाए गए। शाखाओं/कार्यालयों में लगाई गई मशीनों को इलेक्ट्रॉनिक लेजर पोस्टिंग/एकाउंटिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनों को एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन भी कहा जाता था :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| क) चालू खाते | ख) बचत बैंक खाते |
| ग) सावधि जमा खाते | घ) जनरल लेजर खाते |
| ड) कैश-क्रेडिट एवं ऋण खाते | |

कुछ बैंकों ने खातों के मिलान, वेतन एवं पे-रोल, भविष्य निधि, बजट संबंधी आंकड़ों और वार्षिक लेखाबंदी के लिए भी स्टैंड-अलोन पर्सनल कंप्यूटरों का उपयोग आरंभ किया था।

2. **संपूर्ण शाखा कंप्यूटरीकरण (टोटल ब्रांच ऑटोमेशन-टीबीए)** : स्टैंड अलोन प्रणाली के चलते बैंकों को विभिन्न अलग-अलग खातों में लेनदेन की समस्या आ रही थी। पहले नामे खाता मशीन में एक अंतरण वाउचर पंच करना पड़ता था फिर उसे जमा खाता मशीन में पंच करना होता था। जिन शाखाओं में कार्यभार कम होता था उनमें प्रत्येक मशीन के लिए फ्रंट डेस्क स्टाफ को लगाना पड़ता था। दैनिक नियंत्रण विवरणियां, समाधान-विवरण, एमआईएस विवरणियां अलग से बनानी पड़ती थीं जिनमें बहुत श्रमशक्ति और समय नष्ट हो रहा था।

शाखा स्तर के सर्वर और शाखा में लोकल एरिया नेटवर्किंग की सहायता से बैंकों में केन्द्रीकृत प्रक्रिया अवधारणा अस्तित्व में आई। इसमें सभी सूचनाओं को सर्वर में रखा जाता है और उनकी प्रोसेसिंग भी उसी में होती है। अन्य डेस्कॉ की मशीनें इसके साथ संबद्ध होती हैं जिनका उपयोग ग्राहकों को सेवा देने हेतु होता है। कंप्यूटरीकृत प्रणालियों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु लेखा-परीक्षा, अपवादात्मक रिपोर्टें निकाली जाने लगीं। संपूर्ण शाखा मशीनीकरण के चलते शाखाओं में एकल खिड़की (सिंगल विंडो) अवधारणा का भी बीजारोपण हुआ। अब ग्राहक अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी काउंटर पर जाकर कर सकते थे। अब ऑनलाइन लेजर सारांश, वाउचर, खाता विवरणी, पासबुक प्रिंटिंग आदि संभव थी। शाखाओं में एटीएम, टेली बैंकिंग एवं वॉयस बैंकिंग को टीबीए प्रणाली के साथ संबद्ध किया गया जिससे ग्राहकों को वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल उपलब्ध हुए।

3. **नियंत्रक कार्यालयों में नेटवर्किंग (LAN)** : बैंकों के क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों एवं मुख्यालयों में नेटवर्किंग के परिणामस्वरूप शाखाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ। शाखाओं से आंकड़े आसानी से उपलब्ध होने लगे एवं क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में आंकड़ों की तुलना से शाखाओं की प्रोफाइल समझने, व्यवसाय, ऋण की मॉनीटरिंग, अंतर-शाखा समाधान, पेन्शन एवं वेतन

स्कॉल तैयार करने, आरबीआई/मुख्यालय से संबद्ध विवरणियां तैयार करने और वैयक्तिक आंकड़ों के प्रबंधन में बहुत सुविधा हुई। निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधन, निधि प्रबंधन, ऋण सूचना प्रणाली, एमआईएस, सर्वर पर स्टोरेज उपकरणों, प्रिंटरों एवं एप्लीकेशनों की शेयरिंग से बैंकों को अपने परिचालनों को अधिक दक्षता से पूरा करने में आसानी हुई तथा इसके फलस्वरूप हार्डवेयर क्रय के खर्च में भी बचत हुई।

4. शाखाओं की नेटवर्किंग : लीड लाइनों अथवा वी-सैट (वैरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनलों) की सहायता से बैंक शहरों की शाखाओं के साथ दूर-दराज के इलाकों की शाखाओं की नेटवर्किंग कर रहे हैं। इस नेटवर्क को WAN (वाइड एरिया नेटवर्क) के नाम से भी जाना जाता है। बैंकों ने अपने कंप्यूटर नेटवर्क के अलग-अलग नाम भी दिए हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक समूह के सभी कार्यालयों एवं शाखाओं के नेटवर्क को एसबीआई-कनेक्ट नाम दिया। कंप्यूटर नेटवर्क के कारण तत्काल संप्रेषण के लिए ई-मेल, इंटरनेट, वेबसाइट का प्रचलन बढ़ा है तथा सूचनाओं का एक केन्द्रीभूत स्तर पर आदान-प्रदान और संसाधन (प्रोसेसिंग) संभव हुआ है। यह इस कंप्यूटर नेटवर्क का ही परिणाम है कि आज की तारीख में बैंकों में केन्द्रीकृत रूप में वेतन, परिलब्धियों, छुट्टी रिकॉर्ड, स्टाफ के वैयक्तिक आंकड़ों, ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) की प्रोसेसिंग, एटीएम की 100% नेटवर्किंग आदि प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है।

5. कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) : यह बैंक की शाखाओं की नेटवर्किंग से संबंधित है जिसके माध्यम से ग्राहक इस नेटवर्क से जुड़ी शाखा में जाकर बैंक की किसी भी शाखा के अपने खाते में लेनदेन कर सकता है। इस समाधान के बाद ग्राहक किसी शाखा विशेष का ग्राहक न होकर बैंक का ग्राहक हो गया है। यह समाधान कहीं भी, कभी भी बैंकिंग की अवधारणा का उदाहरण है जिसके कारण ग्राहक को बैंकिंग लेनदेन में बहुत सुविधा हुई है।

सभी सीबीएस शाखाएं इस नेटवर्क में एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं जिसके कारण ग्राहक बैंक की विश्व में कहीं भी स्थित शाखा से निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं:

- खाते में शेष राशि, जमा, नामे राशि की प्रविष्टियों की जानकारी,
- खाता विवरण,
- चेक देकर अपने खाते से नकदी की प्राप्ति,
- अपने अथवा किसी अन्य के पक्ष में अपने खाते से राशि का अंतरण, बशर्ते कि दोनों के खाते सीबीएस शाखा में हों,
- अपने खाते में चेक जमा करना,
- अपने खाते में नकदी जमा करना,
- सीबीएस शाखा में किसी अन्य व्यक्ति के खाते में चेक/नकदी जमा करना,
- सीबीएस की किसी भी शाखा से मांग ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक प्राप्त करना - इनकी राशि खाते से ऑनलाइन नामे की जाएगी,
- ग्राहक एटीएम और उन अन्य सुपुर्दगी चैनलों का उपयोग कर सकते हैं जो सीबीएस प्लेटफॉर्म के साथ संबद्ध हों।

इस सभी का उद्देश्य ग्राहकों को सुविधा, दक्षता एवं उच्च गुणवत्तायुक्त विश्वस्तरीय सेवाएं प्रदान करना है। सीबीएस शाखा बिक्री एवं सेवा सुपुर्दगी केन्द्र की तरह होती है। इसमें बैंक-ऑफिस की प्रक्रियाएं/गतिविधियां प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी दूसरे स्थान पर पूरी की जाती हैं। इससे शाखा के पास ग्राहकों को सेवाएं देने हेतु अधिक समय मिलता है जिसके फलतः बैंक की सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में निखार आता है तथा ग्राहक को बैंकिंग लेनदेन में सुविधा और प्रसन्नता का अहसास होता है। सीबीएस के प्रयोग से बैंकों को निम्नलिखित लाभ होते हैं:

- सीमित प्रोफेशनल स्टाफ का अधिक दक्षता से उपयोग,
- शाखा में 15-20% स्टाफ की कमी,

- उपलब्ध अतिरिक्त स्टाफ का अन्य कार्यों जैसे, विपणन, वसूली एवं वैयक्तिक रूप से सेवाएं देने में उपयोग,
- निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु सूचनाओं की तुरंत उपलब्धता,
- नीतियों का त्वरित एवं सही कार्यान्वयन,
- नवोन्मेषित वसूली प्रक्रियाएं जिससे वसूली की लागत और एनपीए प्रावधानों में कमी आती है,
- बेहतर प्रक्रियाएं (जैसे अंतर शाखा समाधान) जिससे मुख्यालय में कम स्टाफ की आवश्यकता होती है, शाखाओं और मुख्यालय में सॉफ्टवेयर के रखरखाव की लागत में कमी,
- केन्द्रीकृत प्रिंटिंग और बैकअप की सुविधा जिससे पूंजीगत और राजस्व खर्च में कमी आती है,
- अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन,
- कार्य की गति में वृद्धि जिससे व्यवसाय के अवसर बढ़ते हैं और अर्थदंड एवं विधिक खर्चों आदि में कमी आती है।

सीबीएस के कारण आंकड़ों का विभिन्न उद्देश्यों हेतु एकीकरण संभव हुआ है जैसे क्रॉस-सेलिंग, सीआरएम, विनियामक (रेग्युलेटरी) रिपोर्टिंग एवं आंतरिक एमआईएस। यह सब कम लागत पर संभव हुआ है। कोर बैंकिंग के माध्यम से बैंकों ने अपने समस्त बैंकिंग लेनदेन करने की क्षमता हासिल की है।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली

भुगतान प्रणाली विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं के बीच लेनदेन के स्वीकृत माध्यम से माल और सेवाओं के विनिमय की सुविधा प्रदान करती है। कंप्यूटरीकरण से बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों अर्थात् क्रेता और विक्रेता के बीच ऑनलाइन वित्तीय विनिमय की सुविधा देने में सक्षम हैं। ऑनलाइन वित्तीय विनिमय डिजिटल कैश, इलेक्ट्रॉनिक चेकों या बैंकों के बीच कुछ एन्क्रिप्टेड संदेशों की सहायता से होता है।

भारत में वर्तमान भुगतान प्रणालियों के बारे में देश के भीतर और विदेशों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक द्वारा 2001-03 के लिए देश की भुगतान प्रणालियों के समेकन, विकास और एकीकरण का रोडमैप बनाने हेतु एक भुगतान प्रणाली रूपरेखा

प्रलेख तैयार किया गया था। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद मई 2005 में 2005-08 के लिए एक विजन प्रलेख प्रकाशित किया गया जिसमें आने वाले 4 वर्षों के लिए रिज़र्व बैंक के विजन का उल्लेख किया गया था। नवंबर 2009 में रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियां - विजन 2009-12 निकाला जिसमें देश के लिए सुरक्षित, सुदृढ़ एवं सक्षम भुगतान तथा निपटान प्रणालियां संस्थापित करने पर बल दिया गया था।

भुगतान प्रणालियों के आधुनिकीकरण की दिशा में समाशोधन (क्लीयरिंग) परिचालनों का कंप्यूटरीकरण पहला प्रमुख कदम था। समाशोधन परिचालनों में तकनीक का उपयोग अस्सी के दशक में माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंप्यूटर प्रणालियों के प्रयोग के साथ क्लेम बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम की मुंबई, चेन्नै और दिल्ली में संस्थापना के साथ हुआ। इस दिशा में दूसरा मील का पत्थर था समाशोधन परिचालनों का पूर्णतया स्वचालन। इसका समाधान था माइकर आधारित मशीनचालित चेक प्रोसेसिंग तकनीक की शुरुआत। सेवा शाखाओं के कंप्यूटरीकरण के साथ-साथ बड़ी मात्रा के बैंकिंग व्यवसाय केन्द्रों (माइकर और फ्लॉपी आधारित दोनों) में समाशोधन गृहों के कंप्यूटरीकरण के परिणामस्वरूप अन्य केन्द्रों पर समाशोधन परिचालनों को स्वचालित करने की नींव पड़ी। अब ईसीएस, ईएफटी और एनईएफटी जैसी इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सुविधाओं की महत्ता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। अपने देश में प्रचलित प्रमुख भुगतान प्रणालियां निम्नलिखित हैं:

1. **ईएफटी (इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) :** विभिन्न बैंकों के खातों में फंड ट्रांसफर
2. **ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस) :** ईएफटी का विशेष प्रकारांतर जो समाशोधन गृह के माध्यम से बहुसंख्य प्राप्ति/भुगतान के लिए उपयोग में लाया जाता है। देश में यह सुविधा 91 केन्द्रों पर उपलब्ध है जिनमें से 15 का आरबीआई, 47 का स्टेट बैंक समूह तथा शेष का अन्य बैंकों द्वारा प्रबंधन होता है।
3. **एसईएफटी (स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) :** ईएफटी की पहुँच बढ़ाने हेतु इसका आरंभ हुआ। इसमें मुंबई में संस्थापित नेशनल क्लीयरिंग सैल के माध्यम से लेनदेन होते हैं। इसका स्थान एनईएफटी ने ले लिया है।

4. **एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) :** यह एक राष्ट्रव्यापी ईएफटी प्रणाली है जिसके माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक की शाखा में किसी भी व्यक्ति या व्यवसायिक फर्म के किसी भी बैंक-खाते में राशि अंतरित की जा सकती है। इसकी सहभागी शाखा को 11 अंक का आईएफएससी (इंडियन फायनेंशियल सिस्टम कोड) दिया जाता है। रिज़र्व बैंक इसकी केन्द्रीय नियंत्रक एजेंसी है। इसकी विशेषता है कि इसमें हर घंटे में निधियों का निपटान होता है। (इसमें सोम से शुक्रवार तक प्रातः 9 बजे से 7 बजे तक 11 निपटान एवं शनिवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 5 निपटान होते हैं) इस सुविधा के अंतर्गत केवल भारत तथा नेपाल में ही फंड अंतरित किए जा सकते हैं, दुनिया के अन्य देशों में नहीं।
5. **आरटीजीएस (रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) :** इसमें फंड का निपटान (सेटलमेंट) निरंतर आधार पर होता रहता है। इस सुविधा के अंतर्गत केवल भारत में प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक राशि अंतरित की जा सकती है। इसमें अंतरित की जाने वाली न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए है। इस सुविधा के अंतर्गत सबसे तीव्र गति से निपटान होता है।
6. **एनईसीएस (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) :** वर्तमान में ईसीएस विकेन्द्रीकृत रूप से कार्य करता है जिसमें यूजर को प्रत्येक केन्द्र का ईसीएस डेटा तैयार करना होता है। एनईसीएस सुविधा होने पर प्रायोजक (स्पांसर) बैंकों को ईसीएस फाइलें केन्द्रीकृत रूप में मुंबई में प्रस्तुत करनी होती हैं जिसके कारण उन्हें विभिन्न लोकेशनों से डेटा भेजने के लिए फाइलें अलग कर स्थानीय ईसीएस का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा से अब केवल एक एनईसीएस फाइल तैयार कर देश में एनईसीएस की सहभागी शाखाओं में कहीं भी फंड अंतरित किए जा सकते हैं। अभी केवल एनईसीएस का क्रेडिट संस्करण ही उपलब्ध है किन्तु डेबिट संस्करण के शीघ्र ही आरंभ होने की आशा है।

7. **स्विफ्ट (सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलिकम्यूनिकेशन) :** स्विफ्ट की स्थापना 1973 में एकीकृत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन प्रक्रिया एवं संचार प्रणाली के सृजन के उद्देश्य से की गई थी। यह बेल्जियम के कानून के अंतर्गत एक सहकारी समिति है। इसका मुख्यालय ब्रूसेल्स में है एवं इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इसका मालिकाना हक इसके सदस्य-बैंकों के पास है।
8. **सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) :** इसके अंतर्गत भुगतान हेतु चेक भौतिक रूप में प्रस्तुत न कर उन्हें स्कैन कर क्लियरिंग प्रक्रिया में प्रस्तुत किया जाता है। इसका लाभ यह है कि चेक की इमेज इलेक्ट्रॉनिकली प्रेषित की जाती है और चेक के भुगतान में बहुत कम समय लगता है।

वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल (ऑल्टरनेट डिलिवरी चैनल)

यह आईटी का ही कमाल है कि इसके कारण बैंकिंग अब शाखाओं से और शाखाओं के कार्यसमय से आगे जा चुकी है। कहीं भी, कभी भी बैंकिंग की अवधारणा इन चैनलों के कारण ही संभव है। इनके चलते बैंकिंग के दोनों पक्षों को सुविधा हुई है और लागत पर भी लगाम लगी है। दूरसंचार क्रांति वैकल्पिक चैनलों के क्षेत्र में नई संभावनाएं ला रही है। ये चैनल वर्ष भर चौबीसों घंटे कार्य करते हैं। अब बैंकिंग ग्राहकों के घर/कार्यालय/ मॉल/ बाजार में सभी जगह उपलब्ध है। इन चैनलों में स्वचालित कार्य होते हैं और मानवीय हस्तक्षेप की बहुत कम आवश्यकता होती है। ग्राहक अब इन चैनलों के माध्यम से लगभग समूचे बैंकिंग क्रियाकलाप कर सकते हैं वह भी अपनी सुविधा और समय के अनुसार बिना किसी झमेले के। आइए, अब इन वैकल्पिक चैनलों पर चर्चा करते हैं:

1. **एटीएम :** 1990 के आरंभिक दिनों में स्टैंड-अलोन एटीएम भारत में आए। आईटी नेटवर्किंग के बैंकों में प्रवेश से एटीएम स्विच संस्थापित किए गए जिनके कारण बैंकों के बीच एटीएम की शेरिंग आरंभ हुई। 1997 में आईबीए ने शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम या स्वधन एटीएम नेटवर्क मुंबई में आरंभ किया। यह देश का प्रथम एटीएम नेटवर्क था किन्तु कुछ परेशानियों के चलते यह चल नहीं पाया।

बैंक की शाखाओं और एटीएम की आईटी नेटवर्किंग से बैंकों के एटीएम बैंक के अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। अब ग्राहक किसी दूसरे बैंक के एटीएम से भी नकदी आहरण और खाते में शेष की जानकारी संबंधी आधारभूत लेनदेन कर सकते हैं। इस हेतु बैंक कुछ फीस लेते हैं जो बैंकों के आपसी समझौते पर निर्भर करती है। जिन बैंकों का एटीएम नेटवर्क विशाल है वे इस फीस के माध्यम से अच्छा राजस्व प्राप्त कर रहे हैं।

एटीएम नेटवर्क स्विच कई हैं, जैसे : कैशट्री, बैंक्स, कैशनेट मित्र एवं नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इसके अलावा अधिकांश एटीएम स्विच वीजा या मास्टरकार्ड गेटवे से जुड़े हैं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच भारत में इंटरबैंक नेटवर्क है। इस स्विच की शुरुआत 27 अगस्त 2004 को हुई थी। इसकी शुरुआत आईडीआरबीटी ने की थी। इस नेटवर्क के लिए निपटान एजेंसी का कार्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) करता है। इस स्विच से 94 बैंकों के 99242 एटीएम जुड़े हुए हैं जो भारत में एटीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है।

एटीएम के माध्यम से ग्राहकों को अन्य बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे : बिजली के बिल का भुगतान, पानी, मोबाइल आदि के बिल का भुगतान। अब एटीएम के माध्यम से 'भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर' भी जमा कराए जा सकते हैं। एटीएम से ग्राहक स्कूल/कॉलेज की फीस जमा कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन रीचार्ज कर सकते हैं, धार्मिक/गैर सरकारी संस्थाओं को दान/चंदा दे सकते हैं। बैंक उन क्षेत्रों में, जो दुर्गम हैं अथवा जहाँ बैंकिंग सुविधाएं अभी नहीं हैं, बायोमीट्रिक एटीएम लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

2. **सेवा/बिक्री केन्द्र (पॉइंट ऑफ सर्विस/सेल) एवं कार्ड** : इन केन्द्रों पर लगी मशीन में क्रेडिट/डेबिट कार्ड का प्रयोग कर ग्राहक सुरक्षित तरीके से माल की लागत का भुगतान कर सकते हैं। इनसे ग्राहकों को बहुत सुविधा होती है, उन्हें हर समय नकदी अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं होती। इन केन्द्रों पर लगी नई पीढ़ी की

मशीनें बायोमीट्रिक सुविधा से परिपूर्ण हैं जिनमें सुरक्षा का पहलू और भी सुदृढ़ हो जाता है। रिज़र्व बैंक ने घोषणा की है कि ग्राहक अब डेबिट कार्ड से इन केन्द्रों पर प्रतिदिन 1000 रुपए नकदी का आहरण भी कर सकते हैं।

3. **स्मार्ट कार्ड** : यह कार्ड प्लास्टिक का होता है और देखने में क्रेडिट/डेबिट कार्ड जैसा ही होता है। इसमें माइक्रोप्रोसेसर चिप लगी होती है (जबकि क्रेडिट/डेबिट कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है), स्मार्ट कार्ड में मेमोरी होती है जिससे आंकड़े स्टोर एवं प्रोसेस किए जा सकते हैं और यह आईएसओ 7816 के मानकों के अनुरूप होता है।
4. **इंटरनेट बैंकिंग** : इंटरनेट/ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा से ग्राहक कहीं भी, कभी भी बैंकिंग लेनदेन कर सकता है। इस हेतु बैंक अपने ग्राहकों को यूज़र आईडी तथा पासवर्ड देता है। इसके बाद ग्राहक संबंधित बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट के माध्यम से अपने खाते में शेष धनराशि, विवरण, फंड ट्रांसफर (अपने अथवा तृतीय पक्ष के खाते में) कर सकता है, विभिन्न सेवाओं (चेकबुक, ड्राफ्ट, अन्य खाता खोलने आदि) के अनुरोध, प्रत्यक्ष कर जमा, विभिन्न बिलों का भुगतान, रेल/हवाई टिकट आरक्षण एवं आरटीजीएस व एनईएफटी और अन्य भुगतान नेटवर्क का उपयोग कर अन्य बैंकों के खातेदारों के खाते में धनराशि अंतरित कर सकता है। बैंक सामान्यतः दो प्रकार की ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करते हैं : व्यक्तियों हेतु रिटेल इंटरनेट बैंकिंग एवं फर्म/कंपनियों को कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा। सारांश में, आज की तारीख में बैंकिंग के लगभग समस्त लेनदेन इंटरनेट बैंकिंग से संभव हैं और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रिटेल बैंकिंग का भविष्य इंटरनेट बैंकिंग है।
5. **टेली बैंकिंग/कॉल सेंटर** : इनके माध्यम से बैंक के केन्द्र में फोन पर विभिन्न पूछताछ संभव होती है। यहाँ शिकायत भी दर्ज की जा सकती है।
6. **मोबाइल बैंकिंग** : अर्थात् बैंक की शाखा अब जेब में। इसे एसएमएस अथवा एम-बैंकिंग के नाम से भी जाना

जाता है। मोबाइल बैंकिंग से ग्राहक खाते में शेष धनराशि की जानकारी, राशि के लेनदेन, भुगतान, चेक भुगतान रोकने हेतु अनुदेश, फंड ट्रांसफर आदि सारे कार्यकलाप तथा पूछताछ कर सकता है। अपने देश में मोबाइल के बढ़ते प्रचलन के दृष्टिगत बैंकिंग के वैकल्पिक चैनलों में यह बहुत महत्वपूर्ण चैनल सिद्ध होने जा रहा है। बैंकों को अपनी उपस्थिति दुर्गम क्षेत्रों में जताने के लिए भी यह महत्वपूर्ण साधन है।

ऑडिट एवं सूचना सुरक्षा

बैंकिंग क्षेत्र में आईटी के बढ़ते उपयोग के चलते बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे आईटी ऑडिट करें और सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करें। प्रतिस्पर्धा में टिके रहने, कैश-प्लो, लाभप्रदता, विधिक अनुपालन एवं वाणिज्यिक छवि बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है कि बैंक विभिन्न लेनदेनों के संबंध में गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करें। आईटी के प्रचलन से बैंकिंग, वित्तीय फर्मों की प्रक्रिया एवं आंकड़ों के रखरखाव की प्रक्रिया बहुत बदल गई है। किसी सूचना का अप्राधिकृत एवं आकस्मिक उपयोग बैंक के लाभ, प्रतिस्पर्धा एवं छवि को बढ़ा लगा सकता है। इससे बैंक की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है, अनुपयुक्त रूप से कोई सूचना बाहर जा सकती है, बैंक कानूनी पचड़े में फंस सकता है और इससे विनियमन प्रावधानों आदि का उल्लंघन हो सकता है। बैंकों के प्रति ग्राहकों का विश्वास बदस्तूर रहे, उनके लेनदेन सुरक्षित रहें, उनमें गोपनीयता रहे, ग्राहकों की सूचनाओं का सत्यापन हो सके, इस हेतु रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अपनी सूचना सुरक्षा नीति बनाने के लिए अनुदेश दिए हैं।

अधिकांश बैंक तिमाही आधार पर अपनी शाखाओं/कार्यालयों का आईटी ऑडिट करते हैं। इसमें आईटी परिचालन और बैंक/रिज़र्व बैंक की सूचना सुरक्षा दिशानिर्देशों के आधार पर ऑडिट होता है।

इस हेतु बैंक जिन साधनों, विधियों एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं वे निम्नलिखित हैं:

1. पासवर्ड,
2. पिन (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर),

3. 3 डीईएस (ट्रिपल डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड) : यह बैंकों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है जिससे आईटी अपराधों को रोका जा सके।
4. डिजीटल सिग्नेचर : ताकि भेजे गए संदेश की सत्यता प्रमाणित हो सके।
5. पीकेआई (पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर) : इसके अंतर्गत संदेश भेजने वाला संदेश भेजते समय अपनी प्राइवेट की और प्राप्तकर्ता की पब्लिक की का कूट के रूप में उपयोग करता है। इसके कारण संदेश प्राप्तकर्ता के अलावा कोई अन्य उस संदेश को नहीं खोल सकता है। पीकेआई भारत और दुनिया के बैंकों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाले सबसे सुरक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर है।

डिजास्टर रिकवरी साइट (डीआरएस) एवं बिजनेस निरंतरता योजना (बीसीपी)

अपनी कंप्यूटर प्रणालियों और दूरसंचार तथा स्टोरेज प्रणालियों आदि के उपकरणों के लिए बैंकों के डेटा केन्द्र होते हैं। इन केन्द्रों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा उपकरण, डेटा संचार के उपकरणों और पर्याप्त परिवेश नियंत्रणजन्य उपकरणों (वातानुकूलन, अग्निशमन आदि) की व्यवस्था रहती है। सीबीएस सर्वर, एटीएम स्विच, इंटरनेट बैंकिंग सर्वर और नेटवर्क मॉनीटरिंग उपकरण सामान्यतः बैंकों द्वारा डेटा केन्द्रों में रखे जाते हैं।

एक स्थान पर डेटा सेंटर में समस्त बैंकिंग डेटा स्टोर करने के कारण बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे डेटा सेंटर में किसी कारणवश कोई समस्या आने पर किसी वैकल्पिक डेटा सेंटर का उपयोग कर सकें ताकि बैंकिंग निर्बाध रूप से चलती रहे। इसी उद्देश्य से बैंकों ने डेटा रिकवरी सेंटर स्थापित किए हैं जो मूल डेटा सेंटर के समस्याग्रस्त होने पर काम में आता है।

किसी प्रकार की आपदा (जैसे : भूकम्प, आग, बाढ़ या महामारी आदि) की स्थिति में बैंकिंग प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में भी बैंक को अपना व्यवसाय और परिचालन कायम रखना होता है। बीसीपी के ही एक घटक के रूप में बैंकों ने डीआरएस स्थापित किए हैं। आजकल बैंक अपनी प्रत्येक शाखा और कार्यालय के लिए बीसीपी तैयार करते हैं।

प्रौद्योगिकी का प्रभाव

यह प्रौद्योगिकी का ही प्रभाव है कि आज बैंकिंग लेनदेन प्रक्रिया एकदम बदल गई है। आज से एक दशक पहले और आज की बैंकिंग में जमीन-आसमान का अंतर हो गया है। अब प्रौद्योगिकी से सुसज्जित बैंकिंग उत्पाद परोसे जा रहे हैं जिन्हें अधिसंख्य ग्राहक हाथों-हाथ स्वीकार कर रहे हैं। हम अब शाखा बैंकिंग से आगे की सोच से भी प्रभावित हुए हैं और यह प्रौद्योगिकी का ही प्रभाव है कि ग्राहक अधिकाधिक सुविधाजनक उत्पादों की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। आईटी के कारण हमारी भुगतान प्रणाली सुधरी है जिसके फलतः अर्थव्यवस्था भी फली-फूली है। सरकार की अधिकांश योजनाओं का कार्यान्वयन बैंकिंग चैनल से सुगम हो गया है। आईटी के कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

1. **बहुभाषिकता** : अब बैंकिंग के सुपुर्दगी चैनलों में न केवल हिन्दी और अंग्रेजी अपितु क्षेत्रीय भाषाओं का भी बोलबाला है (एटीएम में लेनदेन, पासबुक प्रिंटिंग, खाता विवरण आदि कंप्यूटर के कारण स्थानीय भाषा तक में उपलब्ध हो रहे हैं)।
2. **ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम)** : कंप्यूटर के कारण बैंक ग्राहकों की समस्त जानकारीयों अपने पास स्टोर करने लगे हैं और वे ग्राहकों की आवश्यकतानुसार उनके मनपसंद उत्पाद समय-समय पर उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे विपणन और बिक्री की प्रक्रियाएं आसान हुई हैं।
3. **ई-गवर्नेंस** : वर्ष 2002 में ई-गवर्नेंस के प्रयास आरंभ हुए। इंटरनेट के माध्यम से सरकार देश के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को सूचनाएं और सेवाएं प्रदान करना चाहती है और कर रही है। विभिन्न बैंक, विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक अपने शाखा नेटवर्क के चलते इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है। अब ग्राहक/जनसाधारण ऑनलाइन बैंकिंग से बहुत से कार्यकलाप अपनी सुविधानुसार घर/कार्यालय से कर सकता है (विभिन्न टैक्स, वैंट, टिकट बुकिंग, रेलवे ई-फ्रेट आदि कुछ नाम जानी-पहचानी सेवाओं के हैं)।
4. **वित्तीय समावेशन** : दूरदराज के दुर्गम इलाकों में बैंकिंग

सुविधाएं आसानी से पहुंचाना केवल आईटी के कारण ही संभव हुआ है।

5. **यूनिवर्सल बैंकिंग** : अब बैंक पारंपरिक बैंकिंग उत्पादों से आगे निकलकर बहु-उद्देशीय एवं बहु-व्यावहारिक वित्तीय सुपरमार्केट के रूप में उभरे हैं। अब ग्राहकों को बैंक से ही म्यूच्युअल फंड, मर्चेन्ट बैंकिंग, फैक्ट्रिंग, क्रेडिट कार्ड, रिटेल ऋण, आवास ऋण, निवेश बैंकिंग, बीमा आदि की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

भावी चुनौतियां

आईटी क्षेत्र में नित नई खोज होने से लोग अब WAP-सक्षम बैंकिंग और इंटरैक्टिव टीवी बैंकिंग की स्वीकार्यता की बात करने लगे हैं। यह तो बिलकुल पक्का है कि आने वाले समय में बैंकिंग के साथ आईटी का साथ तो अज्ञात भविष्य के लिए सुरक्षित है अर्थात् अब आईटी के बिना बैंकिंग के बारे में सोचना भूल ही होगी। किन्तु आईटी से बैंकों समक्ष चुनौतियों का भी अंबार है जिनमें से कुछ हैं:-

- नई प्रौद्योगिकी से पैठ बनाने के लिए नियमित रूप से नई चीजें सीखना और सिखाना। इस हेतु बैंकों को अपने स्टाफ के ज्ञानार्जन हेतु निरंतर प्रयास करने होंगे और बजट का एक हिस्सा उनके प्रशिक्षण हेतु अलग करना होगा।
- नए बाजार, नए उत्पाद, सेवाएं और सुपुर्दगी चैनलों में वृद्धि होगी जिसके लिए काफी बजट का प्रावधान करना होगा। इससे छोटे बैंकों को समस्याएं आ सकती हैं।

आईटी से केवल प्रतिस्पर्धा ही नहीं अपितु प्रशासनिक एवं बैंक-एंड प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुई हैं। बैंकों को (छोटे हों अथवा बड़े) बाजार में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए आईटी का सहारा लेना ही होगा। इससे अंततः न केवल बैंकों को अपितु ग्राहकों को भी लाभ होगा। सभी बैंक आईटी के प्रयोग एवं प्रभाव के चलते एक स्तर पर आएंगे, उनमें छोटे-बड़े का अंतर निरंतर कम होता जाएगा।

○○○

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान राष्ट्र भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वृद्धि दरों का लक्ष्य निर्धारित किए जाने के बावजूद 'कृषि क्षेत्र में समग्र घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (जी.डी.पी. ग्रोथ रेट)' को प्राप्त न कर पाना निश्चय ही गंभीर चिंता का विषय

है। नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में "कृषि, वानिकी तथा मत्स्यपालन (सम्मिलित रूप में)" क्षेत्र में जीडीपी वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत थी। दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में यह वृद्धि दर पूर्वापेक्षा 0.2 प्रतिशत घटकर 2.3 प्रतिशत हो गयी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कृषि क्षेत्र में जीडीपी की यह वृद्धि दर दिसम्बर 2011 तक औसतन 3.2 प्रतिशत रही है, परंतु 'वर्ष 2011-12' के दौरान अपेक्षाकृत अच्छी फसल कटाई की प्रत्याशा में इस योजनावधि में कृषि जीडीपी वृद्धि दर के 3.3-3.5 प्रतिशत तक हो जाने की आशा की जा सकती है। बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017) के लिए 'कृषि क्षेत्र की जीडीपी वृद्धि दर' का यह लक्ष्य 9.0 से 9.5 प्रतिशत निर्धारित किए जाने की बात है। इसके विरुद्ध 'लक्ष्य प्राप्ति का अनुमान' 4 से 4.2 प्रतिशत से अधिक होने की सम्भावना नहीं व्यक्त की जा सकती। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु पिछली कई पंचवर्षीय योजनाओं में कई कार्यक्रमों को लागू किए जाने तथा लगभग सभी 'वार्षिक बजटों में बढ़ते परिव्ययों के बावजूद' निर्धारित कृषि जीडीपी वृद्धि दरों की प्राप्ति नहीं हो सकना निम्नलिखित की ओर इशारा करते हैं -

- (i) कहीं-न-कहीं कृषि विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करनेवाली एजेंसियों में आपसी ताल-मेल का अभाव;
- (ii) कार्य-प्रणाली की जटिलता,
- (iii) कृषि एवम् सहायक क्षेत्रों से सम्बन्धित शोध अधोसंरचनाओं का अपर्याप्त विकास तथा उनमें कार्यरत कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि शोध संकाय-सदस्यों को वांछित प्रोत्साहनों का अभाव तथा
- (iv) संस्थागत वितरण यांत्रिकी/पद्धति की खामियां।

भारतीय कृषि: समस्याएं एवं समाधान (12वीं पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में)

डॉ. राजीव कुमार सिन्हा

रिसर्च एशोसिएट, "कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र (बिहार एवम् झारखण्ड)",
ति. माँ. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर - 872007 (बिहार)

कृषि क्षेत्र : महत्ता-वर्तमान स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में 833 मिलियन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। वे अपने जीविकोपार्जन हेतु काफी हद तक फसलोत्पादन तथा पशुपालन, मत्स्यपालन, कृषि वानिकी तथा कृषि प्रसंस्करण आदि गतिविधियों पर आश्रित हैं। परिवर्तन को नयी दिशा तथा गति देनेवाला मुख्य अवयव तकनीक है। गेहूँ तथा धान के संदर्भों में 'ड्वार्फिंग जीन्स' के रूप में तकनीक के इस परिवर्तन को देखा जा सकता है तथा छोटे पैमाने की खेती एवं मत्स्यपालन में गतिशील (भ्रमणशील) टेलीफॉनी रूपी तकनीकें भी इन घनात्मक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल हम एक ऐसे काल में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ हमें अनिश्चित एवं कभी-कभी विरोधी 'मौसमी परिस्थितियों' का अनुभव भी करना पड़ रहा है। किसानों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के अनुपात में 'वैज्ञानिक ज्ञान (साइंटिफिक नो-हाऊ)' तथा जमीनी स्तर पर वैज्ञानिक अर्जित ज्ञान (फील्ड लेवल डू हाऊ) के प्रयोग के मध्य बढ़ती खाई को पाटने की हमारी क्षमता अपर्याप्त है। सत्तर के दशक की तुलना में ग्रामीण तकनीक में भी काफी बदलाव आया है, क्योंकि अब इस क्षेत्र में कई निजी कंपनियाँ भी उल्लेखनीय रूप से पदार्पण करती जा रही हैं। अब बीज कीटनाशक दवाइयों एवं रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में लगी निजी कम्पनियाँ भी अपने 'अल्पकालिक' तथा 'दीर्घकालिक लाभ' हेतु किसानों को मशविरा देने लगी हैं। यह काम निःस्वार्थ रूप से संस्थागत एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए था।

यहाँ कृषि के विषय में विशेष महत्त्व की बात यह है कि वर्ष 2010-11 में 'समग्र घरेलू उत्पाद' में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 14.4 प्रतिशत होने के बावजूद 'कृषि' भारत की जनसंख्या के लगभग 2/3 भाग को 'जीवन-निर्वाह का साधन' उपलब्ध कराती है तथा राष्ट्र की कुल श्रम शक्ति के लगभग 60 प्रतिशत भाग को

रोजगार के अवसर प्रदान करती है। कृषि क्षेत्र के इतने महत्वपूर्ण स्थान के बावजूद 'वर्ष 1950-51' से 'वर्ष 2007-08' तक की 57 वर्षीय लम्बी अवधि में - 'समग्र बोये गये क्षेत्र' में 1.48 गुना की वृद्धि अवश्य हुई, परंतु 'प्रतिशत वृद्धि' के संदर्भ में यह 'वर्ष 1960-61' के 15.8 से घटकर (2.77 गुना कम होकर) 5.7% हो गई। 'वर्ष 1950-51' में 'समग्र बोया गया क्षेत्र' 131.9 मिलियन हेक्टेयर था, जो 'वर्ष 2007-08' में बढ़कर 195.8 मिलियन हेक्टेयर हो गया।

बढ़ती 'फसल-तीव्रता' तथा 'जी.डी.पी. वृद्धि दर'

11 वीं पंचवर्षीय योजनावधि में (जो 'मार्च 2012' में समाप्त हो जाएगी), भारत में कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 3.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। परंतु, देश के समग्र आर्थिक-सामाजिक तथा परोक्ष रूप से औद्योगिक विकास में भी कृषि क्षेत्र के उल्लेखनीय तथा विकल्पहीन योगदान के मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'कृषि वृद्धि दर' को 4 प्रतिशत से भी अधिक करने की आवश्यकता पर बल दिया है। जाहिर है कि आगामी पाँच वर्षों में वर्तमान कृषि क्षेत्र की विकास दर की तुलना में वार्षिक औसतन 0.5 प्रतिशत अधिक वृद्धि दर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कृषि एवम् अन्य संबंधित क्रियाकलापों (उद्यमों) के क्षेत्र में विद्यमान सभी तकनीकी, भौतिक, आर्थिक एवम् अन्य समस्याओं के हल निकालने में संलग्न सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं, विभागों, केन्द्रों के सुदृढीकरण तथा अद्योसंरचनात्मक विकास पर यथेष्ट रूप से ध्यान दिया जाएगा।

निर्धनता-आकलन तथा उन्मूलन

ज्ञातव्य है कि भारत में कृषि-कार्यों में संलग्न अधिकांश कृषक 'सीमांत' तथा 'लघु' वर्गों के हैं। उनमें से (विश्व बैंक के हाल के एक प्रतिवेदनानुसार) 87 प्रतिशत 'सीमांत कृषक' तथा 70 प्रतिशत 'लघु कृषक' 'संस्थागत ऋण-सुविधाच्छादन' से बाहर हैं। कृषि-कार्यों को सही ढंग से अंजाम देने में उनके समक्ष सबसे बड़ी बाधा उनकी निर्धनता है। रोजगार प्राप्ति हेतु कृषि भूमि नहीं होने की स्थिति में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए कृषि से संबंधित अन्य क्रियाकलाप या ग्रामीण कृषि उत्पाद-आधारित क्रियाकलाप आरम्भ कर आय की सुनिश्चित व्यवस्था करने हेतु उनके पास आवश्यक पूँजी, प्रशिक्षण तथा जानकारी का घोर अभाव है। फलतः कृषक और भी गरीब होते चले जा रहे हैं।

कृषकों की बढ़ती निर्धनता के आयाम को कम करके 'ग्रामीण विकास के समग्र परिदृश्य में धनात्मक सुधार' लाने के लिए निर्धनता की माप के व्यावहारिक, पक्षपातविहीन, गैर-राजनैतिक तथा जीवन के सभी अनिवार्य पहलुओं को समावेशित करनेवाले मानदंडों को अपनाया होगा, अन्यथा निर्धनता के वास्तविक आकलन के अभाव में बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का प्रतिफल आशानुरूप संतोषजनक नहीं हो सकेगा।

कृषि-ग्रामीण विकास के वांछित उपाय

कृषि क्षेत्र के अनवरत मध्यम एवं दीर्घकालिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत दी जानेवाली सहायता को कृषकों/ग्रामीण उद्यमियों तथा काश्तकारों को प्रारम्भिक अल्पकालिक प्रशिक्षणोपरान्त वाणिज्यिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सीधे लाभार्थियों के नाम में खुले खातों में सीधे निधि हस्तांतरण द्वारा दे दिया जाना चाहिए।

'बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि' में 'कृषि विकास की ऊँची वृद्धि दर' प्राप्त कर देश को 'खाद्य मुद्रास्फीति' के नकारात्मक प्रभाव से बचाकर 'निर्यात वृद्धि' द्वारा आर्थिक विकास के उच्च सोपान पर स्थापित करने के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 'कृषि शोध अद्योसंरचनाओं' के विस्तार एवं सुदृढीकरण पर जोर देना होगा। कृषि विकास प्रयासों तथा वैज्ञानिक प्रयोगों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न सभी वैज्ञानिकों तथा अन्य शोधकर्मियों को उनके विशिष्ट कार्यों के आलोक में विशेष अतिरिक्त सुविधाएँ तथा सम्मान देने की नीति पर भी विचार करना होगा।

सिर्फ 'फसल तीव्रता', 'समग्र एवं विशुद्ध बोये गये क्षेत्रों में वृद्धि' से देश में कृषि क्षेत्र का धनात्मक ढंग से स्थायी कायाकल्प नहीं हो पाएगा। विभिन्न खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों तथा फल-सब्जियों की उत्पादकता में यथेष्ट वृद्धि लाकर उसे चिरस्थायी (हानिरहित ढंग से) बनाए रखने के लिए 'बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि' में किसानों को 'जैविक खेती' हेतु विशेष रूप से प्रोत्साहित करने पर बल देना होगा।

ग्राम-प्रधान अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र भारत के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास के मार्ग की एक बड़ी एवं ज्ञात तथा सही तौर पर परिलक्षित 'प्रक्रियागत जटिलताओं' तथा 'संबंधित सरकारी विभागों' की त्रुटिपूर्ण कार्य-पद्धति तथा 'पुरातनवादी दृष्टिकोण' के कारण विभिन्न विकास कार्यों हेतु 'विभिन्न निर्धनता-उन्मूलन एवम् ग्रामीण तथा कृषि-विकास कार्यक्रमों के

तहत प्रत्येक वार्षिक बजट तथा पंचवर्षीय योजनान्तर्गत पहले से आवंटित एवं प्रावधानित राशियां कार्य के समय क्रियान्वयन करनेवाली एजेंसियों के पास उपलब्ध नहीं हो पाना है। अतः देश के विस्तृत ग्रामीण एवं अर्थव्यवस्था को दृढ़ाचार प्रदान करनेवाले व्यापक कृषि-क्षेत्र के वांछित, तीव्र गति से विकास के लिए निधि आबंटन की अव्यावहारिक प्रक्रियागत जटिलताओं को समाप्त करना या कम करना ही होगा।

ऊपर वर्णित उपायों को दूरदर्शितापूर्ण ढंग से निश्चित योजना के सहित सभी क्रियान्वयन करनेवाले विभागों के बीच बेहतर समन्वयन स्थापित करते हुए अपनाए जाने पर - 12 वीं पंचवर्षीय योजनावधि में भारत अपनी पूरी आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के मामले में काफी हद तक सफल हो जाएगा और यही वर्तमान समय की महत्वपूर्ण मांग भी है।

○○○

भारत के निर्यात तथा आयात

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

प्रमुख पण्यों के निर्यात				
पण्य/समूह	अप्रैल-मार्च			
	2007-08	2008-09	2009-10 सं	2010-11अ
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक उत्पाद	27,551.9	25,335.4	26,396.5	35,358.7
अ. कृषि और संबद्ध उत्पाद	18,432.1	17,534.9	17,734.1	24,696.1
आ. अयस्क और खनिज	9,119.8	7,800.5	8,662.5	10,662.6
II. विनिर्मित वस्तुएं	1,02,978.8	1,23,148.9	1,15,180.7	1,68,098.1
क. चमड़ा एवं संबद्ध उत्पाद	3,502.5	3,556.0	3,361.1	3,789.3
ख. रसायन एवं संबंधित उत्पाद	21,193.8	22,708.1	22,908.8	28,979.6
ग. इंजीनियरिंग सामान	37,365.2	47,285.6	38,271.3	68,784.1
ड. वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	19,425.7	20,016.4	19,853.0	23,312.2
च. रत्न एवं आभूषण	19,678.7	27,955.2	28,996.3	40,790.7
छ. हस्तशिल्प	508.2	301.0	224.8	233.1
III. पेट्रोलियम उत्पाद	28,363.1	27,547.0	28,192.0	41,918.0
IV. अन्य	4,010.4	6,768.2	8,982.1	9,027.3
कुल निर्यात (I + II + III + IV)	1,62,904.2	1,82,799.5	1,78,751.4	2,54,402.1
प्रमुख पण्यों के आयात				
I. थोक आयात	1,12,744.7	1,38,791.1	1,25,315.2	1,50,489.7
अ. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और संबद्ध सामग्री	79,644.5	93,671.7	87,135.9	106,068.2
आ. थोक उपभोक्ता वस्तुएं	4,600.3	4,975.3	9,012.7	8720.3
इ. अन्य थोक वस्तुएं	28,499.9	40,144.0	29,166.5	35,701.1
II. थोक से इतर आयात	1,38,694.4	1,60,042.8	1,63,057.8	2,02,085.4
अ. पूंजी वस्तुएं	70,110.5	71,833.1	65,865.0	71,627.2
आ. मुख्यतः निर्यात संबंधी वस्तुएं	20,768.3	31,930.8	31,270.0	49,639.4
इ. अन्य	47,815.7	56,278.9	65,922.8	80,818.7
कुल आयात (I + II)	2,51,439.2	298,833.9	2,88,372.9	3,52,575.0

अ: अनंतिम | सं.: संशोधित |

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय

प्रत्येक बैंक का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित कर सम्पत्तियों में वृद्धि करना होता है। बैंक की गतिविधियों के माध्यम से विनियोजित धन राशि में निरन्तर वृद्धि होती रहे यह बैंक का मंतव्य है तथा इस वृद्धि की दर की मात्रा ही बैंकिंग गतिविधियों की क्रिया निष्पत्ति का मापदण्ड है। अतः

न्यूनतम लागत से अधिकतम सेवाएँ देते हुए बैंक के लाभों को अधिकतम करना ही प्रभावी प्रबन्धकीय तकनीक का मूल मंत्र है। साधनों के दुरुपयोग, अव्यवस्था, अनुशासनहीनता एवं कुप्रबन्ध से एक ओर तो परिचालन लागतें बढ़ती हैं तथा दूसरी ओर बैंक के लाभों में भी कमी होती है। अव्यवस्था एवं साधनों के दुरुपयोग को नियन्त्रित करने हेतु आंतरिक लेखा-परीक्षा अनिवार्य है जिससे अपव्ययों एवं साधनों के दुरुपयोग को नियन्त्रित कर विनियोजित पूँजी का सर्वोत्तम कुशलता के साथ उपयोग किया जा सके और इस प्रकार परिचालन लागतों को न्यूनतम एवं नियन्त्रित कर लाभों को अधिकतम करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

आंतरिक लेखा-परीक्षा क्या है?

आंतरिक लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत लेखा पुस्तकों की जांच बैंक के ही कर्मचारियों से करायी जाती है। यह लेखा-परीक्षा बैंक के आकार पर निर्भर करती है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाना तथा अशुद्धियों व छल-कपट की सम्भावना में कमी करना है। इन लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति बैंक के प्रबन्धकों द्वारा की जाती है। प्रायः इस लेखा-परीक्षा का प्रयोग बड़े-बड़े बैंकों द्वारा किया जाता है। जब बैंक अपने यहाँ आंतरिक लेखा-परीक्षा कराना चाहते हैं तब वह अपने कुछ योग्य, विद्वान एवं लगभग सभी विभागों की गहन जानकारी रखने वाले कर्मचारियों के सुपुर्द लेखों के जाँच का कार्य करते हैं। जैसे-जैसे लेखे तैयार होते जाते हैं, एक निश्चित योजना के अनुसार ये लोग उनकी जाँच करते हैं। वर्तमान में यह कार्य भी चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स द्वारा कराया जाता है। यद्यपि इनकी रिपोर्ट वैधानिक नहीं मानी जाती है।

“प्रबंधकों की सेवा करने के उद्देश्य से संगठन के अंदर लेखांकन और वित्तीय क्रियाओं के पुनर्निरीक्षण के लिए स्वतंत्र जाँच की क्रिया आंतरिक लेखा-परीक्षा है। यह एक प्रबंधकीय नियंत्रण है जो दूसरे नियंत्रणों के प्रभाव के मूल्यांकन की माप करता है।”

- इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्टर्नल ऑडिटर्स, न्यूयार्क

भारतीय बैंकिंग में आंतरिक लेखा-परीक्षा की भूमिका

*डॉ. एल. एन. कोली

**सुमित अग्रवाल

*एसोसिएट प्रोफेसर, लेखा एवं विधि विभाग, वाणिज्य संकाय, दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीमड विश्वविद्यालय), आगरा

**शोध छात्र, लेखा एवं विधि विभाग, वाणिज्य संकाय, दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीमड विश्वविद्यालय), आगरा

भारतीय बैंकिंग में आंतरिक लेखा-परीक्षा के उद्देश्य

भारतीय बैंकिंग में आंतरिक लेखा-परीक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- **बैंक के प्रबंधकों को वित्तीय लेखे एवं सांख्यिकीय सामग्री देना** - बैंक के प्रबंधकों को भविष्य की नीतियों का निर्धारण करने एवं प्रमापों का निर्धारण करने हेतु विश्वसनीय सूचनाएँ चाहिए। आंतरिक लेखा-परीक्षक वित्तीय लेखों एवं सांख्यिकीय सामग्री को प्रकाशित कर प्रबंधकों को प्रस्तुत करता है। वैसे यह कार्य बाहरी लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर ज्यादा आधारित होता है।
- **लेन-देनों का परीक्षण करना** - आंतरिक लेखा-परीक्षा का उद्देश्य लेन-देनों की शुद्धता को जानना है तत्पश्चात् इसकी सूचना बैंक के प्रबन्धकों को देना है जिससे भविष्य में बैंक की भावी नीतियों व योजनाओं को तय किया जा सके और बैंक के लाभ को अधिकतम किया जा सके। इस प्रकार आन्तरिक लेखा-परीक्षा लेन-देनों का मूल्यांकन कर बैंक की भावी नीति निर्धारण में सहायक होती है।
- **बैंक की सम्पत्तियों की सुरक्षा** - आंतरिक लेखा-परीक्षा द्वारा जांच की जाती है कि बैंक की सम्पत्तियों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं, उनकी सुरक्षा तथा उचित लेखा-प्रणाली के संबंध में आंतरिक लेखा-परीक्षा सहायक होती है।
- **महत्त्व दर्शाना** - आन्तरिक लेखा-परीक्षा बैंक के प्रबंधकों को यह विश्वास दिलाती है कि उनके कर्मचारी कार्य को सुचारु रूप से कर रहे हैं तथा कहीं कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। इससे इस प्रणाली के महत्त्व का पता चलता है।

- **बैंक के लेन-देनों की जांच करना** - आंतरिक लेखा-परीक्षा बैंक के लेन-देनों की जांच करती है जिससे ये बैंक की सही स्थिति प्रदर्शित करने की स्थिति में होते हैं।
- **बैंक के व्यवहारों का अधिकृत होना** - यह निर्धारित करना कि बैंक में जितने भी लेन-देन हुए हैं वे सब अधिकृत हैं।
- **गबन को ढूँढना एवं रोकना** - आंतरिक लेखा-परीक्षा द्वारा बैंक के कर्मचारियों की मिली-भगत से यदि कोई गबन किया गया है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है तथा नैतिक प्रभाव द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया जा सकता है।
- **कार्य का पुनर्निरीक्षण करना** - बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए लेखों एवं क्रियाओं का आंतरिक लेखा-परीक्षा में पुनर्निरीक्षण किया जाता है।
- **गलतियों को ढूँढना एवं रोकना** - आंतरिक लेखा-परीक्षा से बैंक के कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें सावधानी से कार्य करने की प्रेरणा दी जा सकती है। जो त्रुटियाँ आंतरिक निरीक्षण में न पकड़ी गयी हों उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है।
- **बैंक के प्रबंधकों को सुझाव देना** - आंतरिक लेखा-परीक्षा का उद्देश्य केवल अशुद्धियों व छल-कपट का पता लगाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि बैंक की सम्पूर्ण संचालन व्यवस्था का विश्लेषण कर उनकी कमियों को प्रकाश में लाना तथा प्रबंधन को उन त्रुटियों को दूर करने हेतु सुझाव देना भी आवश्यक है जिससे कि बैंक को सुचारु रूप से सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके।

भारतीय बैंकिंग में आंतरिक लेखा-परीक्षा का लाभ

भारतीय बैंकिंग में आंतरिक लेखा-परीक्षा के लाभ निम्नलिखित हैं-

- **अशुद्धि एवं छल-कपट में कमी** - आंतरिक लेखा-परीक्षा में बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होता है कि उनके द्वारा की गई प्रत्येक कार्य की जांच अन्य/दूसरे कर्मचारी द्वारा की जाएगी। अतः वह अपने कर्तव्य के पीछे सजग रहता है तथा वह अपने कार्य को ईमानदारी से करता है। इस तरह के कार्य कर्मचारी द्वारा करने से अशुद्धि तथा छल-कपट स्वयं रुक जाते हैं।

➤ **नीति निर्धारण में सहायक** - आंतरिक लेखा-परीक्षा के द्वारा बैंक के प्रबंधकों को भावी नीतियों के निर्धारण में काफी सहायता मिलती है। आंतरिक लेखा-परीक्षा से बैंक की चालू नीतियों व योजनाओं का विश्लेषण हो जाता है और उसमें पायी जाने वाली कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रबंधक को सहायता प्रदान करती है।

➤ **बैंक के कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि** - आंतरिक लेखा-परीक्षा के भय से बैंक के कर्मचारी अपने कार्य को सही रूप से करते हैं जिसके कारण उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

➤ **प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व निश्चित होना** - बैंक के कर्मचारियों के बीच कर्तव्य एवं दायित्व का विभाजन हो जाने से सभी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं जिसके कारण कर्मचारी अपने कार्य को परिश्रम तथा ईमानदारी से करते हैं।

➤ **बैंक की सम्पत्तियों की सुरक्षा** - बैंक की सम्पत्तियों की सुरक्षा से अभिप्राय सम्पत्ति के उचित प्रयोग, प्रतिस्थापन, समुचित हास की व्यवस्था, बैंकिंग कार्यों के लिए ही प्रयोग, अधिकृत व्यक्तियों के निरीक्षण में रखा जाना, आदि से है। इस सम्बन्ध में आंतरिक लेखा-परीक्षा से काफी मदद मिलती है। आंतरिक लेखा-परीक्षा के द्वारा लेखा-परीक्षक बैंक की सम्पत्ति की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन दे सकता है और सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सुधार के सुझाव प्रस्तुत कर सकता है।

➤ **प्रमापों का निर्धारण** - आंतरिक लेखा-परीक्षा के द्वारा बैंक में सम्पन्न किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की सूचना प्राप्त हो जाती है। इन सूचनाओं की प्राप्ति से कार्यों के प्रमाप का निर्धारण किया जा सकता है। इन प्रमापों से किए गए वास्तविक कार्यों की तुलना कर कार्यक्षमता का विश्लेषण किया जा सकता है।

➤ **बैंक की संचालन व्यवस्था की जानकारी** - आंतरिक लेखा-परीक्षा के द्वारा बैंक की संचालन प्रणाली एवं क्रियाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। बैंक की संचालन क्रियाओं एवं प्रणाली में पायी जाने वाली कमियों का अध्ययन कर उनके सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव लेखा-परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

○○○



भारतीय मूल के सुमा संभालेंगे यूरोपीय विकास बैंक की कमान

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 1969 में जन्मे सुमा चक्रवर्ती यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (ईबीआरडी) के प्रेसीडेंट के रूप में जर्मनी के थॉमस मिरो का स्थान लेंगे। ईबीआरडी की स्थापना 1991 में बर्लिन की दीवार के गिरने के दो साल बाद जर्मनी एवं फ्रांस की पहल पर की गई थी। ईबीआरडी पिछले दो दशकों से पूर्ववर्ती ईस्टर्न ब्लॉक देशों एवं सोवियत गणराज्यों के आर्थिक पुनरुत्थान में सहायक भूमिका निभाता रहा है। चक्रवर्ती नवंबर 2007 से ही यूके मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में एक परमानेंट सेक्रेटरी के बतौर काम करते रहे हैं। वे अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक में भी ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने चार अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले बैंक के प्रेसीडेंट पद की दौड़ में जीत हासिल की। इन चार उम्मीदवारों में मिरो भी शामिल थे जो लगातार दूसरी बार चार साल के इस कार्यकाल के लिए प्रेसीडेंट पद की होड़ में थे। चक्रवर्ती के चयन के साथ ही पहली बार कोई ब्रिटिश नागरिक लंदन स्थित ईस्ट यूरोपियन बैंक के शीर्ष पद पर काबिज हुआ है। अभी तक, इस पद पर केवल जर्मनी एवं फ्रांस के नागरिक ही बारी-बारी से कब्जा जमाते रहे हैं। चक्रवर्ती 3 जुलाई से अपने चार साल के कार्यकाल की शुरुआत करेंगे।

एप्पल का न्यू मैसेज एप्लीकेशन लांच

एप्पल ने अपने मैकिंटोस कम्प्यूटर्स के लिए नौवें जेनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स माउंटेन लॉयन को लांच किया। इसमें 200 नए फीचर हैं। सैन फ्रांसिस्को में आयोजित कंपनी के वार्षिक वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कान्फ्रेंस में एप्पल के अधिकारियों ने इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताओं को उजागर किया। नए प्लेटफॉर्म पर एप्पल ने आईचैट की जगह नया मैसेज एप्लीकेशन लांच किया है जो एप्पल के मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसा है।

नए मैसेज एप्लीकेशन के माध्यम से उपभोक्ता आईफोन, आईपैड, आईपाड टच या फिर किसी अन्य मैक कम्प्यूटर से सीधे

घूमता आईना

के. सी. मालपानी

प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा कम्पनी ने एक नया शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी लांच किया है। इसके माध्यम से उपभोक्ता लिंक, फोटो, वीडियो और अन्य फाइलों को आसानी से फेसबुक या फिर ट्विटर जैसी थर्ड पार्टी सर्विस पर शेयर कर सकते हैं।

धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 170 रुपये की वृद्धि

बढ़ती लागत के मद्देनजर सरकार ने धान की आगामी फसल (जुलाई-जून 2012-13) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 रुपये बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। पिछले साल सामान्य किस्म के धान का एमएसपी 1,080 रुपये था। इसे इस बार बढ़ाकर 1,250 रुपये क्विंटल कर दिया गया। ए ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष के 1,110 रुपये की बजाय 1,280 रुपये होगा। श्रम, बिजली तथा उर्वरकों की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के मकसद से एमएसपी में वृद्धि की गयी है। यह निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है। वर्ष 2011-12 में 10.34 करोड़ टन चावल उत्पादन होने का अनुमान है जो कि एक रिकार्ड है।

महंगाई दर में लगातार दूसरे माह बढ़ोत्तरी

सकल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर मई माह में पिछले माह के 7.23 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 7.55 प्रतिशत हो गई। हालांकि पिछले साल के मई माह में महंगाई दर 9.1 प्रतिशत थी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थ की महंगाई दर इस दौरान 10.49 प्रतिशत से बढ़कर 10.74 प्रतिशत हो गई जबकि प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर 9.71 प्रतिशत से बढ़कर 10.88 प्रतिशत तक पहुंच गई। ईंधन समूह की महंगाई दर 11.3 प्रतिशत के मुकाबले 11.53 प्रतिशत हो गई।

थोक मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक भारांक रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र की महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज हुई और यह अप्रैल के 5.12 प्रतिशत के मुकाबले 5.02 प्रतिशत रह गई।

देश का निर्यात 21 प्रतिशत बढ़कर 300 अरब डॉलर के पार

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान देश का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 21 प्रतिशत बढ़कर 303.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि इसी अवधि में आयात भी 32.1 प्रतिशत बढ़कर 488.6 अरब डॉलर हो गया। इस प्रकार व्यापार घाटा भी बढ़कर 184.9 अरब डॉलर का हो गया। व्यापार घाटे का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है जो गंभीर चिंता का विषय है।

सोने का आयात बढ़ने की वजह से कुल आयात में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई है। तथापि, मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान बजट में सोने के आयात पर शुल्क बढ़ाए जाने की वजह से इस वर्ष इसका आयात कम होने की उम्मीद है।

अब नहीं लगेगा फ्लोटिंग ब्याज दरों वाले होम लोन पर चुकौती-पूर्व (प्रीपेमेंट) शुल्क

अगर आपने होम लोन लिया है और समय से पहले इसका भुगतान करने पर प्रीपेमेंट शुल्क लगने का डर सता रहा है, तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को फ्लोटिंग ब्याज दरों वाले होम लोन के प्रीपेमेंट शुल्क को खत्म करने को कहा है। ऐसे में अब आपको समय से पहले होम लोन का भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना होगा। प्रीपेमेंट शुल्क के चलते होम लोन धारक सस्ते संसाधनों का फायदा नहीं उठा पा रहे थे।

हालांकि कई बैंकों ने प्रीपेमेंट शुल्क को पहले ही हटा दिया था। ऐसे में अब सभी बैंकों में समानता बनाए रखने के लिए इस नए नियम को जारी किया गया है।

बैंक जोखिम वाले सेक्टरों पर हो सकते हैं सख्त

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का कुल एनपीए दिसंबर 2010 के 68597.09 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर दिसंबर 2011 में 1,03,891.27 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस प्रकार बैंकों की कुल गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में दिसंबर 2011 में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 51 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। इसके चलते देश के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान जोखिम वाले सेक्टर को कर्ज देने में सख्ती बरत सकते हैं। बैंक किसी भी सेक्टर को कर्ज देते वक्त अपनी एक एक्सपोजर लिमिट रखते हैं जिसके तहत प्रत्येक सेक्टर के लिए अपने कुल कर्ज का एक हिस्सा पूरे साल के लिए कर्ज देने के लिए तय किया जाता है। बैंकों के अनुसार पिछले साल टेलीकॉम, टेक्सटाइल, एविएशन और पावर सहित दूसरे प्रमुख सेक्टर में कर्ज

देने का जोखिम बढ़ा है।

मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते कदम

देश में मोबाइल बैंकिंग के जरिए लेन-देन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। फरवरी 2012 तक मोबाइल बैंकिंग के जरिए 28 लाख से ज्यादा लेनदेन (ट्रैंजैक्शन) किए गए हैं जिनके जरिए ग्राहकों द्वारा 196.12 करोड़ रुपये का ट्रैंजैक्शन किया गया। मोबाइल बैंकिंग का यह आंकड़ा फरवरी 2011 की तुलना में 200 से 300 फीसदी तक ज्यादा है। पिछले साल फरवरी 2010 में मोबाइल के जरिए सात लाख ट्रैंजैक्शन किए गए थे जिनके जरिए इस अवधि में 61.61 करोड़ रुपये का ट्रैंजैक्शन हुआ था।

मोबाइल बैंकिंग ट्रैंजैक्शन के बढ़ते हुए आंकड़े इस बात के संकेत हैं कि यह सेवा ग्राहकों के साथ-साथ बैंकों के लिए भी काफी सुविधाजनक है। ग्राहक इसके जरिए कहीं भी किसी भी पल फंड ट्रांसफर, बैलेंस की जांच, बिलों का भुगतान और दूसरी जानकारीयां अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह मोबाइल बैंकिंग सेवाएं बैंकों के लिए आय के एक नए साधन के रूप में भी उभरी हैं और इससे बैंक की सेवाओं की लागत में भी कमी आई है।

न्यून वसूली (अंडर रिकवरी)

आम तौर पर अंडर रिकवरी का प्रयोग तेल कंपनियों को होने वाली लागत की तुलना में आय में कमी के तौर पर किया जाता है। तेल बेचनेवाली कंपनियों को सरकार की ओर से निर्धारित सब्सिडाइज कीमतों पर तेल और गैस की बिक्री करनी होती है। इसका असर यह होता है कि तेल की वास्तविक लागत और ग्राहक से ली जाने वाली कीमत में अंतर आ जाता है।

इस तरह से तेल कंपनियों को होने वाले नुकसान को अंडर रिकवरी कहा जाता है। एक तरह से इससे कंपनी के रेवेन्यू में कमी होती है। चूंकि तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें ज्यादा हैं इसलिए कंपनियों की उत्पादन लागत ज्यादा होगी। अंडर रिकवरी से तेल कंपनियों का मुनाफा प्रभावित होता है लेकिन हमेशा घाटा ही हो ऐसा नहीं है। कई बार बाजार में तेल की कीमत तो बढ़ जाती है लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत स्थिर रहती है। इस स्थिति में न तो तेल कंपनियों की लागत में कोई बढ़ोतरी होती है और न ही कच्चे तेल के दामों में।

अंडर रिकवरी की वजह से तेल कंपनियों को सरकार सब्सिडी देती है। कई बार तेल कंपनियों के लिए तेल बाण्ड जारी किये जाते हैं। इससे तेल कंपनियों का घाटा काफी हद तक पूरा हो जाता है।

क्रय शक्ति समता [परचेजिंग पावर पैरिटी (पीपीपी)]

परचेजिंग पावर पैरिटी (पीपीपी) से मतलब दो देशों में किसी वस्तु या सेवा की कीमत से है। अर्थात् किन्हीं दो देशों में किसी वस्तु या सेवा की कीमत का अंतर क्या है इस बात का पता परचेजिंग पावर पैरिटी से लगाया जाता है।

यह करेंसी एक्सचेंज रेट तय करने में भी भूमिका निभाता है। इसे आसान शब्दों में इस तरह कहा जा सकता है कि एक डॉलर में सब जगह एक वस्तु सामान मात्रा में आनी चाहिए, लेकिन सभी देशों में यह अलग-अलग होता है इसलिए मात्रा और कीमतों में जो अंतर होता है उसके आधार पर ही संबंधित देश की करेंसी की वैल्यू तय की जाती है।

अगर पीपीपी सही तरीके से रहे तो वास्तविक एक्सचेंज रेट भी समान रहेंगे। हालांकि कुछ देश कृत्रिम रूप से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं जिसके कारण पीपीपी पर आधारित एक्सचेंज रेट और वास्तविक एक्सचेंज रेट में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए चीन को लिया जा सकता है जो अपनी मुद्रा का कृत्रिम अवमूल्यन करता रहता है।

निवल ब्याज मार्जिन (नेट इंटररेस्ट मार्जिन)

नेट इंटररेस्ट मार्जिन का मतलब बैंकों की ब्याज आय और खर्च के अंतर से होता है। बैंकों को जमाराशियों पर ब्याज देना होता है और वहीं दूसरी ओर बैंक ब्याज वसूलते भी हैं। यह गैर वित्तीय कंपनियों के ग्रांस मार्जिन की तरह ही होता है।

एक निश्चित समय में बैंकों को लोन से जितना ब्याज मिलता है और उसे अपने जमाकर्ताओं को जितना ब्याज देना पड़ता है उसके आधार पर बैंक का इंटररेस्ट मार्जिन तय होता है।

नेट इंटररेस्ट रेट को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लिया किसी बैंक ने ग्राहकों को 100 रुपये का लोन दिया। इस लोन पर बैंक को छह रुपये का ब्याज मिला। इसी तरह मान लिया कि जमा राशि पर बैंक को तीन रुपये ब्याज देना पड़ा। इस स्थिति में बैंक को $6 - 3 = 3$ रुपये का लाभ हुआ। इस बैंक की नेट इंटररेस्ट इनकम 3 फीसदी हुई। नेट इंटररेस्ट मार्जिन करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट अनुपात (कासा अनुपात) से भी प्रभावित होता है।

प्राइवेट इक्विटी फंड

प्राइवेट इक्विटी फंड सार्वजनिक और निजी कंपनियों में निवेश करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो प्राइवेट इक्विटी फंड पहले धन इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसे विभिन्न कंपनियों में निवेश कर देते हैं इससे निवेशकों को अच्छा रिटर्न

मिलता है।

इसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम भी कहा जाता है। ये फंड कंपनियों में निवेश के माध्यम से कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। ये फंड निवेश के जरिए अपने निवेशकों को ज्यादा रिटर्न देने का प्रयास करते हैं।

ये उन निजी या सार्वजनिक कंपनियों के शेयर खरीदने के काम भी आते हैं जो एक्सचेंज से डी-लिस्टेड होती हैं। सामान्यतः इस प्रकार का निवेश चार से सात सालों के लिए किया जाता है। ज्यादातर प्राइवेट इक्विटी फंड लिमिटेड पार्टनरशिप के आधार पर बनाए जाते हैं और लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट (एलपीए) के प्रावधानों के तहत काम करते हैं। इन फंडों में जनरल पार्टनर (जीपी) होते हैं जो धनी संस्थानों के निवेशकों से फंड की व्यवस्था करते हैं।

इनमें पेंशन प्लान्स, यूनिवर्सिटीज, इंश्योरेंस कंपनियां और विभिन्न फाउंडेशन आदि होते हैं। इन फंडों में सामान्यतया 10 साल की पार्टनरशिप होती है जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। इन फंडों की मैनेजमेंट फीस कुल राशि की 1-2 प्रतिशत तक होती है जो फंड मैनेजर्स को मिलती है। इन फंडों में न्यूनतम रिटर्न 8-12 प्रतिशत रहता है। हालांकि निवेश के आधार पर मैनेजर अपने निवेशकों को ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है।

चालू खाता घाटा (करंट अकाउंट डेफिसिट)

जब किसी देश का निर्यात कम और आयात ज्यादा हो जाता है तो इस स्थिति में करंट अकाउंट डेफिसिट की स्थिति बन जाती है। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है और कई बार जब डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाता है तो विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा की कमी भी हो जाती है। जहां तक विकासशील देशों की बात है तो उनके साथ यह समस्या अक्सर आ ही जाती है। विकासशील देश अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर इस समस्या से निपट सकते हैं। घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और उसकी लागत में कमी करके कोई देश अपने निर्यात को बढ़ा सकता है।

हालांकि जब किसी देश का करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाता है तो वह दूसरे देशों का कर्जदार बन जाता है। इसके लिए निर्यात को बढ़ाना पड़ता है और आयात को कम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर आयात को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा बढ़ने से भुगतान संतुलन की समस्या भी खड़ी हो

जाती है। अगर स्थिति ज्यादा ही खराब होती जा रही हो तो आयात पर प्रतिबंध के विकल्प का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके कारण किसी देश को और कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। भारत में वर्ष 2011-12 के लिए चालू खाता घाटा अब तक का सर्वाधिक अर्थात जीडीपीका 4.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।

क्या है क्यूएफआई?

क्यूएफआई यानी क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। इस साल जनवरी में भारत सरकार ने क्वालिफाइड फॉरेन इनवेस्टर्स को सीधे भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति दे दी। इस फैसले से भारतीय पूंजी बाजार में निवेश प्रवाह बढ़ेगा। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर विदेश स्थित व्यक्तिगत निवेशक, समूह या संगठन हो सकता है जो सीधे भारतीय कंपनियों के शेयरों या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है।

पिछले साल भारत ने क्यूएफआई को सीधे भारतीय म्यूचुअल फंड में निवेश की अनुमति दी थी। अब इसे सीधे शेयर बाजार में भी निवेश करने की अनुमति मिल गई है। अब एफआईआई, एनआरआई और दूसरे निवेशकों की तरह क्यूएफआई सीधे भारतीय शेयर खरीद सकेंगे।

क्यूएफआई और एफआईआई क्या एक ही हैं?

क्यूएफआई विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशक और एनआरआई निवेशक से अलग होते हैं। क्यूएफआई ब्राजील या चीन में बैठा कोई व्यक्तिगत निवेशक हो सकता है। वह केवाईसी की जरूरतें पूरी करने के बाद भारतीय कंपनियों के शेयर खरीद सकता है। हालांकि वह इसके लिए भारतीय डिपॉजिटरी भागीदार के जरिए ही अप्रोच कर सकता है।

लेकिन इसके लिए भी उसे रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी। क्यूएफआई किसी कंपनी की पेड-अप कैपिटल का पांच फीसदी ही खरीद सकता है। ज्यादा से ज्यादा यह सीमा दस फीसदी तक हो सकती है। यह निवेश सीमा एफआईआई और एनआरआई की ओर से किए गए निवेश से अलग होती है।

क्यूएफआई से क्या फायदे हैं?

ग्लोबल अर्थव्यवस्था में संकट की वजह से भारतीय बाजार में भी निवेशकों का रुझान कम हो रहा है। इससे भारतीय पूंजी बाजार में निवेश में कमी आ रही है। भारतीय पूंजी बाजार सिर्फ एफआईआई के निवेश के भरोसे ही नहीं रहना चाहते हैं इसलिए

अपने निवेश आधार को विस्तार देना चाहते हैं। इस तरह की पूंजी से बाजार में उतार-चढ़ाव में कमी हो सकती है और बाजार में गहराई आ सकती है। इससे वे धनी निवेशक भारतीय बाजार में आएंगे जो प्रतिबंधों की वजह से अब तक इससे दूर थे।

अब प्रतिबंधों का दायरा संकुचित होगा और विदेश में भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति आश्वस्त निवेशक इसमें पैसा लगाएंगे। भारत सरकार अब तक बाजार में कड़े नियमन के पक्ष में कदम उठाती रही है।

लेकिन इससे भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी प्रवाह भी कम होता है। अब तक व्यक्तिगत निवेशक सिर्फ पार्टिसिपेटरी नोटों के जरिये ही भारतीय बाजार में निवेश कर सकते थे। अब जब सरकार ने क्यूएफआई को अनुमति दे दी है तो उम्मीद है कि भारतीय बाजारों में निवेशकों की तादाद में इजाफा होगा। भारतीय पूंजी बाजार में बढ़ी चलनिधि का लाभ देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा।

भारतीय पूंजी बाजार में इस समय घरेलू निवेशकों का रुझान भी कम हो गया है। अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन न कर पाने की वजह से भारतीय शेयर बाजारों में रिटर्न कम हो गया है। दूसरी ओर विदेशी निवेशक भी निवेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी हो गया था कि क्यूएफआई के जरिए नए निवेशकों को आकर्षित किया जाए।

अब अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं भी सीडीएस (ऋण चूक अदला-बदली) बाजार का हिस्सा होंगी

रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, यथा, भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को भी सीडीएस बाजार में उनके पोर्टफोलियो में कार्पोरेट बॉण्डों में अंतर्निहित ऋण जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए यूजर के रूप में भाग लेने की अनुमति दे दी है। अब तक, वाणिज्य बैंकों, प्राथमिक डीलरों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पारस्परिक निधियों, बीमा कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों, भविष्य निधियों, सूचीबद्ध कंपनियों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों को सीडीएस बाजार में यूजर के रूप में काम करने की अनुमति थी।

समाशोधन गृह रहित स्थानों पर चेकों के समाशोधन हेतु दिशानिर्देश जारी

रिजर्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि जहां कहीं भी पाँच या

इससे अधिक बैंक कार्यरत हों वहाँ समाशोधन गृह की स्थापना की जाए, हालांकि जिला मुख्यालयों के मामले में तीन बैंकों की उपस्थिति ही समाशोधन गृह की स्थापना के लिए पर्याप्त मानी जाती है। इसके लिए बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय लगातार नए समाशोधन गृह खोलने के लिए स्थान और बैंकों की पहचान करते रहते हैं। ऐसे प्रयासों के चलते, अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार देश भर में 1200 समाशोधन गृह कार्यरत थे, जिनमें से 200 से अधिक समाशोधन गृह केवल पिछले चार वर्षों (2008-2012) के दौरान ही आरंभ किए गए थे। तथापि, अभी भी ऐसे कई स्थान/जिले हैं जहां तीन से कम बैंकों की उपस्थिति या बैंक शाखाओं के पहुँच से बाहर होने या एक औपचारिक समाशोधन गृह के लिए आवश्यक चेकों की मात्रा काफी कम होने के कारण औपचारिक समाशोधन गृह नहीं खोले जा सके हैं। इसलिए अब बैंकों को कहा गया है कि वे चेकों की त्वरित वसूली और बेहतर ग्राहक सुविधा के लिए ऐसे स्थानों में स्थित अपनी शाखाओं को चेकों के समाशोधन के लिए निम्न दिशानिर्देशों का पालन किए

जाने के निर्देश दें :

1. बैंक, आपसी विचार-विमर्श से ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे अन्य बैंकों के लिखतों की आपसी सहमति से नियत किए गए स्थल और समय पर प्रत्येक कार्यदिवस में सुपुर्दगी/लेनदेन हो सके;
2. चेक का निपटान उसी दिन हो और वापस आनेवाले लिखतों का दोबारा लेनदेन आपसी सहमति से नियत किए गए स्थल और समय पर हो;
3. नकदी, अंतरण इत्यादि के माध्यम से वसूली से होने वाली प्राप्ति के निपटान के लिए व्यवस्था करना;
4. प्रस्तुतकर्ता बैंक को इस बात में सक्षम होना चाहिए कि वह प्रस्तुतकर्ता ग्राहक के खाते में निपटान के दिन ही आभासी क्रेडिट दिखा सके और ग्राहक को बैंक की चेक संग्रहण नीति (सीपीसी) के अनुसार समाशोधन क्रेडिट का उपयोग करने दे।

○○○

विदेशी मुद्रा भंडार

मद	8 जून 2012 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2012 की समाप्ति पर		दिसम्बर 2011 की समाप्ति पर		वर्ष	
	बिलियन रु.	मिलि.अम.डॉलर	बिलियन रु.	मिलि.अम.डॉलर	बिलियन रु.	मिलि.अम.डॉलर	बिलियन रु.	मिलि.अम.डॉलर	बिलियन रु.	मिलि.अम.डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल भंडार	15,936.4	287,378.7	-61.6	1,521.8	875.1	-7,018.8	131.7	-9,310.0	2,043.2	-23,124.2
(क) विदेशी मुद्रा अस्तियां +	14,094.3	254,593.5	-58.7	1,499.8*	789.2	-5,475.2	87.8	-8,339.8	1,639.3	-23,917.4
(ख) स्वर्ण \$	1,443.5	25,585.0	-	-	61.0	-1,438.1	25.4	-1,035.3	345.2	1,194.2
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	241.4	4,359.8	-1.7	13.3	12.8	-109.5	5.5	-69.2	34.8	-261.1
(घ) आईएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति **	157.2	2,840.4	-1.2	8.7	12.1	4.0	13.0	134.3	23.9	-139.9

- + आईआईएफ सी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किए गये रु.37.3 बिलियन/673 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश को छोड़कर।
- * अमरीकी डॉलर के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा अस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि/मूल्यहास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।
- ** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में प्रारक्षित निधि की स्थिति अर्थात प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दिखाया गया है अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल की गई है।
- @ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) और विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिनका आवंटन क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।
- \$ इसमें रु.314.6 बिलियन (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक, 15 जून 2012

वित्तीय समावेशन समाज के उपेक्षित, कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना है। यह एक ऐसी व्यापक संकल्पना है जिससे कमजोर तबके के लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक देश के प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करना है और उसे इन सेवाओं को समझने और इन तक उसकी पहुंच के योग्य बनाना है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बयालीस वर्षों के बाद भी जनसाधारण और बैंकिंग उत्पादों के बीच अभी भी बड़ा फासला है। वित्तीय समावेशन अब कोई विकल्प न रहकर बाध्यता बन चुका है। भारत में वित्तीय वंचन से निपटना अब सरकार, रिज़र्व बैंक और बैंकों का एक महत्वपूर्ण पॉलिसी एजेंडा बन चुका है।

ऐसे वक्त में 'वित्तीय समावेशन एवं भारतीय अर्थव्यवस्था' नामक पुस्तक का प्रकाशन इससे जुड़े विभिन्न पक्षों एवं संकल्पनाओं को समझने के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी। इसके लेखक श्री सुबह सिंह यादव तथा श्री राजकुमार मीणा को बैंकिंग एवं अध्यापन का गहन अनुभव भी है। 206 पृष्ठों की इस पुस्तक में कुल 18 अध्यायों में वित्तीय समावेशन से जुड़े लगभग सभी पक्षों को प्रस्तुत किया गया है ताकि हर वर्ग का पाठक इसे आसानी से समझ पाए। इसमें वित्तीय समावेशन की संकल्पना एवं क्षेत्र, इसमें बैंकों की भूमिका, गरीबी निवारण में इसकी भूमिका, सूक्ष्म वित्त द्वारा वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण सशक्तीकरण, कृषि क्षेत्र वित्तीय समावेशन, सहकारी संस्थाएं एवं वित्तीय समावेशन, वित्तीय शिक्षा एवं ऋण परामर्श, वित्तीय समावेशन, सामाजिक दायित्व या व्यवसाय के अवसर, वित्तीय समावेशन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, वित्तीय समावेशन में भाषागत समर्पण, वित्तीय समावेशन में अन्तरराष्ट्रीय अनुभव, समावेशी वृद्धि, ग्रामीण शिक्षण, समावेशी वृद्धि: ग्रामीण शिक्षा, सामाजिक न्याययुक्त विकास, आधारिक संरचना विकास और कारोबारी संपर्की मॉडल जैसे विषयों पर काफी विस्तार एवं सहज ढंग से जानकारी प्रस्तुत की गई है। अपने प्रस्तुतीकरण और आंकड़ों के समर्थन में उन्होंने सरकार एवं रिज़र्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्टों का हवाला भी दिया गया है जो कि अकादमिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

लेखक ने पहले अध्याय की शुरुआत परिस्रवण सिद्धांत की असफलता से की है जिसमें उन्होंने यह तथ्य सामने रखा है कि

पुस्तक समीक्षा

वित्तीय समावेशन एवं भारतीय अर्थव्यवस्था

लेखक : श्री सुबह सिंह यादव

: श्री राजकुमार मीणा

प्रकाशक - सबलाईम पब्लिकेशंस, जयपुर

मूल्य : 995/- पृष्ठ संख्या- 206

ग्रामीण भारत में आय और धन के वितरण के संदर्भ में कोई ठोस परिवर्तन उभर कर सामने नहीं आए हैं, धनी लोगों के बीच काफी निजी निवेश हुआ जिससे आय की असमानता सामने आयी। औद्योगिक क्षेत्र में तुलनात्मक रूप में निम्न वर्ग में आय का हास होने के साथ-साथ आय की विषमता में भी वृद्धि पायी गई। योजनाकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण ने तो रफ्तार पकड़ी लेकिन आय वितरण के क्षेत्र में असफलता हाथ लगी। इसके लिए उन्होंने समय से प्रभावशाली पुनर्वितरणात्मक नीतियों के ठीक से कार्यान्वित न करने, रोजगार के पर्याप्त अवसर न जुटाने, जनसंख्या में भयावह वृद्धि, विकास में जनता की भागीदारी के अभाव, मूल्य वृद्धि को उत्तरदायी ठहराया है। इसके समाधान वे आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण, अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा जनकेंद्रित योजना के कार्यान्वयन में पाते हैं। वे इसमें सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करते हैं।

दूसरे अध्याय तथा तीसरे अध्याय में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं, औचित्य और भावी मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। वित्तीय सेवाओं को वहनीय लागत एवं समय पर लोगों तक पहुंचाने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। सौ प्रतिशत वित्तीय समावेशन, नो फ्रिल खाता, कारोबारी संपर्की मॉडल, आसान ऋण एवं ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान कर समावेशी विकास और रोजगार सृजन की संभावनाओं को तीव्रता से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास, बेहतर वितरण और विभिन्न कारोबारी मॉडल की पहचान और प्रौद्योगिकी की सहायता से वित्तीय लेन-देनों की लागत में कमी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

‘समावेशी वृद्धि में बैंकों की भूमिका’ अध्याय में यह बात उभर कर सामने आती है कि आधारभूत शाखा के माध्यम से ही वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना दुरुह कार्य प्रतीत होता है। इसके लिए मध्यस्थ के माध्यम से जनता तक पहुंच का विचार प्रभावी प्रतीत होता है। इसमें गैर-सरकारी संस्थाएं, स्वयंसेवी समूह, डाकघर, सहकारी संस्थाएं ही सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसमें उन्होंने भाषा और मानव संसाधनों के मानवीय और व्यक्तिगत पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है।

पांचवें अध्याय में लेखकद्वय ने इस बात को बखूबी सामने रखा है कि अंतरिम सहायता देकर गरीबी को हटाया नहीं जा सकता है बल्कि उत्पादक रोजगार के अवसर और सामाजिक परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन ही इसका दीर्घकालिक निदान है। गरीबी निवारण में वित्तीय समावेशन के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें मजबूत, सुदृढ़ और सक्षम बनाए जाने की आवश्यकता है। गरीबों को महज औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना ही गरीबी निवारण के लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि इन लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी होगी ताकि उनमें वित्तीय उत्पादों को उपयोगिता के पैमाने पर परखने की समझ विकसित हो सके।

छठवें अध्याय में ‘सूक्ष्म वित्त द्वारा वित्तीय समावेशन’ की प्रासंगिकता, उद्देश्य, मॉडल, इससे उत्पन्न कारोबारी अवसर और बैंकों द्वारा चलाए जा रहे सूक्ष्म-वित्त कार्यक्रमों की प्रगति पर रोशनी डाली गयी है। सूक्ष्म वित्त जहां निचले तबके में एक और स्वरोजगार के नए-नए अवसर सृजित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास के नए रास्ते भी खोल रहा है।

बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन केवल एक लाभदायक व्यावसायिक मॉडल ही नहीं है बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय भी है। बैंक में खाता रखना अपने आप में एक पहचान, प्रतिष्ठा एवं सशक्तीकरण है। वित्तीय समावेशन को ग्रामीण क्षेत्रों में एक आंदोलन के रूप में चलाए जाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल का यह कथन “यह कृषि क्षेत्र ही है जहां दीर्घकालीन आर्थिक विकास का युद्ध जीता या हारा जाएगा” ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की भूमिका को

सामने लाता है। खाद्यान्न और गैर-खाद्यान्न से संबंधित कृषि कार्यकलापों में निरंतर ऋण प्रवाह, किसान क्रेडिट कार्डों का दायरा व्यापक कर तथा आज के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकार की पृष्ठभूमि में किसान को सफल उत्पादक बनाकर अर्थव्यवस्था में विकास की दर में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। सातवें और आठवें अध्याय क्रमशः ‘वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण सशक्तीकरण’ तथा ‘कृषि क्षेत्र : वित्तीय समावेशन’ में इसकी गहन चर्चा की गयी है।

सहकारी संस्थाओं का ग्राहक प्रोफाइल ही इसकी वास्तविक शक्ति है क्योंकि इसमें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र तथा समूहों का समावेश है जो आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित हैं और वाणिज्यिक बैंकों की पहुंच से बाहर है। इस नेटवर्क का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता और आय बढ़ाने में किया जा सकता है। इसके लिए हमें उन्हें कार्यकुशल और अर्थक्षम बनाने की जरूरत है। ‘सहकारी संस्थाएं एवं वित्तीय समावेशन’ अध्याय में इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा की गयी है।

भारत में साक्षरता का स्तर कम होने तथा जनसंख्या के कमजोर तबके का वित्तीय प्रणाली के दायरे से बाहर होने की वजह से वित्तीय शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यह आम व्यक्तियों को असंख्य वित्तीय उत्पादों और उत्पाद प्रदाताओं में सही विकल्प चुनने तथा बेहतर क्रेता बनने में सक्षम बनाती है। इस दिशा में सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा सघन प्रयास किए जा रहे हैं। दसवां अध्याय इन्हीं विषयों पर केंद्रित है।

वित्तीय समावेशन अल्पकाल में “सामाजिक दायित्वों” का निर्वहन होगा और दीर्घकाल में ‘कारोबारी अवसर’। जरूरत है इन दोनों के बीच प्रभावी सामंजस्य बैठाने की। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाएं अहम भूमिकाएं निभा सकती हैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय उत्पादों की लागत को कम किया जा सकता है और भारतीय भाषाएं इसके विस्तार में उत्प्रेरक का कार्य कर सकती हैं। हिंदी और स्थानीय भाषाओं के प्रयोग से ग्राहकों को बेहतर ढंग से सेवा दी जा सकती है।

पुस्तक की भाषा सामान्यतः सरल और आसानी से समझने योग्य है क्योंकि पुस्तक मूलतः हिंदी में ही लिखी गयी है। लेखकों ने पुस्तक लिखने के लिए गहन अध्ययन किया है जो दिए गए संदर्भों, सारणी से स्पष्ट होता है। इसमें तथ्यों के पार विषय की

गहनता को बड़े ही सलीके से पेश किया गया है। हालांकि प्रस्तुतीकरण के स्तर पर इस पुस्तक में कहीं-कहीं कुछ उलझाव भी दिखता है। कुल मिलाकर यह पुस्तक वर्तमान संदर्भ में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इस विषय पर हिंदी में भी कुछ अच्छी पुस्तकें आ चुकी हैं पर यह पुस्तक उनमें अपना मुकाम बनाने में कामयाब रही है। अकादमिक रुचि वाले पाठकों, आम

जनता, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, ग्राहकों और बैंकों आदि सभी के लिए यह पुस्तक पठनीय और संग्रहणीय है।

● विष्णु नायक

प्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

○○○

पुस्तक समीक्षा

ब्याजमुक्त बैंकिंग और इस्लामी

वित्त व्यवस्था

लेखक : डॉ. रमाकांत शर्मा

प्रकाशक - मेधा बुक्स, दिल्ली

मूल्य : 300/- रुपए

ग्लोबल प्लेयर शिफ्ट हो रहे हैं, बाजार शक्तियां हावी हो रही हैं, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में तेज़ी से उतार-चढ़ाव के दौर देखे जा रहे हैं, कहीं बूम (तेज़ी) है, तो कहीं मंदी, कहीं वित्तीय संकट तो कहीं मुद्रास्फीति के तबाहकून परिणाम। ये सब बैंकिंग-व्यवस्था की सुदृढ़ता एवं उसकी अस्थिरता के मूल में हैं। मोटे तौर पर हम प्रायः एक ही प्रकार की बैंकिंग के बारे में जानते हैं जिसमें जमाराशियां लेना और ब्याज पर उधार देना प्रमुख होता है। वहीं विश्व के कुछ देशों जैसे सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, अमरीका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, थाइलैंड, सिंगापुर, चीन, कनाडा और इंडोनेशिया में समानांतर चलने वाली एक अन्य वित्त व्यवस्था भी प्रचलित है जिसे ब्याज मुक्त अथवा इस्लामी वित्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। परंतु हममें से गिने-चुने लोग ही होंगे जो इस बैंकिंग प्रणाली से भलीभांति परिचित होंगे। रेटिंग एजेंसी “स्टैंडर्ड एंड पूअर” ने लिखा है कि 5 वर्षों में इस्लामी वित्त की मांग 4 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगी। आखिर ये ब्याजमुक्त बैंकिंग व्यवस्था क्या है और किस प्रकार कार्य करती है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देती हुई बिल्कुल नये विषय “ब्याजमुक्त बैंकिंग और इस्लामी वित्त व्यवस्था” से पर्दा

उठाती हुई डॉ. रमाकांत शर्मा द्वारा इस विषय पर भारतवर्ष में हिंदी में लिखी गई संभवतः यह पहली पुस्तक है। मेधा बुक्स प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक स्वच्छ मुद्रण और आकर्षक, सौम्य लुक लिए हुए है। लेखकों के लिए प्रायः इस प्रकार के विषयों का चयन करना और उस पर इतने विस्तार से लिखना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है। कोई भी विषय अपने लिए एक पृथक समझ और चिंतन की मांग करता है। बैंकिंग विषय कमोबेश अर्थ से जुड़े होते हैं इसलिए उनमें तथ्यात्मकता का होना लाज़मी होता है। ऐसे विषय सपाट तरीके से एवं सीधी रेखा में नहीं लिखे जा सकते। नीतियों, संकल्पनाओं, अवधारणाओं, शब्दावलियों एवं उसके क्रमिक विकास के ज्ञान की अपेक्षाएं लेखक को विषय के विषद ज्ञान की कसौटी तक ले जाती हैं। हम सब भारतीय बैंकिंग प्रणाली से कमोबेश काफी हद तक परिचित हैं, जो पूर्णतः ब्याज दर प्रणाली द्वारा संचालित है। ब्याजमुक्त बैंकिंग एक ऐसा विषय है जो अनायास ही पाठक की जिज्ञासा को बढ़ा देता है। सबसे पहली बात आश्चर्य में डालने वाली यह है कि विषय का फैलाव एवं उसमें निहित भाषागत एवं सांस्कृतिक व्याख्या बिल्कुल अलग है और लेखक की पृष्ठभूमि बिल्कुल जुदा है। इसके बावजूद, इस विषय पर लेखनी उठाना लेखक के अदम्य साहस का परिचायक है।

पाठक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि पुस्तक पढ़ने से पहले उसे ब्याजमुक्त बैंकिंग अथवा इस्लामी वित्त व्यवस्था का विस्तृत ज्ञान हो, यह भी आवश्यक नहीं कि बड़े पैमाने पर प्रचलित भारतीय बैंकिंग/वित्तीय प्रणाली की व्यापक जानकारी हो। इस पुस्तक का सबसे बड़ा कमाल यही है कि वह पाठक को बैंकिंग के दोनों स्वरूप से रू-ब-रू कराती है, और बैंकिंग व्यवस्था के विभिन्न आयामों से गुजरते हुए एक नई बैंकिंग प्रणाली के दरवाज़े

तक ले जाती है, जहां से ब्याजमुक्त बैंकिंग की पूरी संरचना क्रमिक रूप से उद्घाटित होने लगती है।

बैंकिंग साहित्य अंग्रेजी में काफी समृद्ध है। संवेदनशील और दूरअंदेश लेखक, परंपरागत दायरे को तोड़कर बाहर निकलता है और समाज को उसकी संवैधानिक राजभाषा में नये दृष्टिकोण से न केवल अवगत कराता है बल्कि पुरानी, नई और भिन्न प्रणालियों में समन्वय स्थापित करते हुए सोच व फिक्र की नई ज़मीन हमवार कर देता है। यह पुस्तक भारतीय रिज़र्व बैंक की मौलिक पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत प्रकाशित हुई है। पुस्तक में कुल 15 अध्याय हैं जिनसे गुजरने के बाद पाठक इस नतीजे पर अवश्य पहुंचता है कि यह पुस्तक किसी महत्वपूर्ण शोधकार्य से कम नहीं है। प्रत्येक अध्याय के अलग-अलग विषय जिन पर एक-एक पुस्तक लिखी जा सकती है, का विवेचन बड़े सटीक पैमाने में किया गया है। सुधी पाठकों के लिए भटकने की गुंजाइश नहीं है। विषयगत प्रत्येक बिंदु, हरेक विवरण संक्षिप्तता लिए हुए हैं जिनमें अनावश्यक विस्तार से परहेज़ किया गया है। यह लेखक का कौशल है कि वह गागर में सागर भरने का परिचय देता है। ब्याजमुक्त बैंकिंग, इस्लामी बैंकिंग का ही स्वरूप है और लेखक ने प्रारंभ में ही इसे स्पष्ट करते हुए पाठक की मुश्किलों को कम कर दिया है। इस्लामी बैंकिंग की अधिकांश शब्दावली अरबी-फारसी पर आधारित है इसलिए प्रारंभिक अध्याय में चुनिंदा और अत्यधिक महत्वपूर्ण अवधारणाओं से जुड़ी शब्दावली को प्रस्तुत किया गया है। यह इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता और लेखक की समझदारी है। मेरा यह मानना है कि ऐसी शब्दावलियां जिनका सही-सही उच्चारण करना हमारे लिए दुष्कर लगता है उन्हें इतनी सहज एवं सरल हिंदी में स्पष्ट किया गया है कि आप स्वतः ही कह उठेंगे कि समझाने का इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है। लेखन-शैली तथा विषय की प्रस्तुति कसावट लिए हुए है।

दूसरे अध्याय से इस्लामी बैंकिंग की प्रारंभिक तस्वीर सामने आती है जिसमें कुल 62 प्रमुख शब्दावली का ब्योरा उनकी परिभाषा सहित प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहली शब्दावली 'अमाना' (अमानत) का अर्थ बताते हुए अर्बन, इजाब, इजारा, इनाम, उजरा, कर्ज, घरार, मुदरबा, रिबा (ब्याज), रेहन, हवाला और अंतिम शब्द हिबा (उपहार) तक आते-आते हम नई शब्दावलियों की परिभाषाओं के समुद्र में उतर जाते हैं। इस अध्याय से हमें

आगामी अध्यायों को समझने का आधार मिल जाता है। तीसरा अध्याय इस्लामी बैंकिंग के सिद्धांत और उद्देश्य का खाका प्रस्तुत करता है। यह कोशिश की गई है कि इस्लामी बैंकिंग प्रणाली जिसका आधार इस्लामी सिद्धांत है जो शरीयत और हदीस के प्रावधानों से मिलकर बने हैं, उन्हें इस प्रकार पेश किया जाए कि बैंकिंग की जानकारी रखने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सके। सामाजिक न्याय और समानता, पर्यावरण की रक्षा, सामुदायिक हित, मुद्रा, नैतिक निवेश, लाभ-हानि सहभागिता, रिबा और घरार, बिक्री संबंधी इस्लामी सिद्धांत परत-दर-परत खुलते जाते हैं। भारतीय पाठक जब यह पढ़ता है कि इस्लामी कानून के अनुसार रिबा यानि सूदखोरी (ब्याज लेना) को हेय और हराम माना गया है, ब्याज लेना ही नहीं, ब्याज देना भी प्रतिबंधित है, तो उसकी जिज्ञासा सातवें आसमान पर पहुंचने लगती है कि यह कैसे संभव हो सकता है। इस बात को लेखक ने पुख्ता एवं प्रामाणिक तरीके से उद्घाटित किया है जो निश्चित ही एक नये दृष्टिकोण की ओर ले जाता है।

तीसरे अध्याय "ब्याजमुक्त बैंकिंग का स्वरूप" में जहां इस्लामी बैंकिंग की परिभाषा दी गई है, वहीं इस्लामी आदर्श और बैंकिंग एवं उसकी मुख्य विशेषताएं, परंपरागत बैंकिंग से भिन्नता की व्याख्या मुख्य विषय में प्रवेश का मार्ग खोल देती है, वहीं चौथा अध्याय इस्लामी बैंकिंग के इतिहास पर नजर डालता है जिसमें इस्लामी बैंकिंग का विकास क्रम प्रमुख घटना वर्ष के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जहां हमें ज्ञात होता है कि 1975 में दुबई इस्लामिक बैंक नाम से पहला निजी ब्याज-मुक्त बैंक वजूद में आया था। पांचवें अध्याय में इस्लामी वित्तीय प्रणाली और वित्तपोषण के तरीके को सविस्तार बताया गया है। यहां हम व्यावहारिक ब्याजमुक्त बैंकिंग के परिवेश में प्रवेश कर जाते हैं और बचत खाता, चालू खाता, निवेश, कर्ज, मुदरबा (संविदा), मुशरका (सहभागिता) के उन पहलुओं से स्वयं को अवगत कराते हुए पाते हैं जो हमें अपनी व्यवस्था से भिन्न लगते हैं। पुस्तक में आगे के अध्याय क्रमशः इस्लामी ईक्यूटी फंड, बांड (सुकूक), बीमा, लघु वित्त, इस्लामी बैंकिंग में केंद्रीय बैंक की भूमिका, इस्लामी तथा गैर-इस्लामी देशों में ब्याज-मुक्त बैंकिंग, इस्लामी बैंकिंग और भारत तथा अंत में पंद्रहवें अध्याय में वैश्विक अर्थव्यवस्था और इस्लामी बैंकिंग के भावी परिदृश्य पर उत्तम जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व विषय-विशेषज्ञ के रूप में बैंक

ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री एम.एम.ए.रिज़वी ने लिखा है कि “इस पुस्तक में ब्याजमुक्त बैंकिंग (इस्लामी बैंकिंग) जैसे अछूते विषय पर सरल हिंदी में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है। इस विषय पर हिंदी में यह पहली पुस्तक है जिसमें इस्लामी बैंकिंग तथा वित्तीय पहलुओं से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें इस्लामी बैंकिंग के इतिहास से लेकर आज तक की गतिविधियों की चर्चा शरीयत, कुरान शरीफ और हदीस के हवाले से की गई है। यह अनूठी पुस्तक बैंकिंग से संबंधित हर व्यक्ति, संस्था, स्कूल, महाविद्यालय, तथा विद्यार्थियों के साथ-साथ इस्लामी बैंकिंग की आधारभूत बातें जानने के इच्छुक सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त साबित होगी।”

पुस्तक का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि प्रत्येक अध्याय के अंत में प्रयुक्त जटिल शब्दावली के हिंदी एवं अंग्रेजी पर्याय दिए गए हैं जो पाठक के लिए सुलभ शब्दकोश का कार्य करते हैं। पुस्तक में कवर किए गए विषय एवं ऊपर दी गई सामग्री अनुसंधानपरक है और बिलकुल नये परिवेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करती है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और

अन्य स्कालरों के लिए यह पुस्तक विषय-विशेष पर एक ज़खीरा है। इतनी सशक्त और सिलसिलेवार प्रस्तुति अन्यत्र उपलब्ध होना दुर्लभ है। लेखक साधुवाद या सैलूट के ही पात्र नहीं हैं अपितु समस्त प्रशंसा एवं सराहना उनके इस प्रयास के आगे अल्प है। मेरा विचार है कि ब्याज-मुक्त बैंकिंग का कार्य कर रहे प्रतिष्ठित बैंकों के संज्ञान में आने पर इस पुस्तक की कद्र व क्रीमत बेपनाह बढ़ जाएगी। मेरा मानना है कि बैंकिंग और अर्थशास्त्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इस पुस्तक को पढ़ने का समय अवश्य निकालना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि आगे चलकर अध्ययन केंद्रों पर यह पुस्तक पाठ्यपुस्तक का रूप ग्रहण कर लेगी और भारतवर्ष में ब्याज-मुक्त इस्लामी बैंकिंग विषय पर यह पहली और बुनियादी पुस्तक के रूप में स्थापित होगी।

● **काजी मुहम्मद ईसा**

सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोलकाता



बैंकों में ग्राहक सेवा समिति की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिटेल और छोटे ग्राहकों, जिनके अंतर्गत पेंशनभोगी भी शामिल हैं, को दी जाने वाली बैंकिंग सेवाओं की जांच करने हेतु सेबी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता में एक समिति (दिनांक 26 मई 2010 के बोर्ड ज्ञापन के माध्यम से) का गठन किया। समिति के अधिदेश में बैंकों में मौजूद शिकायत निवारण तंत्र, इसकी संरचना और प्रभावशीलता की जांच करना तथा शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक उपाय सुझाना आदि भी शामिल है।

समिति ने संबंधित विभिन्न हितधारकों के साथ ग्राहक सेवा के सभी पहलुओं पर विचार विनिमय किया जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समुचित व्यवहार, पेंशनरों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार, छोटे और ग्रामीण ग्राहकों के प्रति बैंक स्टाफ की प्रवृत्ति, सेवा प्रभाव और शुल्क, परिचालनों में पारदर्शिता, शिकायत निवारण, सेवा में तत्परता, नए उत्पादों का ज्ञान और जानकारी एवं ग्राहकों के अधिकार व प्रत्याशाएं शामिल हैं। समिति ने जनसाधारण से सुझाव भी प्राप्त किए।

समिति ने जुलाई 2011 में बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के अनुसार ग्राहक बैंकों से निम्नलिखित प्रमुख अपेक्षाएं रखते

हैं : (i) ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण हो; (ii) समुचित और गैर-शोषणकारी बर्ताव तथा सूचना का संपूर्ण प्रकटीकरण; (iii) एक त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था हो; (iv) ग्राहक द्वारा मांग किए बिना स्वयं ही अनेक सेवाएं देकर इन पर प्रभार लगाने के बजाय एक सीधा-साधा जमा खाता उपलब्ध कराया जाए।

इस समिति की सिफारिशें ग्राहकों की उपर्युक्त अपेक्षाओं पर आधारित हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) एक शुल्क रहित सामान्य बैंक कॉल नंबर उपलब्ध कराना;
- (ii) बिना किसी न्यूनतम शेष-राशि के एक सीधा-साधा बचत खाता मुहैया कराना;
- (iii) एक ऐसे विश्वसनीय तीसरी पार्टी केवाईसी डेटा बैंक की स्थापना करना, जिस पर केवाईसी प्रयोजनों के संबंध में निर्भर किया जा सके;
- (iv) वाजिब मूल्य पर कम राशि के धन के प्रेषण की व्यवस्था उपलब्ध कराना;
- (v) एटीएम और ऑनलाइन लेनदेनों में होने वाली हानि के संबंध में शून्य देयता;
- (vi) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कवर को 5,00,000 रुपये तक बढ़ाना।

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2011-12

अ | नु | चि | त | न

बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन का जनवरी-मार्च 2012 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख उच्चस्तरीय, ज्ञानवर्धक तथा जानकारीपरक हैं। संपादकीय में 'सेवक' और 'सेवा' शब्दों के माध्यम से उनके सटीक हिंदी अभिप्रायों सहित बैंकों की 'ग्राहक सेवा' से जोड़ने का बहुत ही खूबसूरत प्रयास किया गया है। 'शिकायत प्रबंधन और ग्राहक सेवा' लेख में डॉ. सुधीर साहु बहुत ही आकर्षक शीर्षकों के माध्यम से अपना गंभीर विषय समझाने में सफल रहे हैं। श्री संदीप गुप्ता ने भारत की बढ़ती जनसंख्या को उसकी उम्र की प्रतिशतता के पैमाने से और जनसांख्यिकीय लाभांश के माध्यम से बैंकों के लिए संभावनाओं और चुनौतियों को नए नज़रिए से देखने का अवसर प्रदान किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक पर श्रीमती सावित्री सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा निश्चय ही उनकी सुंदर शैली की परिपक्वता को परिलक्षित करता है।

रविंदर गोसाईं

महाप्रबंधक

पंजाब एंड सिंध बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय
सेक्टर 17 बी, चंडीगढ़

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन में क्रमशः प्रकाशित लेखों की भाषा के सरलीकरण की प्रक्रिया अब अपनी पूर्णता के करीब है। लेखों आदि को पढ़ने में शब्दों के लिए रुकना नहीं पड़ता है बल्कि सहजतापूर्वक, सारगर्भित पठन की अनुभूति होती है। राजभाषा के इस स्वाभाविक और सौष्ठव रूप को देखकर इस पत्रिका को आदर्श राजभाषा के नमूने और प्रकार के रूप में प्रस्तुत कर राजभाषा कार्यान्वयन को गति, गरिमा और गहनता प्रदान करने में सुविधा मिलती है।

धीरेन्द्र सिंह

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

बैंक ऑफ इंडिया

भुवनेश्वर अंचल

आपके द्वारा प्रेषित पत्रिका "बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन" का नया अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका अपने उद्देश्य में अत्यंत सफल है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार की सामग्री हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत श्रम और निपुणता की आवश्यकता होती है। इस पत्रिका को मूर्त रूप देने में सभी का योगदान अत्यंत सराहनीय है। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

नीलू गुप्ता

कैलिफोर्निया (यू.एस)

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का जनवरी-मार्च 2012 अंक हस्तगत हुआ। इसमें प्रमाणित सभी लेख 'गागर में सागर' को चरितार्थ कर रहे हैं। मुद्रा स्फीति हो, या सूचना प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकीय लाभांश हो या शिकायत प्रबंधन सभी आलेख निष्पक्ष रूप से विषय का प्रतिपादन करने के साथ पाठकों और बैंक कर्मियों का मार्गदर्शन करने में सफल हैं।

सम्पादकीय चिंतन और अनुचिंतन पत्रिका का बिम्ब और संपादकजी के गहन चिंतन का प्रतिबिम्ब ही नहीं है बल्कि उनके सीने में देश, समाज और भाषा के प्रति जो प्रतिबद्धता है वह स्पष्ट परिलक्षित हो रही है - एतदर्थ मेरा साधुवाद स्वीकार कीजिए।

स्थायी स्तंभ पत्रिका की शान है। एक बेहतर, सूचनापरक और ज्ञानवर्धक अंक के लिए मेरी बधाई! आशा है कि भावी अंक और अधिक निखरे रूप में, बेहतर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगावाएंगे।

डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी

सेवानिवृत्त प्रबंधक (रा. भा.)

भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण लि.

पिछले कई वर्षों से मैं आपकी पत्रिका का पाठक रहा हूं। मुझे हाल ही में पत्रिका का जनवरी-मार्च 2012 अंक मिला। मैं आपको एवं आपकी समस्त टीम को इस सुंदर प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैंने पत्रिका को पढ़ा तथा पाया कि :- (i) आपका संपादकीय अत्यंत ही सार्थक है तथा इसकी भाषा अत्यंत समृद्ध है, जिसे हम तक पहुँचाने के लिए निश्चय ही आपने कठिन प्रयास किया होगा। (ii) श्री के सी मालपानी के द्वारा प्रस्तुत 'घूमता आईना' जो कि आपकी पत्रिका का एक नियमित स्तंभ है, हमें मौजूदा बैंकिंग/वित्तीय समाचारों से रू-ब-रू कराने में मदद करता है जिनको एक बैंकर के लिए जानना निश्चित रूप से जरूरी है (iii) श्रीमती सावित्री सिंह के द्वारा प्रस्तुत 'इतिहास के पन्नों से' ने पंजाब एवं सिंध बैंक के बारे में ऐतिहासिक जानकारी को गहराई से जानने का अवसर उपलब्ध कराया है। (iv) यूको बैंक के डॉ. सुधीर साहू के द्वारा लिखित 'शिकायत प्रबंधन और ग्राहक सेवा' इतनी सहज भाषा में लिखा गया है जो वास्तव में गागर में सागर भरने वाली कहावत को चरितार्थ करता है।

मेरी यह कामना है कि आपकी पत्रिका ऐसे ही उपयोगी आलेखों के साथ एक लंबा एवं सार्थक सफर तय करती रहे...

श्री कृष्ण गाखर

वरिष्ठ प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक,

राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली

लेखकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

- सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है।
- उसमें दी गयी जानकारी उपयोगी और अद्यतन है एवं अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों में है।
- लेख यदि संभव हो तो सी.डी. में आकृति/यूनिकोड फॉन्ट में भेजने की व्यवस्था की जाए।
- वह कागज़ के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित है।
- यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिये गये हैं।
- यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- लेख में शामिल आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत का स्पष्ट उल्लेख करें।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

प्रकाशकों से

जो प्रकाशक अपनी पुस्तक की समीक्षा करवाना चाहते हैं वे कृपया अपनी पुस्तकों की दो प्रतियां भिजवाने की व्यवस्था करें।

पाठकों से

इस पत्रिका को आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पृष्ठ के पीछे दिए गए **सदस्यता फार्म** को भरकर 'कार्यकारी संपादक, बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' को भेजना होगा। आपका फार्म मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका अगले दो वर्ष तक मिलती रहेगी। दो वर्ष समाप्त होने के पूर्व आप अपनी सदस्यता को नवीकृत कर लिया करें ताकि पत्रिका निरंतर मिलती रहे। आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें। **पुराने पाठक कृपया पत्राचार करते समय अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख अवश्य करें।**

- पाठकों की प्रतिक्रियाओं का हमें सदैव इंतजार रहता है •

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन सदस्यता फॉर्म

प्रबंध संपादक
बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग
केंद्रीय कार्यालय, गारमेट हाउस
वरली, मुंबई 400 018

महोदय,

मैं दो वर्ष के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पता (स्पष्ट अक्षरों में) _____

केंद्र _____

पिनकोड _____

टेलीफोन नं. (कार्यालय) _____

निवास _____

फैक्स नं. _____

एसटीडी कोड _____

ई-मेल पता _____

दिनांक : _____ 2012

(हस्ताक्षर)

बैंकिंग शब्दावली

वित्तीय क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली एक ऐसा शब्दकोश है जिसमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त हिंदी शब्दों का चयन किया गया है। 268 पृष्ठ वाले इस कोश का मूल्य 75.00 रुपए (डाक व्यय अतिरिक्त) है। इसे प्राप्त करने हेतु निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है:

निदेशक, रिपोर्ट समीक्षा और प्रकाशन (बिक्री अनुभाग)

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001



भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित

नवीनतम हिन्दी पुस्तक

‘सहकारी बैंकिंग-संगठन और स्वरूप’

मूल्य : 250/- रुपये

पुस्तक मिलने का पता

मै. आधार प्रकाशन प्रा. लि.

एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16

पंचकुला (हरियाणा)



इस अंक के प्रकाशन में राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक प्रबंधक (राजभाषा) श्री आशीष पूजन और श्री अखिलेश कुमार का सहयोग प्राप्त हुआ।

रचनाएं आमंत्रित हैं:

पूंजी पर्याप्तता और बासेल मानक विशेषांक

बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन का अक्तूबर-दिसंबर 2012 अंक “पूंजी पर्याप्तता और बासेल मानक” विशेषांक होगा जिसमें आपकी रचनाएं आमंत्रित हैं। इसमें बैंकों में पूंजी पर्याप्तता और बासेल मानक के परिचय के साथ निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे -

1. बीआईएस का इतिहास तथा बासेल विनियमन
2. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति - एक झलक
3. बासेल I, II तथा III की खास बातें
4. बासेल II तथा बासेल III - तुलनात्मक परिचय
5. बासेल III - एक परिचय
6. बासेल दिशानिर्देश तथा बैंकों में जोखिम प्रबंधन के लिए निहितार्थ
7. भारत में बासेल दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में चुनौतियां
8. सामान्य व्यक्ति की भाषा में बासेल दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातों को समझना
9. बासेल दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन - भारत के एक बैंक के मामले का अध्ययन
10. वैश्विक वित्तीय संकट तथा बासेल III का उद्भव
11. बासेल दिशानिर्देश में क्रेडिट रेटिंग की भूमिका
12. बासेल III दिशानिर्देश तथा भारतीय बैंकों में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता
13. भारत में बैंकिंग को किस प्रकार परिवर्तित करेगा, बासेल III
14. बासेल दिशानिर्देशों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
15. बासेल दिशानिर्देशों के तहत बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट में किए जाने वाले प्रकटीकरण

रचनाएं पत्रिका के स्तर के अनुकूल और मौलिक होनी चाहिए और पहले अन्यत्र कहीं प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। रचनाओं को पुस्तक रूप में संकलित कर प्रकाशित करने पर लेखकों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रकाशित रचनाओं पर मानदेय दिए जाने का प्रावधान है।

- रचनाएं हमें माह 31 अगस्त 2012 तक मिल जानी चाहिए -